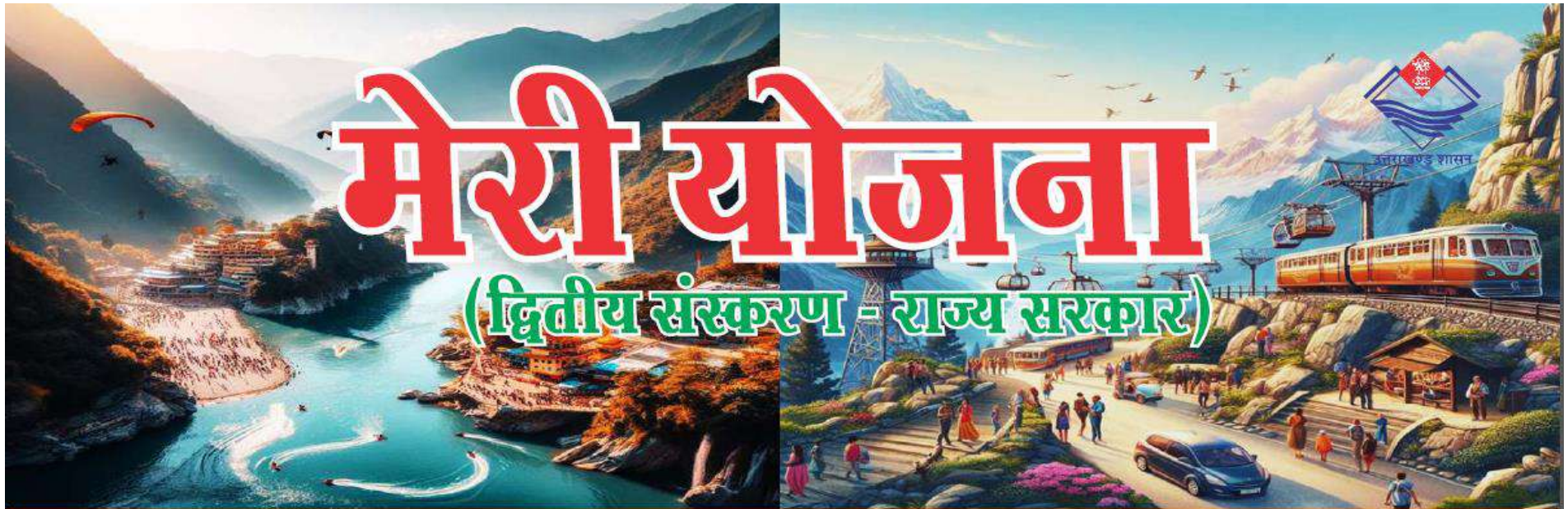




योजनाएं / नीतियां

- जनकल्याणकारी
- स्वरोजगार/रोजगारपरक
- कौशल विकास/प्रशिक्षण परक
- मूलभूत सेवायें
- प्रमाण पत्र



राज्य सरकार

मेरी योजना मेरा अधिकार , अपणि सरकार जनता के द्वार

लाभ

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

पोर्टल

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
उत्तराखण्ड शासन



“मेरी योजना”

“उत्तराखण्ड राज्य में संचालित जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं को सरल शब्दों में जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु गत वर्ष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा “मेरी योजना” पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रतिष्ठा राज्य के समस्त ग्रामप्रधानों/जनप्रतिनिधियों तथा विभागाध्यक्षों एवं राज्य के समस्त राजकीय पुस्तकालयों को वितरित की गयी तथा आमजनमानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु पुस्तक की पीडीएफ प्रति उत्तराखण्ड के समस्त विभागों की वेबसाइट में उपलब्ध है। गतवर्ष में पुस्तक को तैयार करते समय कतिपय विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाएं/योजनाएं प्राप्त नहीं हो पाई थी तथा कई विभागों की योजनाओं में वर्तमान में परिवर्तन हुआ है। इसलिए पुस्तक की सफलता एवं मांग को देखते हुये तथा कतिपय विभागों की अप्राप्त सूचनाओं एवं अद्यतन सूचनाओं को एकत्रित कर पुनः मुद्रित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी, फलतः द्वितीय संस्करण के रूप में “मेरी योजना”

पुस्तक आपके समक्ष है। इस पुस्तक में राज्य सरकार के उन विभागों की योजनाओं का उल्लेख किया है, जो या तो पूर्व में अप्रकाशित थे या जिनकी योजनाओं में वर्तमान में संशोधन हुआ है। पुस्तक के आगामी पन्नों पर कई जगह पर संशोधन का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि “मेरी योजना” पुस्तक के पूर्व संस्करण में उल्लिखित सूचना संशोधन के साथ पुनः प्रकाशित हुई है। आशा है कि “मेरी योजना” पुस्तक के द्वितीय संस्करण की सूचनाएं पाठकों/लाभार्थियों/शोधार्थियों/नीतिनिर्धारणकर्ताओं के लिए लाभदायक होगी एवं राज्य की जनता को योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी जागरूक करेगी। इस पुस्तक में संशोधन/सुधार/सुझाव हेतु कृपया पता-सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय सुभाष रोड, देहरादून तथा ईमेल- sopi-1@uk.gov.in में प्रेषित करना चाहें ताकि आगामी संस्करणों को सुधारों के साथ प्रस्तुत किया जा सके।



कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून। ई-मेल: sopi-1@uk.gov.in

संरक्षण एवं निर्देशन

ले.ज. गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से.नि.)
मा. राज्यपाल उत्तराखण्ड
श्री पुष्कर सिंह धामी- मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड
श्रीमती राधा रतूडी- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड
श्री दीपक कुमार-सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन

सम्पादक

श्री दीपक कुमार-सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सह-सम्पादक

श्री एन.एस. डुंगरियाल-संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्री प्रकाश पालीवाल-अनुभाग अधिकारी, श्री रावेन्द्र चौहान-विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती वन्दना पाटनी-विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती रंजना-समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार-समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विभागीय समन्वयन एवं सूचनाओं का संकलन तथा मीटिंग/वार्ता गतिविधियां

श्री एन.एस. डुंगरियाल- संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्री रावेन्द्र चौहान, श्रीमती वन्दना पाटनी, श्रीमती सरिता तोमर-विशेषकार्याधिकारी, श्री नन्दराम-पूर्व अनुभाग अधिकारी, श्री प्रकाश पालीवाल-अनुभाग अधिकारी, श्री नारायण सिंह राणा, श्रीमती रंजना, श्री रमेश कुमार-समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग।

पुस्तक प्रूफ रीडिंग

श्री एन.एस. डुंगरियाल-संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्री प्रकाश पालीवाल- अनुभाग अधिकारी, श्री रावेन्द्र चौहान, श्री ललित मोहन आर्य, श्री संजीव कुमार शर्मा, डॉ. शैलेश कुमार पंत, श्री धर्मेन्द्र पयाल-विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती रंजना-समीक्षा अधिकारी।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग, पेज डिजाइन एवं पुस्तक डाटा संरक्षण

श्रीमती रंजना-समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार-समीक्षा अधिकारी, श्री अजय सिंह भण्डारी-कम्प्यूटर सहायक एवं श्री मुकेश चन्द्र देवरानी-कम्प्यूटर सहायक, श्री अमित वर्मा-होमगार्ड, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन

सहयोग

राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों के समस्त विभागीय अधिकारी/कार्मिक एवं एनआईसी टीम।

मुद्रण

(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा मुद्रित तथा पुस्तक आमजन हेतु डिजिटल रूप में <https://uk.gov.in> पर उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड



राजभवन उत्तराखण्ड
देहरादून 248 003
दूरभाष: 0135-2757400
0135-2757403

20.11.2024



संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा “मेरी योजना” पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इस पुस्तक में उत्तराखण्ड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों, शिक्षा परक पहलों और निवेश संबंधी नीतियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

“मेरी योजना” पुस्तक न केवल राज्य की योजनाओं और नीतियों को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि आम जनमानस को इनसे जुड़ने और लाभान्वित होने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। “मेरी योजना” पुस्तक को डिजिटल माध्यम से भी जनसामान्य तक पहुंचाने की पहल वास्तव में प्रशंसनीय और समयानुकूल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक जनहित के लिए उपयोगी साबित होगी।

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के इस अभिनव प्रयास के लिए मैं अपनी हार्दिक बधाई एवं पुस्तक प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

गुरमीत

ले ज गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)

पुष्कर सिंह धामी



उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून-248001
फ़ोन : 0135-2650433
0135-2716262
फैक्स : 0135-2712827
कैम्प कार्या.: 0135-2750033
0135-2750344
फैक्स: 0135-2752144

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा “मेरी योजना” नामक पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासपरक, जनकल्याणकारी एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं को जनमानस तक सुलभ पहुँच बनाये जाने हेतु नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को सरल भाषा में साररूप से संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से भी आम जनमानस तक पहुँच बनाये रखने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है।

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के जनमानस को तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ प्रदेश सरकार के विकास कार्यों में भी सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। पुस्तक के प्रकाशन से जहाँ एक ओर, सरकार जनता के द्वार के अनुरूप योजनाओं पर आम जनमानस की पहुँच हो जाएगी वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं के अधिक से अधिक उपयोग से रोजगार/स्वरोजगार के सृजन में भी नये आयाम स्थापित होंगे। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा “मेरी योजना” पुस्तक के द्वितीय संस्करण को अल्प अवधि में प्रकाशित किया जाना एक सराहनीय पहल है।

इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

(पुष्कर सिंह धामी)

राधा रतूड़ी



उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
राज्य सचिवालय, देहरादून
फोन: (का.) 0135-2712100, 2712200
फैक्स: 0135-2712500
ई-मेल: cs-uttarakhand@nic.in
chiefsecyuk@gmail.com

दिनांक: 11 नवम्बर 2024

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा “मेरी योजना” पुस्तक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विकासपरक, जनकल्याणकारी एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं की आम जनमानस तक सुलभ पहुँच बनाये जाने से सम्बन्धित नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ—साथ डिजिटल माध्यम से भी पहुँच बनाये रखने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सार्थक पहल की जा रही है।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के आम जनमानस को लाभ होगा एवं प्रदेश सरकार के विकास कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।


(राधा रतूड़ी)

दीपक कुमार
सचिव



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
4 सुभाष मार्ग,
देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2664127

संदेश

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा “मेरी योजना” पुस्तक के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन में उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी को संकलित करते हुए इस पुस्तक की भाषा बेहद सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि राज्य का कोई भी आम नागरिक यदि पुस्तक पढ़ें तो वह आसानी से योजनाओं/सेवाओं/का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, की प्रक्रिया समझ सकें।

मेरी योजना पुस्तक के द्वितीय संस्करण में भी राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का आम जनमानस तक सुलभ पहुंच बनाये जाने की नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ-साथ डिजिटल के माध्यम से भी जानकारी सरल हिन्दी भाषा में उल्लिखित की गयी है, जिसमें योजनाओं/सेवाओं का नाम, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया का उल्लेख तथा जिन प्रतिष्ठानों की सूचना इस प्रारूप में नहीं है, का भी संक्षिप्त विवरण एवं उनके द्वारा किये जाये रहे कार्यों का विवरण उल्लिखित किया गया है, ताकि राज्य के नागरिक राज्य में स्थापित इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सेवाओं/कार्यों का लाभ एवं जानकारी प्राप्त कर सकें। इस पुस्तक में पूर्व में प्रकाशित विभागों की योजनाओं में यदि संशोधन है तो उसका भी उल्लेख किया गया है तथा जिन विभागों में नयी योजनाएं जोड़ी गई है, उनको भी समाहित किया गया है।

अतः मेरा पुनः विश्वास है कि इस पुस्तक से जहां एक ओर आम जनमानस को राज्य सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं/योजनाओं/कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पायेगी वहीं इनका लाभ लेने में पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी एवं पाठकों, शोधार्थियों एवं नीति नियंताओं तथा विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए यह पुस्तक मार्गदर्शक का कार्य करेगी।

(दीपक कुमार)
सचिव

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, निगम, संगठनों के नाम	जन कल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, योजनाओं/कार्यक्रमों, निवेशपरक नीतियों तथा मूलभूत सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग होने वाले प्रमाण पत्रों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	समाज कल्याण विभाग	01. अटल आवास योजना 02. दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार 03. दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण क्रय तथा मरम्मत कराये जाने हेतु अनुदान। 04. जन्म से दिव्यांग बच्चे का भरण पोषण अनुदान 05. दिव्यांग छात्रवृत्ति कक्षा (01 से 08) 06. अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह पुरस्कार। समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं का विवरण:- 1.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 3. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास 4.राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह 5.राजकीय भिक्षुक गृह 6. मानसिक रूप से उपचारित व्यक्तियों हेतु आवास गृह 7. राजकीय दिव्यांग कर्मशाला उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग	1-6 7-8
2.	जनजाति कल्याण विभाग	1.अनु० जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु सहायता (राज्य सहायित) 2. बुक्सा एवं राजी जनजाति विकास योजना 3.अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु अटल आवास योजना 4. परीक्षा पूर्व कोंचिग 5. प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (PM JANMAN) जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरण:- 1.शैक्षिक संस्थान/विद्यालयों का विवरण 2. शैक्षिक संस्था/छात्रावासों का विवरण 3. तकनीकी/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण शैक्षिक/संस्थानों/विद्यालयों में कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया:- 1.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 2. राजकीय जनजाति छात्रावास 3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शैक्षिक संस्थानों/विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया:-1.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 2. राजकीय जनजाति छात्रावास 3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग	9-13 14-15
3.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	1.प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) 2. जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति) 3.जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जनजाति) 4.जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग) 5.शिल्पी ग्राम योजना (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	16-18
4.	सैनिक कल्याण विभाग	1. निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण (संशोधित) ।	19-20
	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल)	1. रोजगार हेतु प्रायोजन 2. कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान	21-22
5.	महिला कल्याण विभाग	01. पालना घर (क्रैच) उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग	23-24 25-26

6.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग	27-28
	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून	1.मुंशी (हाईस्कूल), मौलवी (हाईस्कूल) एवं आलिम (इण्टरमीडिएट) की परीक्षाएँ संचालित करना। 2. तहतानिया (कक्षा 1 से 5) फौकानिया (कक्षा 6 से 8) तथा आलिम (इण्टरमीडिएट) आदि की मान्यता प्रदान करना।	29-30
	उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड	1. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वक्फ मॉडर्न मदरसा	31
7.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)	1.मोबाईल लर्निंग सेन्टर 2. चिकित्सा जॉच सुविधा 3. सामूहिक कन्या विवाह सहायता योजना। WFC स्थान और पता (गढ़वाल क्षेत्र)-16 एवं WFC स्थान और पता (कुमाऊँ क्षेत्र)-17 का विवरण	32-35
8.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	विधिक माप विज्ञान विभाग:- 1. बाट-माप तथा तौल यंत्रों के मरम्मतकर्ता को लाइसेन्स। 2. बाट-माप तथा तौल यंत्रों के विक्रेता को लाइसेन्स। 3. बाट-माप तथा तौल यंत्रों के विनिर्माता को लाइसेन्स।	36-37
		उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग	38
		राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड	39-40
9.	गृह (पुलिस) विभाग	1. साइबर क्राइम।	41-45
		2. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ	46-47
		3. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड	48
		4. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण	49
		5. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग	
10.	भाषा विभाग	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान देहरादून:-1.उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान 2. हिन्दी दिवस समारोह एवं प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना 3. भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन 4. विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान	50-51
11.	माध्यमिक शिक्षा विभाग (समग्र शिक्षा परियोजना)	1.निपुण भारत मिशन उत्तराखण्ड 2. रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण 3. समावेशित शिक्षा 4. सामुदायिक सहभागिता 5. गुणवत्ता एवं नवाचार निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक 6. निःशुल्क गणवेश 7. Maths Wizard & Spelling Genius 8. कला उत्सव प्रतियोगिता 9. Enhancement of Spoken English Programme 10. यूथ एवं ईको क्लब 11. विद्या समीक्षा केन्द्र 12. सुपर-100 कार्यक्रम	52-56
12.	संस्कृत शिक्षा विभाग	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार: 1.संस्कृत छात्र प्रतियोगिता (संशोधित) 2. अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन (संशोधित) 3. संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान (संशोधित) 4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना (संशोधित) 5. गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 6. शोधग्रन्थ चयन योजना 7. अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन 8.अखिल भारतीय वेद सम्मेलन एवं	57-63

		अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु सम्मेलन 9. वैदिक गणित पर एकदिवसीय संगोष्ठी	
		उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP- 2020 के अनुरूप संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम व उनके शुल्कादि का विवरण	
13.	प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा, विभाग	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पालीटेक्निक संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों का विवरण	64-70
		वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	71-73
14.	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग	कौशल विकास एवं सेवायोजन द्वारा वर्तमान में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण	74-77
15.	खेल विभाग	1.कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति (संशोधित) 2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को खेलकिट प्रदान 3. उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों/क्लबों/खेल समितियों को अनुदान एवं आर्थिक सहायता 4. अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता 5. निजी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं (बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्कवैश, इंडोर क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी एवं स्वीमिंग) का निर्माण	78-80
16.	उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क)	1.यू-सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन 2. महिलाओं, महिला वैज्ञानिकों, अध्यापकों एवं युवा छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कॉन्क्लेव एवं सम्मान का आयोजन 3. डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना	81-83
17.	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यू-कॉस्ट)	1. विज्ञान संचार एवं लोकव्यापिकरण (संशोधित) 2. उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम (संशोधित) 3. सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव (संशोधित) 4. उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी (संशोधित) 5. सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली (संशोधित) 6. लैब्स ऑन व्हीलस 7. विज्ञान केन्द्र चम्पावत 8. मानसखण्ड उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अल्मोडा 9. स्टैम (STEM) लैब 10.एस. सी. एस. टी. सैल की स्थापना 11. उत्तराखण्ड@25 आदर्श चम्पावत 12. पं. दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना 13. उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र 14. आपदा प्रबन्धन केन्द्र	84-89
18.	उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग)	1.आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण कार्यक्रम।	90
19.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	1. उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण- वय वंदना योजना	91-92
20.	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण	1. राजकीय मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों, आर्युवेदिक होम्योपैथिक चिकित्सालयों तथा श्रम विभाग के अन्तर्गत समूह 'ख' तथा 'ग' के विभिन्न अध्यापन संकाय, चिकित्साधिकारी, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पदों पर चयन प्रक्रिया।	93-94

21.	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	95—97
22.	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग	1.स्टार्टअप नीति-2023 (संशोधित) 2. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2023 (संशोधित) 3.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 4. निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति-2023	98—103
		स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल)	104—105
23.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	1. उत्तराखण्ड ऊन योजना 2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार)	106—109
24.	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग	1.सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन (संशोधित) 2. उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना (संशोधित) 3. लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता (संशोधित) 4. धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता (संशोधित) 5. अनु0जा0/जनजाति के व्यक्तियों के लिए पारम्परिक वाद्य यंत्रों, वेश-भूषा का क्रय करने हेतु (संशोधित) 6. भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय (संशोधित) 7.प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, निकट दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून। 8. हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैंट, देहरादून।	110—114
		राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा	115
		राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़	116
		श्री बदरीनाथ-कैदारनाथ मंदिर समिति	117—118
25.	पर्यटन विभाग	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्:- 1. उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण 2. निधि + पोर्टल (पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की योजना) 3. रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग गतिविधियों का संचालन। 4. पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन। 5— P1, P2, P3, P4, SIV, गाईडेड प्लानिंग। 6. लाइफ सेविंग टेक्नीक वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर 7. बेसिक क्याकिंग कोर्स 8. राफ्टिंग कोर्स और इंटर्नशिप 9. स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स 10. हाई एलटीट्यूड गाइड कोर्स। 11. लो एलटीट्यूड गाइड कोर्स 12. स्कीइंग कोर्स।	119—125
		गढ़वाल मण्डल विकास निगम	126—128
		कुमाऊ मण्डल विकास निगम	129—131
		राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून	132
		जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान, अल्मोड़ा	133
26.	ऊर्जा विभाग (उरेड़ा)	1. पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना 2. सोलर वाटर हीटर योजना	134—137
	विद्युत नियामक आयोग	विद्युत नियामक आयोग	138—153

27.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	1. फिल्मों को अनुदान (संशोधित)	154-155
28.	ग्राम्य विकास विभाग	1. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत (संशोधित) 2. लखपति दीदी योजना 3. बाइब्रेंड विलेज प्रोग्राम 4. हाउस ऑफ हिमालयाज 5. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 6. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत	156-161
		ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग	162
29.	कृषि विभाग	1. स्टेट मिलेट मिशन 2. स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम	163-164
	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद	नमामि गंगे योजना	165
	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	1. व्यवसायिक दुकानों का आवंटन 2. किसान बाजार की दुकानों का आवंटन 3. कैण्टीनों का आवंटन 4. व्यापारिक गोदाम 5. छात्रवृत्ति योजना 6. व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना 7. कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना 8. ठेकदारी का पंजीकरण 9. सम्पर्क मार्ग 10. हैण्डपम्प	166-173
	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	शैक्षणिक कार्यक्रम:- 1. स्नातक पाठ्यक्रम 2. परास्नातक पाठ्यक्रम 3. पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम छात्र-कल्याण विभाग:- 1. खेल छात्रवृत्ति (यूजी) 2. विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति (पीएचडी) 3. मेरिट छात्रवृत्ति (शीर्ष 03 यूजी छात्र) 4. फ्रीशिप स्टाफ वार्ड 5. रू0 1,00,000 से कम फ्रीशिप (केवल यूजी छात्र) 6. मंडी समिति 7. छात्रवृत्ति योजना जेएंडके पीएमएसएस (सीधे प्रवेश फॉर्म एआईसीटीई) 8. गेट छात्रवृत्ति 9. डीएसटी-इंस्पायर (पीएचडी) 10. आईसीएमआर (पीएचडी) 11. आईसीएसएसआर (पीएचडी) 12. सीएसआईआर (पीएचडी) 13. आईसीएआर-एनटीएस यूजी (बी.एससी.) 14. आईसीएआर-एनटीएस पीजी (एम.एससी.) 15. आईसीएआर-एसआरएफ (पीएचडी) 16. आईसीएआर-जेआरएफ एम.एससी. 17. आरजीएनएफ-नेट-जेआरएफ (पीएचडी) 18. आरजीएनएफ-एससी (पीएचडी) 19. आरजीएनएफ-एसटी (पीएचडी) 20. आरजीएनएफ-ओबीसी (पीएचडी) 21. पीडीएफ-एचएससी 22. पीडीएफ महिला 23. अल्पसंख्यकों के लिए MANF (पीएचडी) 24. आईसीएआर-अफगानिस्तान 25. आईसीएआर-अफ्रीकी 26. अमित गौतम मेमोरियल स्कॉलरशिप (बी.टेक (इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग) चतुर्थ) 27. मेरिट एसएच का पुरस्कार। एजी के छात्रों के लिए. इंजीनियरिंग (बी.टेक तृतीय/चतुर्थ वर्ष) 28. चांसलर स्वर्ण पदक 29. डॉ. ध्यानपाल सिंह मेमोरियल अवार्ड (सभी महाविद्यालयों के यूजी अंतिम वर्ष के छात्र) 30. डॉ. एस.के. मुखर्जी छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी. द्वितीय और तृतीय वर्ष) 31. एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन रिसर्च फेलोशिप (एमएससी एजी सभी अनुशासन) 32. प्रियांक पाठक छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी (चतुर्थ वर्ष) छात्र) 33. मोनसेंटो छात्रवृत्ति (एम.एससी. कृषि विज्ञान और कृषि। जैव प्रौद्योगिकी) 34. के.सी. शर्मा फेलोशिप (एम.एससी. एजी, एग्रोनॉमी (द्वितीय वर्ष) छात्र) 35. डॉ. एस.के. शर्मा और (पीएचडी गणित) 36. डॉ. वी.एन. माथुर पुरस्कार (एम.एससी. गणित) 37. डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय स्वर्ण पदक (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र) 38. डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय जरूरतमंद छात्र निधि (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र) 39. श्रीमती उमा गुप्ता फेलोशिप (एम.एससी. एजी. (जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग) 40. श्रीमती बिमला रानी मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी., बी.वी.एससी. और ए.एच., बी.एचएससी. और बी.एफ.एससी.) 41. डॉ. वाई.वी. सब्जी विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ थीसिस के लिए सिंह	174-188

		पुरस्कार। 42.वरुण पंवार मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी. द्वितीय वर्ष (1), तृतीय वर्ष (01) और चतुर्थ वर्ष (01) छात्र) निदेशक शोध:- 1.बीज अनुदान 2. रिसर्च असिस्टेंटशिप प्रसार शिक्षा कार्यक्रम :- 1.प्रशिक्षण एवं भ्रमण इकाई 2. समेटी-उत्तराखण्ड 3 कृषि विज्ञान केन्द्र 4. कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र, एटिक 5. अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी	
30.	उद्यान विभाग	1. सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र 2. राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल:- 1.बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं पीएच0डी0 2.किसान विज्ञान केन्द्र की विभिन्न प्रशिक्षण तथा अन्य सहायक योजनायें 3.ग्रामीण कृषि मौसम सेवा 4. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	189—190 191—192
31.	पशुपालन विभाग	1. पशुधन मिशन योजना ऋण पर ब्याज भुगतान	193—194
	उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड	1. मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम 2. ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म 3. राष्ट्रीय पशुधन मिशन अन्तर्गत पशुधन बीमा योजना 4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उधमिता विकास योजना	195—197
	उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग	संक्षिप्त परिचय एवं कार्य	198—199
32.	डेरी विकास विभाग	1. महिला डेरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड	200—201
33.	मत्स्य विभाग	1. मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (प्रारूप तालिका-1) 2. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (नवीन योजना) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत सह योजना 3. राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मत्स्य क्षेत्रक	202—206
34.	वन एवं पर्यावरण विभाग	1. मानव वन्य जीवन संघर्ष राहत वितरण निधि के अन्तर्गत मुआवजा का विवरण। (संशोधित) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:- 1. स्थापनार्थ सहमति (CTE) 2. संचालनार्थ सहमति (CTO) 3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 4. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार 5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 6. ई-वेस्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत प्राधिकार 7. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 8. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	207—211
35.	आवास विभाग	1. उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2024 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक। (संशोधित)	212—213
		उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण	214—215
	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	1. मानचित्र सरलीकरण प्रक्रिया 2. उदय ऐप के द्वारा मानचित्र स्वीकृति 3. आवासीय निर्माण हेतु मॉडल मानचित्र उपलब्ध कराना 4. हेल्प डेस्क 5. आवासीय सुविधा 1-इन्द्रलोक आवासीय योजना (ग्रुप आवास)	216—217

36.	शहरी विकास विभाग	राज्य सफाई कर्मचारी आयोग	218
	नगर निगम, देहरादून	1.व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बी0एल0सी0) 2.स्वतः रोजगार कार्यक्रम 3.स्वयं सहायता समूह 4. शहरी निराश्रितों हेतु सहयोग 5. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना (पी0एम0स्वनिधि) 6.जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र 7.मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र 8.अनुपलब्धता जन्म प्रमाण पत्र हेतु 9. सम्पत्ति कर संग्रह 10. सम्पत्ति हस्तांतरण अविवादित/विवादित 11.कर निर्धारण सूची की छायाप्रति उपलब्ध कराये 12. उत्तराखण्ड राज्य की लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रमाण पत्र 13. एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र	219–230
37.	पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम)	1. भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन (हर घर जल योजना) (संशोधित) 2. विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अर्द्धनगरीय पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था।	231–232
38.	राजस्व विभाग	1.आरायज नवीश लाईसेंस 2.स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस 3.साहुकारी व्यवसाय लाईसेंस 4.उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र 5. तहसीलों के कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों में हुई टंकण त्रुटि दुरस्त किया जाना 6. राजस्व अभिलेखागार/न्यायिक अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण 7.लीज नवीनीकरण	233–235
39.	परिवहन विभाग उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड परिवहन निगम:- विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों हेतु निगम बसों में छूट का विवरण	236–238
40.	सूचना प्रौद्योगिकी (ITDA)	1. अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ (संशोधित) 2. ड्रोन नीति 2023 3. आई0टी0 इन्क्यूबेशन सेन्टर 4. मुख्यमंत्री संदर्भ पोर्टल https://cmreferences.uk.gov.in/ 5. मुख्यमंत्री जनसमर्पण पोर्टल (तहसील दिवस) https://cmjs.uk.gov.in/	239–243
41.	लघु सिंचाई विभाग	1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (सतही योजना) (90% केन्द्रांश, 10% राज्यांश) 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (भूजल योजना) (90% केन्द्रांश, 10% राज्यांश) 3. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना (पी0एम0-कुसुम) (50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश, 20% कृषक अंश) 4. नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण 5. सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए) (100% राज्यांश) 6. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण (100% राज्यांश) 7. अनुसूचित जाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश) 8. अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश)	244–248
42.	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (वित्त विभाग)	1. भूमि/भवन की रजिस्ट्री (अचल सम्पत्ति का पंजीकरण) 2. विवाह प्रमाण-पत्र प्रदान करना 3. रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति/नकल प्रदान करना 4. भूमि/भवन आदि की पूर्व में पंजीकरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना 5. रजिस्ट्री में दी जा रही स्टाम्प छूट	249–250
	रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स	1. सोसाइटी पंजीकरण 2. फर्म पंजीकरण	251

43.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विभाग	1.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (NFSM) 2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 3. सब मिशन ऑन ग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) 4. मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना 5.गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम/उत्पादन में वृद्धि की योजना 6. जिला योजना 7.गन्ना कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	252-257
44.	आबकारी विभाग	आबकारी विभाग	258-259
45.	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड	1.ई-निविदा सह ई-नीलामी खनन पट्टा 2. निगमों को पट्टे का आवंटन 3. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट 4. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट 5. हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट 6. रिटेल भण्डारण 7. रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा	260-265
46.	आभार		266
47.	उत्तराखण्ड राज्य के उक्त विभागों के नाम/पता/वेबसाइट का पूर्ण विवरण		267-274

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड



समाज कल्याण विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	अटल आवास योजना	₹ 1,30,000 (पर्वतीय क्षेत्र) तथा ₹1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) 3 किस्तों में।	1. अनुसूचित जाति के परिवार 2. बीपीएल या ₹ 48000 वार्षिक आय सीमा 3. आवेदक का कोई मकान न हो और उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए।	प्रति वर्ष जनपदों को लक्ष्य दिये जाते हैं। जनपदों द्वारा लक्ष्य का जनसंख्या के आधार पर विकासखण्डों को आवंटन किया जाता है। विकासखण्ड स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, सीबीएस आधार सीडिंग/लैंक बैंक खाता, सम्पत्ति के दस्तावेज लगाये जाने अनिवार्य है। आवेदन पत्र ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, द्वारा सत्यापित किये जाते हैं। खण्ड विकास स्तर पर एक वरीयता सूची तैयार की जाती है। प्राप्त आवेदनों में से मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी की समिति द्वारा पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है। तदोपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।
02.	दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	₹ 8000/- धनराशि दी जाती है।	योजना के अन्तर्गत निम्न श्रेणी में पुरस्कार दिये जाते हैं:- 1. दिव्यांग कर्मचारी, 2. उत्कृष्ट खिलाड़ी 3. स्वतः रोजगार में सर्वश्रेष्ठ सेवायोजक	यह पुरस्कार विश्व दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर के अवसर पर वितरित किये जाते हैं। इस हेतु समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ उनके द्वारा किये गये विशेष कार्य का विवरण के साथ, आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते हैं। जनपद स्तर पर आवश्यक जांच के उपरांत निदेशक, समाज कल्याण की संस्तुति के उपरांत शासन स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के उपरांत प्रत्येक श्रेणी में योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा 8000 ₹0 बैंक ड्राफ्ट/चैक प्रदान किया जाता है।
03.	दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण कय तथा मरम्मत कराये	व्यक्तिगत मामलों में ₹ 50/- से 3500/- (अधिकतम ₹7000/-) तक, एवं कृत्रिम	अभ्यर्थी के (नाबालिग होने की स्थिति में) माता-पिता की मासिक आय की	अभ्यर्थी को कृत्रिम अंग अथवा श्रवण सहायक यंत्र लगाने की संस्तुति चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आवेदन पत्र पूर्ण कर संबंधित सहायक समाज

	जाने हेतु अनुदान	अंग एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत हेतु ₹500/- अनुदान धनराशि दी जाती है।	सीमा। 40 प्रतिशत दिव्यांगता।	कल्याण अधिकारी को हस्तगत कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। तत्पश्चात् कोषागार के माध्यम से संबंधित लाभार्थी को भुगतान की जायेगी।
04.	जन्म से दिव्यांग बच्चे का भरण पोषण अनुदान	माता-पिता या अभिभावक को ₹700/- प्रतिमाह	18 वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के भरण-पोषण करने वाले माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय ₹ 4000 से कम अथवा बीपीएल श्रेणी।	आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- आवेदक का मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो (ग्राम प्रधान/वी0पी0डी0ओ0/सभासद द्वारा प्रमाणित) तथा आधार, वोटर आई0डी0 कार्ड, सीबीएस बैंक खाता, जो आधार कार्ड से लिंक/सीड हो, की छायाप्रति। परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र। 40 प्रतिशत से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु), ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में सभासद की खुली बैठक में चयनित/पारित प्रस्ताव की प्रति। जिस जनपद से आवेदन करेंगे, सभी दस्तावेज उसी जनपद के होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यापन हेतु क्रमशः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी से उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने पर स्वीकृत कर भरण पोषण अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जाती है। परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तथा यू0डी0आई0डी प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके

				पश्चात् आवेदन स्वीकृत होने के 01 माह बाद पेंशन उनके माता-पिता के खाते में आ जाती है।
05.	दिव्यांग छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 08 तक)	कक्षा 1 से 5 तक-रु0 600 कक्षा 6 से 8 तक-रु0 960	1. रु0 0.24 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र। दिव्यांग छात्र	छात्रों द्वारा भारत सरकार के एन0एस0पी0 पोर्टल (NSP) (https://scholarships.gov.in) में ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, प्रमाणित फोटो, सी0बी0एस0 बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो। पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न लेने की स्वघोषणा पत्र। आवेदन पत्र को छात्र ऑनलाइन अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान आवेदन पत्र को सत्यापित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाइन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (जिन्हें सही किया जा सकता है) अस्थायी रूप से डिफेक्ट किया जाता है, अन्यथा पूर्ण रूप से रिजेक्ट/अस्वीकृत किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष में सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है।
06.	अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह पुरस्कार	विवाहित दम्पति को रु0 50,000/- धनराशि संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है।	अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों में एक पक्ष अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है एवं अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पतियों में दोनों पक्षों का भिन्न-भिन्न धर्मों का होना अनिवार्य है।	प्राप्त आवेदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यक परीक्षण उपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ निदेशालय के माध्यम से शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ दुल्हा एवं दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड) शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, सी0बी0एस0 बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो, की प्रति लगाया जाना अनिवार्य है। शासन स्तर से स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी के पदनाम से बैंक डाफ्ट प्रेषित किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं का विवरण:

क्र०सं०	संस्था का नाम	जनपद	स्वीकृत क्षमता
(I)	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय		
1.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, श्रीनगर: (कक्षा 1 से 5 तक)	पौड़ी	60
2.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अधोईवाला: (कक्षा 1 से 5 तक)	देहरादून	60
3.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जैती : (कक्षा 1 से 5 तक) (वर्तमान में संचालित नहीं)	अल्मोड़ा	60
4.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रुद्रपुर: (कक्षा 1 से 5 तक)	ऊधमसिंह नगर	60
5.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सैंकोट: (कक्षा 1 से 8 तक)	चमोली	230
6.	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेतालघाट: (कक्षा 6 से 10 तक)	नैनीताल	150
7.	सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय, मक्खनपुर: (कक्षा: 1 से 12)	हरिद्वार	570
(II)	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:		
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाइन्स	नैनीताल	172
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालधनचौड़, रामनगर	नैनीताल	104
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर,	बागेश्वर	104
(III)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास:		
1.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	48
2.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, चमियाला	टिहरी	48
3.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गोपेश्वर	चमोली	48
4.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	उत्तरकाशी	48
5.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	देहरादून	48
6.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	हरिद्वार	48
7.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पाइन्स	नैनीताल	48
8.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सैनिक विद्यालय परिसर, घोड़ाखाल	नैनीताल	24
9.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	अल्मोड़ा	48
10.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, लोहाघाट	चम्पावत	48
11.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	पिथौरागढ़	48
12.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	पिथौरागढ़	48
13.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	पौड़ी गढ़वाल	48

14.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	उत्तरकाशी	48
15.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, मसूरी	देहरादून	48
(IV)	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह:		
1.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, गोपेश्वर	चमोली	50
2.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, बागेश्वर	बागेश्वर	50
3.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	24
4.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, डोईवाला	देहरादून	50
(V)	राजकीय भिक्षुक गृह:		
1.	राजकीय भिक्षुक गृह, रोशनाबाद	हरिद्वार	200
(VI)	मानसिक रूप से उपचारित व्यक्तियों हेतु आवास गृह:		
1.	मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं एवं बालक/बालिकाओं के लिये आवास गृह, रुद्रपुर	ऊधमसिंह नगर	50
(VII)	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला:		
1.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, हल्द्वानी	नैनीताल	50 आवासीय 50 अनावासीय
2.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, चमियाला	टिहरी गढ़वाल	50 आवासीय 50 अनावासीय
3.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, कुमोढ़	पिथौरागढ़	50 आवासीय 50 अनावासीय

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग



उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग का गठन उत्तरांचल अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा-3 के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य हैं। आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य सभी अनुसूचित जाति के होने आवश्यक हैं, तथा इनमें से एक सदस्य महिला होगी। आयोग के कर्तव्य निम्नलिखित हैं—

- (क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और उनका मूल्यांकन करना।
- (ख) अनुसूचित जातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- (ग) अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- (घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (ङ) अनुसूचित जातियों के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में जो सरकार द्वारा किये जाय, सिफारिश करना।
- (च) अनुसूचित जातियों के संरक्षण विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उसकी निर्दिष्ट किये जायें, निर्वहन करना।

आयोग की शक्तियां— सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां उत्तरांचल अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा-11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी अर्थातः—

- (क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने व जबरदस्ती शपथ पर उसकी परीक्षा करने।
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने।
- (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने।
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने।
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने और
- (च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय।

शिकायतों के निवारण प्रक्रियाः— अनुसूचित जाति व्यक्ति द्वारा आयोग में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज की जा सकती है, अथवा आवेदक ऑनलाईन शिकायत दर्ज करके अपनी समस्या का वेबसाइट पर दर्ज कर सकता है।

जनजाति कल्याण विभाग



जनजाति कल्याण विभाग

क्र. स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	अनु0 जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु सहायता	अनु0जनजाति के परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 50,000/- की दर से अनुदान।	अनु0 जनजाति के परिवार की समस्त स्रोतों सहित मासिक आय रू0 4000/- अथवा बी0पी0एल परिवार/अंत्योदय परिवार। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाईन पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in , अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा तथा आवेदन में निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- आवेदक का मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो। वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु) दुल्हन एवं दूल्हे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड)। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। शपथ पत्र (आवेदक के परिवार ने इससे पूर्व सिर्फ 1 बार लाभ लिया हो अथवा लाभ ही न लिया हो) जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी, फरवरी में हो तथा उसी समय दस्तावेज पूरे न हों, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परंतु लाभ, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जाँच की जायेगी तथा जाँच आख्या/संस्तुति के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान की जायेगी।
2	बुक्सा एवं राजी जनजाति विकास योजना	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बुक्सा एवं राजी जनजाति के छात्र-छात्राओं/प्रशिक्षणार्थियों को रू0 500/- प्रतिमाह/प्रति छात्र-छात्रा (10 माह हेतु) शिक्षा प्रोत्साहन सहायता	बुक्सा एवं राजी जनजाति के विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों में अध्ययनरत्/निवासरत् हो।	यह योजना, बुक्सा एवं राजी जनजाति के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से विभागीय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अध्ययनरत् हेतु छात्र-छात्राओं को ही दिये जाते हैं।

3	अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु अटल आवास योजना	रु0 1,30,000 (पर्वतीय क्षेत्र) तथा रु0 1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) 3 किस्तों में।	1. अनुसूचित जनजाति के परिवार। 2. बीपीएल या रु0 48000 वार्षिक आय सीमा। 3. आवेदक का कोई मकान न हो और उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए।	वर्ष में जनपदों को लक्ष्य दिये जाते हैं। जनपदों द्वारा लक्ष्य का जनसंख्या के आधार पर विकासखण्डों को आवंटन किये जाते हैं। इस पर विकासखण्ड स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, सीबीएस आधार सीडिंग/लिंग बैंक खाता, सम्पत्ति के दस्तावेज लगाये जाने अनिवार्य है। आवेदन पत्र ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, द्वारा सत्यापित किये जाते हैं। खण्ड विकास स्तर पर एक वरीयता सूची तैयार की जाती है। प्राप्त आवेदन का मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी की कमेटी द्वारा पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है। तदुपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।
4	परीक्षा पूर्व कौचिंग	परीक्षा पूर्व कौचिंग की निःशुल्क सुविधा है। परीक्षा पूर्व कौचिंग केन्द्रों में देय छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् हैं:- बाह्य छात्र - रु0 1500.00 प्रतिमाह स्थानीय छात्र - रु0 750.00 प्रतिमाह	जनजाति के छात्र/छात्राओं।	अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों एवं निजी संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं यथा आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, एन0डी0ए0 तथा समूह ग की परीक्षाओं व अन्य परीक्षाओं की तैयार हेतु परीक्षा पूर्व कौचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। कौचिंग संस्थानों के चयन हेतु समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रित की जाती है। और शासन स्तर पर अनुमोदन के उपरांत संस्था का चयन किया जाता है। छात्रों से भी आवेदन प्राप्त किये जाते हैं और उनके हाईस्कूल, इण्टर, या स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर कौचिंग हेतु चयन वरीयता दी जाती है।
5	प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (PMJAN MAN)	बुक्सा एवं राजी जनजाति क्षेत्रों का विकास	बुक्सा एवं राजी जनजाति	राज्य में निवासरत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पूर्व से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ उपलब्ध कराना। जैसे सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, शिक्षा, कौशल विकास, आवास, गैस कनेक्शन आदि। - राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के रूप में बुक्सा एवं राजी जनजाति निवासरत है, जो, कि राज्य के 194 गाँवों में निवासरत है। - प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजनान्तर्गत जनजाति कल्याण विभाग को 20 वनधन विकास केन्द्र तथा 25 बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजनान्तर्गत 09 मंत्रालयों की 11 इंटरवेंशन के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को संतुष्ट किया जाना है।

जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरण:-

1. शैक्षिक संस्थान/विद्यालयों का विवरण:

क्र.सं.	संस्था का नाम	जनपद	क्षमता
1.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 1 से 5 तक) लालढांग	हरिद्वार	150
2.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 8 तक) लालढांग	हरिद्वार	105
3.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) त्यूनी	देहरादून	175
4.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) हरिपुर	देहरादून	175
5.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 1 से 10 तक) लांगापोखरी	देहरादून	300
6.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 6 से 10 तक) लाखामण्डल	देहरादून	185
7.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 1 से 5 तक) बिन्सौण (त्यूनी)	देहरादून	175
8.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 6 से 8 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	105
9.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 1 से 10 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	245
10.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 6 से 10 तक) गूलरभोज	ऊधमसिंह नगर	185
11.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) बिडोरा	ऊधमसिंह नगर	175
12.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) गदरपुर	ऊधमसिंह नगर	175
13.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 1 से 10 तक) बलुवाकोट	पिथौरागढ़	245
14.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) मुनस्यारी	पिथौरागढ़	175
15.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालिका (कक्षा 1 से 10 तक) छारछुम	पिथौरागढ़	310
16.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-बालक (कक्षा 6 से 10 तक) जोशीमठ	चमोली	175
17.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) कालसी	देहरादून	420
18.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) बाजपुर	ऊधमसिंह नगर	420
19.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	420
20.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) मेहरावना	देहरादून	420

2. शैक्षिक संस्था/छात्रावासों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	जनपद	क्षमता
1.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक गोपेश्वर	चमोली	50
2.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक धारचूला	पिथौरागढ़	50
3.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक खटीमा	ऊधमसिंह नगर	50
4.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक काशीपुर	ऊधमसिंह नगर	50
5.	राजकीय जनजाति छात्रावास बालिका धनपौ, लखवाड	देहरादून	50

3. तकनीकी / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	ग्राम / जनपद	क्षमता
1.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकराता	देहरादून	69
2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गूलरभोज	ऊधमसिंह नगर	128
3.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खटीमा	ऊधमसिंह नगर	199

शैक्षिक संस्थानों / विद्यालयों में कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया-

क्र०सं०	संस्थान / विद्यालय	चयन प्रक्रिया
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	इन संस्थानों में शिक्षकों व अन्य कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया संगत नियमावली के आधार पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) अथवा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के माध्यम से की जाती है।
2	राजकीय जनजाति छात्रावास	
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) द्वारा की जाती है। (emrs.tribal.gov.in)

शैक्षिक संस्थानों / विद्यालयों प्रवेश प्रक्रिया-

क्र०सं०	संस्थान / विद्यालय	प्रवेश प्रक्रिया
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	आश्रम पद्धति विद्यालयों में निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा विद्यालय में ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदक छात्र-छात्राओं की संख्या सीटों से अधिक होने पर चयन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाता है।
2	राजकीय जनजाति छात्रावास	निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा सम्बन्धित छात्रावास में ऑफलाइन आवेदन किया जाता है जिनमें विद्यालय की दूरी एवं आय के दृष्टिगत प्रवेश दिया जाता है।
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	प्राप्त आवेदकों की निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण होने पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसके पश्चात मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग



उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-16 सन् 2015) की धारा-3 में प्राविधान है कि राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी, जो उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ओर सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

आयोग की संरचना- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं आठ सदस्य होंगे। आयोग में प्रत्येक जनजाति (थारू, जौनसारी, भोटिया, बुक्सा एवं राजी) के दो ही व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जनजाति के ऐसे योग्य पुरुष अथवा महिला पात्र होंगे जैसा विहित किया जाए।

सदस्य की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायेगी, जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा तथा उनसे सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान के लिए योगदान दिया हो।

आयोग के कर्तव्य- आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

- (क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम 2015 की धारा 11(1) के अनुसार आयोग के संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिए हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना।
- (ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- (ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- (घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और अन्य समयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जैसा आयोग उचित समझे।
- (ङ) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदनों में, उन उपायों के संबंध में जो सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करना।

आयोग की शक्तियां- अधिनियम की धारा-12 में किसी बात का विचार करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ आयोग की धारा-11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी अर्थात:-

- (क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने व जबरदस्ती शपथ पर उसकी परीक्षा करने।
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने।
- (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने।
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने।
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने और।
- (च) किसी अन्य विषयों में, जो विहित किया जाये।

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम



PROC

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)	अनुदान – परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 50,000/- अधिकतम।	1- उत्तराखण्ड में निवासरत्। 2- अनुसूचित जाति 3- आयु सीमा निर्धारित नहीं है अपितु रु. 2.50 लाख आय सीमा के आवेदकों को चयन में वरीयता।	1- खण्ड विकास अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध कराये जाते हैं। खण्ड विकास कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से चयन कराते हुए भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित किये जाते हैं। 2-राज्य स्तरीय समिति प्राप्त प्रस्तावों पर संस्तुति प्रदान करते हुए केन्द्र स्तरीय समिति को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं। 3- केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन करने के उपरान्त धनावंटन किया जाता है।
2.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति)	1- परियोजना लागत – रु. 50,000/- से रु. 2,00,000/- बैंक ऋण-परियोजना लागत का 60 प्रतिशत। मार्जिन मनी -परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) अनुदान –अधिकतम रु. 10,000/- लाभार्थी अंश - रु. 1.00 लाख तक कुछ नहीं, रु. 1.01 लाख से रु. 2.00 लाख तक 10 प्रतिशत	(1)उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। (2) आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो। (3) वार्षिक आय सीमा- ग्रामीण क्षेत्र – रु. 1,05,600 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र – रु0 1,29,840 वार्षिक।	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है। नोट – अनुसूचित जाति वर्ग हेतु पृथक से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का संचालन होने के कारण उक्त योजना के केवल प्रशिक्षण मद में ही धनराशि का व्यय किया जा रहा है।
3.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	परियोजना लागत –रु. 50,000/- से रु. 2,00,000/- बैंक ऋण – परियोजना लागत का 60 प्रतिशत मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (7	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो। (2) आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है।

	(अनुसूचित जनजाति)	प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) अनुदान – अधिकतम रु. 50,000/- लाभार्थी अंश —रु. 1.00 लाख तक कुछ नहीं, रु. 1.01 लाख से रु. 2.00 लाख तक 10 प्रतिशत	के मध्य हो। (3) वार्षिक आय सीमा –रु. 2.50 लाख वार्षिक	
4.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग)	1) सावधि ऋण योजना – परियोजना लागत – रु. 75,000/- अनुदान –20 प्रतिशत अथवा रु. 10,000/- जो भी कम हो सावधि ऋण—रु. 65,000/- (06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर) 2) दुकान निर्माण – परियोजना लागत – रु. 50,000/- अनुदान –20 प्रतिशत अथवा रु. 10,000/- जो भी कम हो मार्जिन मनी – रु. 40,000/- (4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) 3) बैंक पोषित ऋण हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना – परियोजना लागत—रु. 2,00,000/- (अधिकतम) अनुदान –20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु. 10,000/- मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर, 36 मासिक किस्तों में)	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् हो। (2) 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र अथवा यूडी.आई.डी. (3) वार्षिक आय सीमा—शहरी क्षेत्र में रु. 2.00 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु. 1.60 लाख होनी चाहिए। (4) आयु सीमा – 18 से 50 वर्ष	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है।
5.	शिल्पी ग्राम योजना (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)	चिन्हित शिल्पी ग्रामों एवं ट्रेडों में निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति हो। (2) वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में आय 129840/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु. 105600/-	मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संस्थाओं एवं प्रशिक्षार्थियों का चयन किया जाता है।

सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।



सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

क्र० सं०	योजना-सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण। (संशोधित)	01 वर्षीय कोर्स (कम्प्यूटर / एकाउंटिंग / वेब डिजाइनिंग / डिजिटल मार्केटिंग) निःशुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा एवं उनके आश्रित, जिनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हों।	योजना के तहत सभी जनपदों में निम्न विषयों में प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं:- (1) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग अवधि- 01 वर्ष। (2) डिप्लोमा इन प्रोफेशनल एकाउंटिंग अवधि - 01 वर्ष (3) वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेन्ट अवधि- 01 वर्ष। (4) डिजिटल मार्केटिंग - 01 वर्ष सर्व प्रथम निदेशक, सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों से कोर्स हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:- (1) साधारण प्रार्थना पत्र। (2) आधार कार्ड। (3) पूर्व सैनिक पहचान पत्र। (4) डिस्चार्ज बुक। (5) 12वीं पास का शैक्षिक प्रमाण पत्र। इसके उपरान्त संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को नाम उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा संबंधित संस्था आवेदकों को प्रशिक्षण शुरू किये जाने हेतु सूचित करती है।

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल)



उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	रोजगार हेतु प्रयोजन	पूर्व सैनिकों एवं उनके विधिक आश्रितों को आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पद हेतु प्रायोजित कर रोजगार उपलब्ध कराना	केवल पूर्व सैनिक (थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना), उनके विधिक आश्रित एवं वीर नारियाँ।	1. सर्वप्रथम योग्य अभ्यर्थी (पूर्व सैनिक एवं उनके विधिक आश्रित) द्वारा उपनल की वेबसाइट www.upnl.co.in में अपने जिले एवं योग्यतानुसार एवं स्थान के अनुसार पद हेतु ऑन लाइन आवेदन/नामांकन फार्म (enrollment form) भरा जाता है। 2. विभागों से जिलेवार प्राप्त पदों की मांग (संख्या) एवं पदों हेतु निर्धारित/दी गई अर्हता/योग्यता के आधार पर, उपनल द्वारा वेबसाइट में दाखिल (enrolled) अभ्यर्थियों के नाम (जो पद हेतु संबंधित अर्हता/योग्यता रखते हैं) को उनके जिलेवार एवं नामांकन के वरीयताक्रम के आधार पर, संबंधित विभाग को चयन हेतु प्रेषित किये जाते हैं। 3. उपनल द्वारा विभाग से प्राप्त मांग – 01(एक) रिक्त पद के सापेक्ष में 06 (छः) enrolled अभ्यर्थियों के नाम संबंधित विभाग को चयन हेतु प्रेषित किये जाते हैं। 4. विभाग द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों का, विभाग की नियमावली के अनुसार चयन कर उपनल को सूचित किया जाता है।
2.	कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान।	उपनल कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर रु0 1,00,000/- (एक लाख) की अनुग्रह राशि का भुगतान उपनल निधि से करना।	प्राप्तकर्ता, मृतक (उपनल कार्मिक) का विधिक आश्रित होना चाहिए जिसके संदर्भ में अनुग्रह राशि प्राप्त करने हेतु सेवाकाल के दौरान नामांकन किया गया हो।	किसी भी उपनल कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर, आश्रित द्वारा आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपनल, मुख्यालय कार्यालय में यथाशीघ्र प्रेषित किया जायेगा:- (1) कार्मिक का मृत्यु प्रमाण पत्र। (2) संलग्न प्रारूप के अनुसार मृतक कार्मिक के विभाग से सेवा प्रमाण पत्र (service Certificate)। (3) आश्रित का आधार कार्ड। (4) आश्रित का बैंक खाता विवरण (पासबुक की छायाप्रति)। (5) आश्रित का फोटोग्राफ। (6) परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतिलिपि। (7) परिवार रजिस्टर में उल्लेखित अन्य आश्रितों द्वारा 10 रुपये के एफिडेविट पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि पूर्व में उन्हें अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है।

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड



महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01	पालना घर (क्रैच)	कामकाजी दम्पतियों के बच्चों हेतु पालना घर संचालित है। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की आयु वर्ग के बच्चों की दिन भर देखभाल की सुविधा। योजना अंतर्गत योजना के लाभ हेतु निम्नानुसार धनराशि ली जाती है :- बीपीएल परिवार हेतु - 20 रु० प्रति बच्चा प्रतिमाह। रु० 12000/- से कम आय के परिवार हेतु-100/-रु० प्रति बच्चा प्रतिमाह। रु० 12000/- से ऊपर आय के परिवार हेतु-200/-रु० प्रति बच्चा प्रतिमाह।	6 माह से 6 वर्ष के बच्चें।	प्रत्येक जनपद में स्थापित है।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग



उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005 पर दिनांक- 09 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की गयी तथा उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या- 28, सन्-2005 के तहत महिला आयोग का गठन किया गया है। (उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-616/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 देहरादून, 11 नवम्बर, 2005 धारा-1 की उपधारा (3) के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का गठन किया गया)

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का कार्य:-

1. आयोग में पीड़ित महिलाओं द्वारा डाक, ई-मेल एवं व्हाट्स-एप के माध्यम से शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार-पत्र/मीडिया के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आयी घटनाओं पर त्वरित स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाती है।
2. महिलाओं को घरेलू, मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न से मुक्ति के लिए पीड़ित महिला व उसके द्वारा की गयी शिकायत में नामित विपक्षीगणों को बुलाकर, उनके मध्य काउंसिलिंग करवाकर उन्हें उचित परामर्श दिया जाता है तथा लगातार वार्ता कर उत्पीड़न के केस अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है।

3. अगर किसी भी जनपद से किसी महिला/बालिका के साथ छेड़छाड़ या हत्या का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो उस पर आयोग द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित घटना स्थलीय जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से फोन द्वारा सम्पर्क करते हुए जानकारी ली जाती है तथा उन्हें त्वरित जाँच/कार्यवाही करने सम्बन्धी निर्देश भी जारी किये जाते हैं। जांच व सुनवाई के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।
4. किसी सरकारी या गैर-सरकारी विभाग में, यदि कोई महिला कार्यरत है, तथा उसका कार्यस्थल पर शोषण होने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है, तो, उस पर आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए, उस विभाग की कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन-उत्पीड़न निवारण समिति (POSH) द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, उससे सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जाती है एवं आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा पक्षकारों के मध्य काउंसिलिंग प्रक्रिया भी सम्पन्न कराई जाती है।
5. आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त दूरस्थ जनपदों में कानूनी जागरूकता शिविर लगाये जाते हैं, जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 दहेज निषेध अधिनियम-1961, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम-2013, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 इत्यादि की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त मानव तस्करी रोकने सम्बन्धी शिविर, पोषण अभियान, मासिक-धर्म स्वच्छता शिविर, इत्यादि कार्यक्रम भी प्रत्येक वर्ष आयोजित कराये जाते हैं।
6. आयोग द्वारा राज्य के समस्त जनपदों के पुलिस थाना, चौकी, वन स्टॉप सैण्टर, नारी-निकेतन, जिला कारागार, अस्पतालों में बने महिला प्रसूति गृह इत्यादि का औचक निरीक्षण किया जाता है, ताकि वहाँ महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं व सुचारु व्यवस्थायें व उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके।
7. आयोग द्वारा असहाय व पीड़ित महिलाओं को वन स्टॉप सैण्टर एवं नारी निकेतन भेजने हेतु सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर त्वरित कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश भी जारी किये जाते हैं।
8. आयोग द्वारा पीड़ित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाते हैं।
9. आयोग द्वारा जनपद में संचालित नशा मुक्ति केन्द्र एवं स्पा सैण्टरों में पुलिस की सहायता से औचक निरीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।
10. आयोग द्वारा महिला थाना/महिला डैस्क एवं खेल विभाग से सम्बन्धित सेमिनार का आयोजन कराया गया है।

शिकायतों के निवारण प्रक्रिया:- आयोग में लिखित प्रार्थना पत्र डाक/व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज की जा सकती है, इसके अतिरिक्त शिकायत दर्ज के लिए अपनी समस्या को निम्न वेबसाइट/ई-मेल पर दर्ज कर सकती/सकते हैं।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग



उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनांक 19, जून 2002 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में 01 अध्यक्ष, 02 उपाध्यक्ष एवं 09 सदस्य के पद सृजित हैं।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम –2002 की धारा 9(1) के अनुसार मा0 आयोग के निम्न कृत्य हैं—

- (क) उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- (ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षापायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।
- (ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षापायों के प्रभावी कार्यन्वयन के लिये सिफारिश करना।

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षापायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना।

(ज) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना और,

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

(2) सरकार धारा 9(1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगें

(3) आयोग को धारा 9(1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अर्थात्।

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी कार्यालय से कोई लेख अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, और,

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

शिकायतों के निवारण प्रक्रिया:—अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति को आयोग के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत यदि कोई शिकायत दर्ज करानी हो, तो, सम्बन्धित व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा आयोग जांच कराकर सम्बन्धित विभाग से समस्या का निराकरण करायेगा।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून



PROGRAMME

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मुंशी (हाईस्कूल), मौलवी (हाईस्कूल) एवं आलिम (इण्टरमीडिएट) की परीक्षाएँ संचालित करना।	मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राएँ उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे तथा अन्य बोर्ड के छात्र/छात्राओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रहित में अपना योगदान देंगे।	मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राएँ	प्रत्येक वर्ष उक्त परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं में मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राएँ आवेदन करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गयी है।
2.	तहतनिया (कक्षा 1 से 5) फौकानिया (कक्षा 6 से 8) मुंशी/मौलवी (हाईस्कूल) तथा आलिम (इण्टरमीडिएट) आदि की मान्यता प्रदान करना।	प्रदेश के मदरसों को मान्यता प्रदान की जाती है, जिससे मदरसों राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।	(गाइडलाइन अनुसार) के	मान्यता हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों रखी गयी है। बोर्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा मान्यता के लिए आये आवेदनों का जांचोपरान्त चयन किया जाता है।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड



क्र.सं	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वक्फ मॉडर्न मदरसा।	राज्य में निवासरत निर्धन/यतीम/सामान्य श्रेणी के बच्चों को कक्षा-UKG से कक्षा-10वीं तक दीनी/आधुनिक शिक्षा (NCERT पाठ्यक्रम) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना।	राज्य में निवासरत निर्धन/यतीम/सामान्य श्रेणी के परिवारों के बच्चे, जो शुल्क देने में असमर्थ है।	राज्य में स्थित BPL परिवार के निर्धन बच्चे या अन्य सामान्य श्रेणी के बच्चे, जो शुल्क देने में असमर्थ है, वह ऑफलाईन आवेदन कर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं एवं निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर स्कूटनी कर पात्र बच्चों को निःशुल्क दीनी/आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।



उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	मोबाईल लर्निंग सेन्टर	निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु मोबाईल लर्निंग स्कूल का संचालन।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे।	निर्माण स्थलों में कार्य कर रहे श्रमिकों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य हेतु निर्माण स्थलों पर जाकर मोबाईल लर्निंग सेन्टर (बस) के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।
02.	चिकित्सा जाँच सुविधा	निर्माण श्रमिकों की चिकित्सा जाँच सुविधा।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत चिकित्सा जाँच लाभ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से डोर-टू-डोर (Door to Door) जाकर, कैम्प एवं क्लेकेशन सेंटर के माध्यम से चिकित्सा जाँच सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
03.	सामूहिक कन्या विवाह सहायता योजना	रु० 61000/- आर्थिक सहायता देय होगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रु० 10000/- प्रति जोड़े की दर से भुगतान आयोजनकर्ता को किया जाएगा तथा वर एवं वधू की पोशाक क्रय हेतु धनराशि रु० 5000/- प्रत्येक की दर से देय होगी।	पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे, सामूहिक विवाह की दशा में विवाह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।	सामूहिक विवाह हेतु आवेदन निर्धारित तिथि के 15 दिन पूर्व किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा— पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। निर्माण श्रमिकों की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण सामूहिक विवाह योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा। आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लिविंग सार्टिफिकेट/परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/सभासद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो। आवेदक द्वारा इस संबंध में किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न ली गयी हो, का स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र।

WFC (श्रमिक सुविधा केन्द्र) स्थान और पता (गढ़वाल क्षेत्र)-16			
क्र०स०	जिला (District)	स्थान (Location)	WFC सेन्टर का पता (Centre Address)
1.	देहरादून	अजबपुर (दीपनगर)-2	दून यूनिवर्सिटी रोड, नियर नारी निकेतन, देहरादून-248121
		मोहकमपुर	निकट पोस्ट ऑफिस रोड, मोहकमपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड-248005
		विकासनगर	विकासनगर बाड़वाला, देहरादून
		ऋषिकेश	WFC कोर्ट कम्पाउण्ड, ऋषिकेश।
2.	टिहरी गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल	WFC एम0-ब्लॉक, द्वितीय फ्लोर, निकट SBI Bank, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल-249001
3.	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, भानाभार, रूद्रप्रयाग
4.	पौड़ी गढ़वाल	श्रीनगर	मिनी बी0ओ0सी0डब्लू0 ऑफिस, तिवारी मोहल्ला, निकट बस स्टैण्ड श्रीनगर-246174
		कोटद्वार	WFC मोहल्ला जौनपुर निकट डिग्री कालेज, कोटद्वार-246149
5.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	निकट जिला सहकारी बैंक जोशीयारा, उत्तरकाशी।
		पुरोला	निकट नगर पालिका, पुरोला, उत्तरकाशी
6.	चमोली	गोपेश्वर	WFC निकट पेट्रोल पम्प, गोपेश्वर, जिला चमोली-246401
		कर्णप्रयाग	निकट कर्ण, मन्दिर NH Highway कर्णप्रयाग, चमोली।
7.	हरिद्वार	हरिद्वार	सुभाषनगर, निकट ज्वालापुर, त्रिमूर्ति मन्दिर, हरिद्वार-249407
		रूड़की	WFC 651/19, गंगा इन्कलेव, मालवीय चौक, रूड़की-247667
		लक्सर	चौधरी अजब सिंह कॉम्प्लेक्स, लक्सर-हरिद्वार

WFC (श्रमिक सुविधा केन्द्र) स्थान और पता (कुमूँउ क्षेत्र)-17			
क्र०स०	जिला (District)	स्थान (Location)	WFC सेन्टर का पता (Centre Address)
1.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	जिला पंचायत परिषद धारा नोला, अल्मोड़ा-263601
		सल्ट	सल्ट मौलखाल, अल्मोड़ा।
2.	बागेश्वर	बागेश्वर	WFC बस स्टेशन रोड, गोमती होटल बागेश्वर-263642
3.	उधमसिंह नगर	काशीपुर	कार्यालय श्रम विभाग, काशीपुर।
		रुद्रपुर	गांव-जगतपुरा, निकट स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर, उधमसिंह नगर-263153
		किच्छा	उत्तरांचल कालोनी, किच्छा, वार्ड न०-8, श्रम विभाग कार्यालय किच्छा।
		खटीमा	नियर पार्वती मण्डप कंजाबाग रोड, खटीमा।
		बाजपुर	निकट महाराजा होटल, बाजपुर।
		गदरपुर	कुल्हा पो०-मझरा आनन्द सिंह, मजहसन, उधमसिंह नगर-263160
4.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	WFC गीता श्याम सदन, सिनेमा लाईन, पुराना NCC ऑफिस, पिथौरागढ़-262501
		धारचूला	सिनेमा लाईन, नियर संग सुन्दरालय, धारचूला।
5.	चम्पावत	टनकपुर	WFC श्रम विभाग, भट्ट बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, टनकपुर-262309
		चम्पावत	गोरल चौड़ मैदान, निकट सी०एम० कैम्प, चम्पावत
6.	नैनीताल	हल्द्वानी	श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम भवन हल्द्वानी-263139
		लालकुआँ	निकट एवरग्रिन स्कूल, तुलारामपुर, मोटाहल्दू, लालकुआँ, हल्द्वानी
		रामपुर	शिवलालपुर चुंगी, निकट बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर।
		खनस्यू	निकट पुलिस चौकी, खनस्यू।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
विधिक माप विज्ञान विभाग



क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया तथा चयन प्रक्रिया।
1.	बाट—माप तथा तौल यंत्रों के मरम्मतकर्ता का लाइसेंस।	स्वरोजगार के रूप में व्यापारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बाट—माप तथा तौल यंत्रों का	(अ) आई0टी0आई0 (इलेक्ट्रॉनिक्स) अथवा समकक्ष तथा 02 वर्ष का अनुभव। या (ब) डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इन्स्ट्रुमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष तथा 01 वर्ष का अनुभव। या	आवेदक— www.investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) Fcs Legal Metrology का चयन करेंगे। (2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा/रजिस्ट्री की प्रति), शैक्षिक योग्यता व अनुभव का

		मरम्मत कर, मरम्मत शुल्क एवं निर्धारित सरकारी शुल्क प्राप्त कर आजीविका सुनिश्चित करना।	(स) भौतिक विज्ञान सहित बी0एस0सी0 तथा एक वर्ष का अनुभव। या (द) बी0ई0/बी0टैक (इलेक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज, जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं, को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (रु0-100) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात् स्वीकर्ता द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।
2.	बाट-माप तथा तौल यंत्रों के विक्रेता का लाइसेन्स।	स्वरोजगार के रूप में बाट-माप तथा तौल यंत्रों का विक्रय कर आजीविका सुनिश्चित करना।	पात्रता निर्धारित नहीं है।	आवेदक- www.investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) Fcs Legal Metrology का चयन करेंगे। (2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा/रजिस्ट्री की प्रति), बाट माप तथा तौल यंत्रों के केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (रुपये-100) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात् स्वीकर्ता द्वारा ऑनलाइन, लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।
3.	बाट-माप तथा तौल यंत्रों के विनिर्माता का लाइसेन्स।	स्वरोजगार के रूप में बाट माप तथा तौल यंत्रों का विनिर्माण कर आजीविका सुनिश्चित करना।	पात्रता निर्धारित नहीं है।	आवेदक, www.investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) Fcs Legal Metrology का चयन करेंगे। 2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा/रजिस्ट्री की प्रति), बाट माप तथा तौल यंत्रों के केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त Model Approval का प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (रु0-500) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात् स्वीकर्ता द्वारा ऑनलाइन, लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।

उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा-16 के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड का गठन किया गया है।

कार्य—उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किए गए प्राविधानों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों के माध्यम से पोषण से संबंधित योजनाओं यथा खाद्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उचित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना, मध्याह्न भोजन योजना/पी0 एम0 पोषण योजना, जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में दोपहर का पका पकाया भोजन पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है, तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती धात्रियों एवं पात्र बच्चों को उचित पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है, जिसके लिए आयोग द्वारा समय-समय पर राज्य/मण्डल/जिला स्तर के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठकें/स्थलीय निरीक्षण किया जाता है एवं निरीक्षण के दौरान पायी जानी वाली कमियों/खामियों को तत्काल दूर करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आयोग द्वारा शिकायती टोल फ्री न0 18001804190, दूरभाष न0 0135-2669420 एवं ईमेल- uafoodcommission@gmail.com जारी किया गया है। आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित विभिन्न माध्यमों यथा टोल फ्री नम्बर, दूरभाष, ईमेल, डाक, शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्वतः संज्ञान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आयोग में परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्यवाही करते हुए शिकायत का निस्तारण किया जाता है। शिकायत के निस्तारण के दौरान प्रतिवादी के दोषी पाये जाने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 33 के तहत अर्थदण्ड भी आरोपित किया जाता है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड



उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नई दिल्ली में व प्रत्येक राज्य की राजधानी में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित किये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में ‘राष्ट्रीय आयोग’, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में ‘राज्य आयोग’ एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को ‘जिला आयोग’ के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की गयी है। राज्य आयोग एवं जिला आयोग की स्थापना संबंधित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एक अर्द्ध न्यायिक तंत्र है। इनमें उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं में कमी के आधार पर वाद दायर किये जाते हैं, जिनका गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया जाता है। उपभोक्ता वाद/शिकायत के मूल्यांकन के अनुसार जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग में नियत शुल्क का भुगतान करके उपभोक्ता वाद दायर करने की निर्धारित प्रक्रिया/नियम के अनुसार उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया जा सकता है। पांच लाख तक के मूल्यांकन के उपभोक्ता परिवाद पर शुल्क नहीं लगता है।

प्रदेश में राज्य आयोग/जिला आयोगों की स्थापना:—उत्तराखण्ड में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना वर्ष 2002 में हुई है। जिला देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधमसिंह नगर में जिला आयोग पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के समय से स्थापित हैं। जिला रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर में जिला आयोग का गठन वर्ष 2002 में किया गया, इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में जिला आयोगों की संख्या 13 है।

राज्य आयोग/जिला आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यगणों की नियुक्ति का प्रावधान:— उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 में दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे,

- (क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नाम विर्देशित उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश— अध्यक्ष
- (ख) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले के प्रभारी सचिव— सदस्य
- (ग) राज्य के मुख्य सचिव के नामित—सदस्य

कार्य:—यदि मामले (परिवाद/शिकायत) का मूल्यांकन 50 लाख रुपये तक है, तो इसे सम्बन्धित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया जा सकता है, यदि यह मूल्यांकन 50 लाख रुपये से अधिक परन्तु 2 करोड़ रुपये तक है, तो, इसे सम्बन्धित राज्य के राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया जा सकता है। यदि मूल्यांकन 2 करोड़ रुपये से अधिक है तो, इसे सीधे माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में दायर किया जा सकता है। वाद/शिकायत का मूल्यांकन धनराशि रुपये पांच लाख से अधिक होने की स्थिति में मूल्यांकन के अनुसार कोई भी व्यक्ति (आवश्यक निर्धारित शुल्क के साथ) व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग/राज्य उपभोक्ता आयोग या माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में उपभोक्ता मामला/वाद दायर कर सकता है। यह भी उल्लेख करना है कि जिला आयोग द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध/असंतुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर डिक्रीत धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि (Statutory amount) जमा करने के पश्चात् ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कर सकता है। इसी प्रकार राज्य आयोग द्वारा उपभोक्ता परिवाद (Consumer Complaint) में पारित आदेश से क्षुब्ध/असंतुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर डिक्रीत धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि (Statutory amount) जमा करने के पश्चात् ऐसे आदेश के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है तथा राज्य आयोग द्वारा अपील में पारित आदेश से क्षुब्ध/असंतुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय आयोग में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

उपभोक्ता परिवाद एवं अपील का निस्तारण यथासम्भव तीन माह (90 दिन) में किये जाने का प्रावधान है।

शिकायतों के निवारण संबंधी :- वर्तमान में जिला आयोग में ऑन-लाईन E-Daakhil पोर्टल के माध्यम से भी वाद दायर करने की सुविधा है। राज्य उपभोक्ता आयोग उत्तराखण्ड में दिनांक 01.06.2023 से ऑन-लाईन E-Daakhil पोर्टल से वाद दायर करना अनिवार्य है। साथ ही वादों की सुनवाई पक्षकार व अधिवक्तागण Virtual mode से भी कर सकते हैं। वादों का निस्तारण ऑन-लाईन प्रक्रिया से गतिमान है।

गृह (पुलिस) विभाग, उत्तराखण्ड



साइबर क्राइम

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन/साइबर थाना प्रदेश में साइबर चुनौतियों से निपटने हेतु अग्रणीय पुलिस बल है, वर्तमान में एसटीएफ के अधीन साइबर के दो थाने हैं, जो गढ़वाल व कुमायूँ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होने वाले साइबर अपराधों के विरुद्ध निरोधात्मक/विवेचनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ जनपद स्तर पर अभियोगों के अनावरण में भी तकनीकी सहायता प्रदान करते रहते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा समय-समय पर नई-नई तकनीक से साइबर अपराधों को कारित किया जाता है, जिस हेतु साइबर थाने द्वारा ही नये अपराधों के करने की चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक एवं नई तकनीक की जानकारी के लिये अनुसंधान किया जाता है, उसके पश्चात् उक्त तकनीक को अपराधों को अंकुश लगाने में प्रयोग किया जाता है।

वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा अपराध के नये-नये तरीके अपनाये जा रहे हैं, साथ ही साइबर अपराध के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नयी-नयी तकनीकों का विस्तार हो रहा है, समाज में व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आज की दुनिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इंटरनेट के उपयोग से पूर्ण व सुरक्षित रखे जा रहे हैं। मोबाईल, कम्प्यूटर, सोशल मीडिया आदि ने आपसी सम्पर्कों के साथ-साथ आर्थिक लेनदेन को भी बहुत ही सुगम बना दिया है। वर्तमान सरकारें भी साइबर निर्भरता को बढ़ावा दे रही हैं। जहां एक ओर आम आदमी द्वारा घर बैठे दुनिया में कहीं भी पल

भर में बैंकिंग, ई-शॉपिंग के माध्यम से अपने रोजमर्रा के कार्य किये जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधियों की भी पहुंच आम आदमी, सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठान/संस्थान तक बहुत ही आसान हो गयी है, जिसका फायदा उठाते हुये साइबर की जानकारी रखने वाले अपराधी देश-विदेश के सुदूर कोनों से भी उस व्यक्ति व संस्थानों की गोपनीय जानकारियां लेकर प्रतिरूपण करते हुये आर्थिक व सामाजिक साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में साइबर क्राईम पुलिस पर यह विशेष जिम्मेदारी आ जाती है कि वह ऐसे साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी की जानकारी रखते हुये साइबर अपराधियों तक पहुंचकर ऐसे नित नये तरीकों से हो रहे साइबर अपराधों की रोकथाम व अनावरण करे।

वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा साइबर अपराध हेतु मुख्य रूप से अपनाई जा रही Modus Operandi-

1. QR Code स्कैन फ्रॉड,
2. ऑनलाईन जॉब/टास्क फ्रॉड,
3. OLX एप फ्रॉड,
4. फेक कस्टमर केयर/गुगल हैल्प लाईन फ्रॉड,
5. केवाईसी/ईनाम/लॉटरी फ्रॉड,
6. अनऑथराइज्ड एक्सेस/OTP फ्रॉड,
7. ऑनलाईन ट्रेडिंग/इनवेस्टमेंट फ्रॉड,
8. इन्श्योरेंस पॉलिसी/लोन एप फ्रॉड,
9. विदेश से गिफ्ट भेजने/विदेशी मुद्रा का लालच देकर,
10. मैट्रोमोनियल फ्रॉड,
11. कोरियर पार्सल/AI फ्रॉड,
12. डिजीटल ऐरेस्ट/हाउस ऐरेस्ट,
13. Black Mail/Sextortion]
14. Fake ID/Defame इत्यादि।

“उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयास”

- 1— गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश-निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य, देहरादून में साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर साइबर क्राईम सम्बन्धित सहायता हेतु **साइबर हेल्प लाईन 1930** का गठन किया गया है। जिसमें कुशल कर्मियों का चयन कर 24x7 कार्य करते हुये प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु रिस्पॉन्स टाइम निर्धारित कर, त्वरित कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
- 2— एस0टी0एफ0/साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर साइबर क्राइम प्रशिक्षण का विशेष अभियान चलाकर उत्तराखण्ड पुलिस के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी गण को प्रशिक्षित किया गया है।
- 3— साइबर अपराधियों द्वारा नये-नये तरीके अपनाकर अपराध कारित किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम हेतु Modus Operandi के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर कर्मियों को समय-समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- 4— एस0टी0एफ0/साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड द्वारा आम जनता को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाने एवं जागरुक करने हेतु नियमित रूप से साइबर सुरक्षा एवं जागरुकता कार्यक्रम चलाकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल आदि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, अन्य विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों एवं विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों, वर्कर्स को जागरुक/प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- 5- इसके अतिरिक्त साइबर जागरूकता एवं साइबर अपराध की रोकथाम हेतु फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर सुरक्षा टिप्स साझा किये जा रहे हैं एवं बैनर, होल्डिंग, पैम्फलेट्स आदि विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्री के माध्यम से भी साइबर जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

महिला/बच्चों की सुरक्षा हेतु किये जा रहे कार्य

महिलाओं/बालिकाओं के प्रति घटित अपराधों की रोकथाम एवं घटना घटित होने पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना “गौरा शक्ति योजना” लागू की गयी है, इसके अन्तर्गत प्रदेश में एक त्रिस्तरीय सहायता तंत्र, थाना स्तर पर महिला डेस्क, जनपद स्तर पर महिला सुरक्षा हेल्प लाइन एवं महिला काउंसिलिंग सेल तथा राज्य स्तर पर राज्य महिला सुरक्षा हेल्प लाइन का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उक्त त्रिस्तरीय तंत्र को संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ करने, कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने, महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उन्हें आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के साथ ही प्रत्येक स्तर पर पुलिस अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के अन्तर्गत गौरा शक्ति योजना का क्रियान्वयन

- 1- प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क के अन्तर्गत QRT (Quick Reaction Team) का गठन किया गया है। थाने पर महिला सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर QRT द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर first responder की भांति कार्य करते हुये, पीड़िता को हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है।
- 2- महिला अपराधों के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों Hot Spot का चिन्हिकरण, Hot Spot में सीसीटीवी/लाइट की व्यवस्था एवं Hot Spot की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।
- 3- स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थानों के खुलने एवं बन्द होने के समय चीता/महिला चीता/सी0पी0यू0 द्वारा नियमित पेट्रोलिंग।
- 4- प्रभारी महिला हेल्प डेस्क एवं अन्य चार आरक्षियों की एक टीम “टीम गौरा” का गठन किया गया है, जो समस्त छात्र-छात्राओं को सुरक्षा/ड्रग्स/यातायात नियम/साइबर अपराध आदि के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसको और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से लगभग 3,000 जागरूक पुस्तिका जनपदों को वितरित की गयी है।
- 5- दिनांक 20 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक सभी जनपदों से “टीम गौरा” में नियुक्त कुल 35 महिला कर्मियों को Self Defense Instructor Course (Level-I) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है इसी क्रम में इन्ही महिला कर्मिकों को Level-II प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलित है। इन प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मिकों द्वारा जनपदों में नियमित रूप से छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु टेक्निक सिखाये जाने के लिए स्कूल/कॉलेज आदि में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पुलिस एप के अन्तर्गत “गौरा शक्ति मॉड्यूल” बनाया गया है, जिसमें पंजीकरण के पश्चात् पंजीकरणकर्ता सम्बन्धित थाने की Mapped Women Police Officer के साथ वन-टू-वन सम्पर्क में रहती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत एस0ओ0पी0 तैयार कर सर्वसम्बन्धित को मुख्यालय स्तर से प्रशिक्षित भी किया गया है। समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों को एक पृथक से मो0नं0 भी आबंटित किया गया है। इस एप के माध्यम से महिलायें आसानी से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा रही है।

महिलाओं/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराध की सूचना अथवा उनकी शिकायत आसानी से दर्ज किये जाने हेतु पुलिस विभाग द्वारा 24x7 निम्नलिखित प्लेटफार्म उपलब्ध कराये गये हैं:-

- 1- डायल 112, जिसमें 24x7 प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी नियुक्त।
- 2- पुलिस मुख्यालय स्तर पर Whatsapp No- 9411112780
- 3- प्रत्येक थाने पर “महिला हेल्प डेस्क”।
- 4- Uttarakhand Police App "Gaura Shakti Module"/SOS

5- थाना/चौकी।

राज्य में प्रत्येक थाना महिला फ्रेंडली बनाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक थाने पर कम से कम 01 महिला उपनिरीक्षक एवं 04 महिला आरक्षी की तैनाती की गयी है।

उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 के तहत प्रतिकर सहायता धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही महिला पीड़ितों हेतु उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 लागू की गयी है।

अपराध पीड़ितों को उपरोक्त दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिकर धनराशि भुगतान किये जाने हेतु पीड़ितों को सहयोग प्रदान करने एवं आवश्यकतानुरूप सम्बन्धित विभागों से समन्वय किये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के दृष्टिगत महिला यौन अपराधों की विवेचना महिला अधिकारी द्वारा ही की जाती है। महिलाओं के प्रति घटित यौन अपराधों में गुणवत्तात्मक विवेचना हेतु मुख्यालय स्तर से विस्तृत एसओपी एवं निर्देश से सम्बन्धित पुस्तिका प्रकाशित कर समस्त महिला विवेचकों को आवंटित की गयी है। महिलाओं के प्रति घटित यौन अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के उद्देश्य से जनपदों को आवश्यकतानुरूप Sexual Assault Evidence Collection Kits (SAEC Kits) उपलब्ध करायी जा रही है।

बलात्संग एवं बलात्संग के साथ पोक्सो के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जा रहा है। ITSSO Portal के अनुसार प्रदेश का बलात्संग एवं बलात्संग के साथ पोक्सो अधि० के अभियोगों का 02 माह में निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है।

प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में “विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)” एवं प्रत्येक थाने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) की नियुक्ति की गयी है।

प्रत्येक जनपद में बाल मित्र थाना स्थापित किये गये हैं।

भिक्षावृत्ति उन्मूलन आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरण

गुमशुदा बच्चों, महिला व पुरुषों की तलाश हेतु दिनांक 01-05-2024 से दिनांक 30-06-2024 तक “ऑपरेशन स्माइल” अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 465 बच्चे, 391 पुरुष व 514 महिलाओं (कुल 1370 गुमशुदा) को बरामद किया गया। “ऑपरेशन स्माइल” अभियान में वर्ष 2015 से अब तक कुल 5981 गुमशुदाओं को बरामद किया गया।

बच्चों द्वारा की जा रही अथवा करायी जा रही भिक्षावृत्ति, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, बच्चों को अपराध में संलिप्त होने से रोकने एवं उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने हेतु दिनांक 01-03-2024 से दिनांक 31-03-2024 तक “ऑपरेशन मुक्ति” अभियान चलाया गया, जिसमें 892 बच्चों का सत्यापन किया गया तथा 378 बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया गया। “ऑपरेशन मुक्ति” अभियान में वर्ष 2017 से कुल 8562 बच्चों का सत्यापन किया गया तथा कुल 3981 बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया गया। प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु प्रत्येक जनपद में “भिक्षावृत्ति नियंत्रण यूनिट” गठित की गयी है।

ड्रग्स के खिलाफ अभियान

नशामुक्ति एक महत्वपूर्ण मानविक उद्देश्य है, जिसका मकसद व्यक्ति और समाज को नशे की बुराई से मुक्त करना है। नशा मुक्ति के अर्थ, महत्व, कारण और उपायों में “नशा मुक्ति” का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समाज को नशे से मुक्त करना, अर्थात् नशे का सेवन करने से बचाव या उसकी नशे को दूर करने का प्रयास है और साथ ही साथ व्यक्ति या समाज की स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली को प्राथमिकता देना और नशे के हानिकारक प्रभावों से बचाव करना होता है।

नशा मुक्ति का महत्व न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन के लिए है, बल्कि समाज के विकास के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नशे का सेवन समाज में अपराध, गरीबी और परिवारों के टूटने का प्रमुख वजह है। नशे के कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करना है और उनके सम्बन्धों को भी क्षति पहुँचाता है। नशामुक्ति के उपायों में शिक्षा, सशक्तिकरण और चिकित्सा सहायता शामिल होती है। समाज में जागरूकता फैलाने और नशे के सेवन को रोकने के लिए कई प्रमुख पहलुओं पर काम किया जाना होगा। नशामुक्ति हमारे समाज के विकास के लिए आवश्यक है, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम नशे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करें और अपने समाज को नशे के हानिकारक प्रभावों से बचाने में सहयोग करें।

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा दिये मिशन “**ड्रग फ्री देवभूमि 2025**” पर कार्य किये जाने की परिकल्पना को साकार करने हेतु प्रदेश में मादक पदार्थों के उपयोग व प्रचलन को नियन्त्रण में रखे जाने तथा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं कारोबार की रोकथाम तथा प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य में अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में “**एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF)**” का गठन किया गया है।

मादक पदार्थ की तस्करी, बिक्री आदि में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही-

राज्य में मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं की बिक्री, तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध विगत 02 वर्षों (2022 से 2024 माह जुलाई तक) में 5331 अभियोगों में 4481 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 5229.46 कि०ग्राम मादक पदार्थ एवं 1002118 नशीली (संख्यात्मक विवरण) टेबलेट्स/इजेक्शन/कैप्सूल बरामद की गई, जिसकी अनुमानित मूल्य-196 करोड़ से अधिक है।

आदतन ड्रग तस्करों के विरुद्ध PIT NDPS Act के अन्तर्गत कार्यवाही-

विगत 03 वर्षों में 04 अभियुक्तों के विरुद्ध PIT NDPS Act के अन्तर्गत कार्यवाही की गई

वित्तीय विवेचना (Financial Investigation)-

मादक पदार्थ में सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करके अभियुक्त द्वारा अर्जित सम्पत्ति की वित्तीय विवेचना (Financial Investigation) की गई, जिसमें विगत 03 वर्षों में राज्य में 10 अभियोगों में 3 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति सीज/फ्रीज की गई।

नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता (Awareness)-

झुगगी झोपड़ी, मलिन बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-2 शहरी/ग्रामीण क्षेत्र शैक्षणिक संस्थान स्कूल/कॉलेजों में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों तथा सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। विशेष अभियान के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम 700, गोष्ठी-983, पम्पलेट/पोस्टर-49158, फ्लैक्सी बोर्ड-193, स्टीकर-19306, होल्डिंग-94, बैनर-262, स्कूल/कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम-393 जिसमें लगभग-48314 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा इसी अवधि में सम्बन्धित अभिभावकों की उपस्थिति में 1792 व्यक्तियों की कॉउन्सिलिंग भी की गयी।

De-addiction-

राज्य सरकार द्वारा कुमायूँ एवं गढ़वाल परिक्षेत्र में 1-1 नशामुक्ति एवं पुर्नवास केन्द्र स्थापित किये जाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है, जहाँ पर ड्रग एडिक्ट को उचित इलाज हेतु प्रेरित किया जायेगा।

साइबर हेल्प न0

- 1930

महिला अपराध Whatsapp No- 9411112780

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं



उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं

उत्तराखण्ड अग्निशमन सेवा विभाग 9 नवम्बर 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना के साथ ही अस्तित्व में आया। इस विभाग ने आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त अग्निशमन गतिविधियों और जीव-जंतुओं की सुरक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अग्निशमन सलाहकार द्वारा जारी दिनांक 22/10/2003 के आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड अग्निशमन विभाग का नाम बदलकर उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों में 30 अग्निशमन केन्द्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 5 अग्निशमन केन्द्रों/इकाइयों की स्थापना के साथ, वर्तमान में उत्तराखण्ड में अग्निशमन केन्द्रों की कुल संख्या 48 अग्निशमन केन्द्रों एवं इकाइयों तक पहुंच गई है।

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग के कार्य:-

- (क) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक, आवासीय, शैक्षिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठान, भण्डारण, पावर हाउस, कल कारखानों एवं तेल गैस डिपो में लगी आगों को विभाग में नियुक्त कार्मिकों द्वारा बुझाया जाता है।
- (ख) उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वनों में घटित आग की घटनाओं को, विभाग में नियुक्त कार्मिकों द्वारा भी बुझाया जाता है।
- (ग) विभिन्न प्रकार की आपदा जैसे दैवीय आपदा, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, वाहन दुर्घटना, नदियों में फंसे व्यक्तियों एवं जीवों को रेस्क्यू से सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं।

(घ) अतिवृष्टि के कारण व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भरे पानी निकासी करना, तेज आंधी से सड़कों एवं भवनों के ऊपर गिरे पेड़ों को काटकर हटाते हुए भवन को सुरक्षित करना एवं सड़क मार्ग को यातायात हेतु निर्बाधित किया जाता है।

(ङ) राजभवन, मा० मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय, वीवीआईपी वीआईपी मेला, जुलूस प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन आदि में अग्निशमन एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित की जाती है।

(च) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्ड की घटनाओं में कमी लाने हेतु अग्निशमन कार्मिकों द्वारा अग्निजोखिम युक्त औद्योगिक संस्थानों यथा तेल एवं गैस डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, लीसा डिपो, शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अग्नि, मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, तथा विभिन्न संस्थानों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा अग्निसुरक्षा सम्बन्धित जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं।

(छ) प्रदेश के हेलीपेड/हेलीपोर्ट्स में हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की लैंडिंग/टेक-ऑफ में अग्निसुरक्षा ड्यूटी सम्पन्न की जाती है।

सेवा का अधिकार के तहत उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग द्वारा वर्तमान में जारी सेवाओं का विवरण:-

क्र. सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	पेट्रोल पम्प/सिनेमा हॉल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी, थानाध्यक्ष/अग्नि शमन अधिकारी	15 दिवस	क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	सल्फर की बिक्री के लिए लाईसेंस	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	07 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	पटाखों की बिक्री के लिए लाईसेंस	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	07 दिवस	क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	अग्निशमन सेवाओं के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध (1) सार्वजनिक समारोह के आयोजन हेतु (2) अन्य प्रयोजनों हेतु	प्रभारी / थानाध्यक्ष	15 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी / क्षेत्राधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

1. अन्य कार्य-

- नवसृजित 15 फायर स्टेशनों के अग्निशमन अधिकारी Portal को Live किया गया।
- Single Window Portal पर Online Fire Pendency को Update कर Zero Pendency पर लाया गया।
- अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं में नवसृजित होने वाले फायर स्टेशन में कार्मिक वाहन मशीन के मानक निर्धारण संबंध में शासनादेश संख्या 126741/XX-3/2023-03 (फायर)/2005, टी०सी० दिनांक 01.06.2023 को निर्गत किया गया है।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून की स्थापना राज्य पुलिस अधिनियम 2007 (यथासंशोधित 2018) के अन्तर्गत वर्ष 2018 में की गई है। प्राधिकरण में मा0 उच्च न्यायालय के सेनानिवृत्त न्यायाधीश, प्राधिकरण के मा0 अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल व कुमाऊँ मण्डल गठन किया गया है। जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गढ़वाल मण्डल, देहरादून के 07 जनपदों, क्रमशः—हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली तथा कुमाऊँ मण्डल के 06 जनपदों, क्रमशः— नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, चम्पावत एवं अल्मोड़ा तक है। इसका क्षेत्राधिकार समस्त उत्तराखण्ड में रहेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य:-

- (क) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करेगा।
- (ख) प्राधिकरण, उसके द्वारा सीधे प्राप्त अपचार की शिकायतें, आगे कार्यवाही के लिये राज्य सरकार के गृह विभाग को अग्रसारित करेगा। परन्तु यह कि गुमनाम शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
- (ग) प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध “गम्भीर अवचार” की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपों की जांच कर सकेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियाँ:-

- 1— प्राधिकरण मामले में किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है।
- 2— ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा सीधे जांच की जा रही हो, प्राधिकरण जांच पूर्ण होने पर, अपने निष्कर्ष से राज्य को, सूचित करेगा, जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी होगी। यदि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा किसी अपचारी पुलिस कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित अपचारी द्वारा उसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के अनुसार सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

शिकायतकर्ता के अधिकार:-

- (1) कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारियों (अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों) के किसी अवचार अथवा गम्भीर अवचार से सम्बन्धित शिकायत प्राधिकरण में दर्ज करा सकता है।
- (2) उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गयी है, वह विभागीय जांच की किसी अवस्था में जांच प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब के विषय में प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।
- (3) शिकायतकर्ता की जांच प्राधिकारी (सम्बन्धित पुलिस प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण) द्वारा जांच प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचित किया जाने का अधिकार होगा। जांच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को उसके निष्कर्षों के सम्बन्ध में यथा शीघ्र सूचित जायेगा।

शिकायतों के निवारण प्रक्रिया:- आम जनता राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक के माध्यम से/ईमेल के माध्यम से तथा व्हट्सअप के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

कार्यालय का पता — राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 28 पार्क रोड लक्ष्मण चौक निकट दीप लॉज देहरादून।

फोन न0— 0135-2520317, 3558209 **ईमेल—** spcattarakhand@gmail.com **वेबसाइट —** <https://www.spcattarakhand.com>

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, (गढ़वाल) मण्डल, देहरादून में तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, (कुमाऊँ) मण्डल, नैनीताल की स्थापना उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत वर्ष 2018 में की गई है। प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गढ़वाल मण्डल के 07 जनपदों, क्रमशः—हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली तक है तथा कुमाऊँ मण्डल के 06 जनपदों, क्रमशः—नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, चम्पावत एवं अल्मोड़ा तक है।

कार्यः—प्राधिकरण का गठन जिस उद्देश्य से किया गया है, उससे एक ओर पुलिसकर्मी विधि अनुसार कार्य करने को प्रतिबद्ध होते हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस के प्रति आम जनता में विश्वास की भावना में भी बढ़ोत्तरी होती है।

शिकायतकर्ता के अधिकारः—पुलिस कॉस्टेबल से लेकर क्षेत्राधिकारी/पुलिस उपधीक्षक पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उनके द्वारा आम जनता के सन्दर्भ में किये गये ‘अपचार’ तथा ‘गम्भीर अपचार’ से सम्बन्धित शिकायतें सुनी जाती हैं। नियमानुसार दोनों पक्षकारों का पक्ष सुनने के उपरान्त प्राधिकरण के स्तर से उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया जाता है। यदि प्राधिकरण स्तर से पारित आदेश में किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध दण्ड की संस्तुति की जाती है, तो उसे शासन के गृह विभाग को भेजा जाता है।

शिकायतों के निवारण प्रक्रियाः— आम जनता जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, गढ़वाल, मण्डल देहरादून/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक के माध्यम से/ईमेल के माध्यम से तथा व्हाट्सअप के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड,

जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून

E-mail-igprisonsuk@gmail.com, ig-jail-uk@nic.in

राज्य की कारागारों में निरुद्ध बंदियों में सुधार, उनके पुनर्वास तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु कारागारों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में बंदियों को नियोजित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों द्वारा बंदियों में कार्य कुशलता, आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन का भाव जगाना तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर समाज में पुनः तालमेल बनाकर/पुनर्वास हेतु तैयार करना है। साथ ही बंदियों में अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था को रोकना, उनमें नैतिकता का स्तर बनाए रखना तथा उनमें संस्थागत अनुशासन को प्रोत्साहन देना है। कारागार से रिहाई के बाद बंदियों के लिए रोजगार या स्वरोजगार का अवसर विकसित किया जाता है, जिससे बंदी भविष्य में कारागार से रिहा होने पर अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हो सके। कारागारों में कौशल विकास कार्यों में नियोजित बंदियों को उचित पारिश्रमिक भी प्रदान किया जा रहा है। कारागारों में बंदियों को कुशल बनाने हेतु विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम यथा सिलाई, कारपेंटरी उद्योग, गमला, दरी, कारपेंटरी उद्योग (वैन्कों यूनिट) लूफा यूनिट, कारागार सेलून, हेण्डलूम यूनिट, फर्नीचर यूनिट, मशरूम, कार्यशाला, वेल्डर, पेन्टर, प्लम्बर, लुहार, कम्प्यूटर संचालन आदि की व्यवस्था प्रचलित है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान देहरादून (शिक्षा विभाग)



1) उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान-

उत्तराखण्ड में निवास करने वाले साहित्यकार/विद्वान/भाषाविद्वों को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करने एवं साहित्य सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं हिन्दी, उर्दू पंजाबी व लोकभाषा/बोली (गढ़वाली, कुमांउनी, जौनसारी व अन्य बोलियों) के साहित्य हेतु प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान, उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार, उत्तराखण्ड साहित्य नारी वंदन पुरस्कार, बाल साहित्य लेखन सम्मान, उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार एवं साहित्यिक पत्र-पत्रिका लेखन पुरस्कार तथा उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदयमान सम्मान प्रदान किया जाता है। जिसमें चयनित साहित्यकारों को पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान के लिए राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि तक अपनी प्रकाशित पुस्तकों के सभी अंकों की 4-4 प्रतियाँ के साथ जमा करना होता है। उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत 07 प्रकार के पुरस्कार दिये जाने प्रस्तावित हैं-

क्र.स.	सम्मान का नाम	संख्या	सम्मान राशि
1.	उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान	01	5,00,000
2.	उत्तराखण्ड दीर्घ कालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार	06	1,51,000
3.	उत्तराखण्ड साहित्य नारी वंदन सम्मान	01	1,51,000
4.	बाल साहित्य लेखन पुरस्कार	01	1,51,000
5.	उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार	07	1,00,000
6.	साहित्यिक पत्र-पत्रिका लेखन पुरस्कार	01	1,00,000
7.	उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदयमान पुरस्कार	04	50,000

(2) हिन्दी दिवस समारोह एवं प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना –

हिन्दी दिवस समारोह पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में हिन्दी, उर्दू, पंजाबी विषय एवं उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् हरिद्वार द्वारा पूर्वमध्यमा (हाईस्कूल), उत्तरमध्यमा (इण्टरमीडिएट) में हिन्दी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं, तथा उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून से हाईस्कूल (मुंशी) में अरबी हाईस्कूल (मौलवी) में फारसी एवं इण्टरमीडिएट (आलिम) के फारसी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कृत छात्र/छात्राओं को पुरस्कार के रूप में पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

(3) भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन-

प्रदेश में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार एवं संवर्द्धन करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन के अंतर्गत प्रथम वर्ग-कक्षा 06 से 08 एवं द्वितीय वर्ग- कक्षा-09 से 12 हेतु राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसमें उत्तराखण्ड में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राएं को स्वरचित विभिन्न विधाओं कविता, निबंध, नाटक, कहानी एवं यात्रा वृत्तांत आदि लिखकर संस्थान को ई-मेल अथवा डाक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यालय में जमा किये जाते हैं। उक्त प्रतियोगिता में प्रत्येक विधा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सात्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार राशि एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाते हैं।

(4) विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान-

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे साहित्यकार जो धनाभाव के कारण अपने साहित्य का प्रकाशन नहीं कर पाते हैं, ऐसे परिस्थिति में श्रेष्ठ विद्वानों के साहित्य का प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है। जिसमें संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना के लिए राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें आवेदन का प्रारूप संलग्न होता है। आवेदक को आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि तक पाण्डुलिपियों के साथ संस्थान कार्यालय में जमा किया जाना होता है। जिसमें प्राप्त आवेदनों की जांच, उपयोगिता भाषा शैली आदि का गहन अध्ययन कर चयनित पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आंशिक आर्थिक अनुदान हेतु चयनित किया जाता है। प्रकाशन के उपरान्त साहित्यकार द्वारा प्रकाशित 05 प्रतियां संस्थान पुस्तकालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। उक्त योजना के हिन्दी, गढ़वाली व कुमांउनी भाषा के उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु वर्ष -2023 -2024 में 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा परियोजना, उत्तराखण्ड



समग्र शिक्षा परियोजना

क्र.स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	निपुण भारत मिशन उत्तराखण्ड	राज्य के सभी विद्यालयों में प्रवेश के अनुरूप कक्षा 01 में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।	आयुवर्ग 3 से 9 के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की सम्प्राप्ति सुनिश्चित कराना।	निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना है जिससे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक अर्जन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य के सभी विद्यालयों में प्रवेश के अनुरूप कक्षा 01 में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

02.	रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण	निःशुल्क आत्मरक्षा की तकनीक का प्रशिक्षण।	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं	राज्य के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण (जूडो, करांटे, मार्शल आर्ट एवं बॉक्सिंग) से प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक चयनित विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालिकाएं।
03.	समावेशित शिक्षा	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से कक्षा-12 तक सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु एस्कार्ट सुविधा, गृह आधारित शिक्षा, स्पोर्ट्स एवं एक्सपोजर विजिट, गर्ल्स स्टाईपेंड तथा निःशुल्क उपकरण आदि प्रदान किये जाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु चिन्हांकन एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की आवश्यकतानुसार निःशुल्क रूप से सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं।	6 से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों को समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।	शैक्षिक-सत्र प्रारम्भ होने पर विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत विशेष शिक्षकों द्वारा दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन किया जाता है। तदोपरान्त समीपस्थ विद्यालयों में बच्चे का नामांकन किया जाता है।
04.	सामुदायिक सहभागिता	सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में जन समुदाय की सक्रिय सहभागिता हेतु SMC/SMDC का गठन किया जाता है, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जन समुदाय को पुरस्कृत तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जाते हैं। सपनों की उड़ान कार्यक्रम द्वारा जन-जन तक नवाचारी कार्यों एवं उत्कृष्ट कार्यों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।	SMC/SMDC सदस्यों हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम डायट द्वारा सम्पन्न किया जाता है। सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बैनर, फ्लेक्स, रेडियो के माध्यम से उत्कृष्ट नवाचारी कार्यों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।	शैक्षिक-सत्र प्रारम्भ होने पर विद्यालयी स्तर पर SMC/SMDC का गठन किया जाता है, तथा सम्पूर्ण सत्र में SMC/SMDC सदस्यों की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती है।
05.	गुणवत्ता एवं नवाचार निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक	प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को लागू करते हैं, के कक्षा 1 से	राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसों, जो राज्य सरकार के पाठ्यक्रम को लागू करते हैं, में अध्ययनरत	कोई चयन प्रक्रिया नहीं है उल्लिखित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जाती है।

		8 तक के बालकों एवं बालिकाओं (All Boys & All Girls) को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाती है।	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राएँ।	
06.	निःशुल्क गणवेश	राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं (जिसमें सभी वर्ग की बालिकाएँ, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बालक व बी0पी0एल वर्ग के सामान्य बालक सम्मिलित हैं) को निःशुल्क गणवेश के अन्तर्गत प्रति छात्र ड्रेस के दो सेट DBT/SMC के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं।	कक्षा 1-8 में अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाएँ, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बालक व बी0पी0एल0 वर्ग के सामान्य बालक।	कोई चयन प्रक्रिया नहीं है। कक्षा 1 से 8 तक के अर्हता रखने वाले सभी छात्र-छात्राओं को गणवेश या इससे सम्बन्धित धनराशि दी जाती है।
07.	Maths Wizard & Spelling Genius	भारत सरकार द्वारा AWP-B वर्ष 2023-24 में कक्षा 5 के छात्र-छात्राओं की गणित व अंग्रेजी विषय में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालय, ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर छात्र-छात्राओं हेतु Maths Wizard एवं Spelling Genius प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए उनका उत्साहवर्द्धन किया गया।	राजकीय विद्यालयों के कक्षा 5 के छात्र-छात्राएँ	ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से प्रथम, द्वितीय व तृतीय का चयन।
08.	कला उत्सव प्रतियोगिता	कला उत्सव प्रतियोगिता को जनपद स्तर से राज्य स्तर तक क्रियान्वित करने में सहयोग एवं समन्वयन किया गया। वर्ष 2023-24 में राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन जनपद हरिद्वार द्वारा किया गया। 10 विधाओं में बालक व बालिका वर्ग से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल 20 छात्र-छात्राओं द्वारा राज्य की ओर से बालभवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। उत्तराखण्ड राज्य से दो प्रतिभागियों कु0 नीता दुसाद, जनपद बागेश्वर (विधा स्थानीय खेल-खिलौने) एवं परखर जोशी जनपद ऊधमसिंह नगर (विधा वाद्य यंत्र संगीत) द्वारा क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया गया।	कक्षा 9 से 12 के छात्र-छात्राएँ	जनपद, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के माध्यम से

09.	Enhancement of Spoken English Programme	राज्य के सभी जनपदों के कुल 109 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 39000 छात्र-छात्राओं हेतु Enhancement of Spoken English कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया।	109 चयनित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 के 39000 छात्र-छात्राएँ।	नेट कनेक्टिविटी, छात्र-संख्या, आनलाइन कार्यक्रम हेतु Device की उपलब्धता आदि के आधार पर चयनित 109 विद्यालयों के सभी छात्र-छात्राएँ।
10.	यूथ एवं ईको क्लब	- विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएँ, प्लास्टिक का उपयोग रोकना, किचन-गार्डन, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, कूड़ा-प्रबन्धन, स्वच्छता एवं जल-संरक्षण आदि से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन किया गया- 1. Bagless Day and Environment Friendly Awareness. 2. Awareness Through Skits and Plays. 3. Poster makings, Paintings, Slogan writing etc. Competition and "Say No" to Single Use plastic. 4. Cleaning Drives of the School and Surrounding and Keeping Toilets Usable. 5. Composting Food Waste in the School. 6. Planting of Trees in Schools.	सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक राजकीय विद्यालय।	कोई चयन प्रक्रिया नहीं सभी विद्यालय सम्मिलित।
11.	विद्या समीक्षा केन्द्र	उत्तराखण्ड का “विद्या समीक्षा केंद्र” केंद्र सरकार की एक मुख्य योजना है। इस योजना के तहत डेटा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी शिक्षा प्रणाली में क्रांति लायी जा रही है। 1. उत्तराखण्ड में विद्या समीक्षा केंद्र का प्रारम्भ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में 12 सितम्बर 2023 को किया गया। 2. विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सीखने, शिक्षकों को बेहतर सिखाने और अधिकारियों को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।	समस्त राजकीय विद्यालय, सभी राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राएँ एवं शिक्षक	कोई चयन प्रक्रिया नहीं सभी विद्यालय सम्मिलित।

		3. विद्या समीक्षा केन्द्र स्विफ्टचैट एप का उपयोग करता है जिसमें हमारे उपयोगकर्ता चैट करते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। विद्या समीक्षा केन्द्र के तहत उत्तराखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शिक्षा में बेहतरी के लिए परख कार्यक्रम लाया गया है जिसमें वे साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं एवं स्वमूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण वीडियो प्राप्त करते हुए स्वयं को बेहतर बनाते हैं। 4. उत्तराखण्ड का विद्या समीक्षा केंद्र बस एक डेटा केंद्र नहीं है, यह शिक्षा जगत में आने वाले दूरगामी परिवर्तनों के लिए एक आधार है, जो Daily Attendance, से लेकर Periodic assessment, Digital Home Learning, Remedial Teaching, field monitoring और holistic report card बनाने जैसे कार्यों को स्विफ्टचैट द्वारा आसान बना रहा है। 5. आने वाले समय में विद्या समीक्षा केंद्र में ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर, मानव सम्पदा पोर्टल और स्कूल इंस्पेक्शन जैसे आयामों को भी समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।		
12.	सुपर-100 कार्यक्रम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सुपर-100 कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाला एक विशिष्ट कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में विज्ञान वर्ग के 100 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवायी गई जिसके लिए उच्च स्तरीय कोचिंग संस्थानों से साक्षात्कार एवं अनुभव के आधार पर फैकल्टी का चयन किया गया।	विज्ञान वर्ग के कक्षा 12 के 100 विद्यार्थी (प्रत्येक ब्लॉक से 01 श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र-छात्रा एवं एस0सी0, एस0टी0 व ओबीसी वर्ग से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र/छात्रा।	प्रत्येक ब्लॉक से वर्तमान में कक्षा 12 (विज्ञान वर्ग) में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्रा का चयन किया गया जिनके द्वारा अपने विकासखण्ड में 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था।

संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



संस्कृत शिक्षा विभाग

(उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम)

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	संस्कृत छात्र प्रतियोगिता- 1. संस्कृत नाटक 2. संस्कृत समूहगान 3. संस्कृत समूहनृत्य 4. संस्कृत वाद-विवाद 5. संस्कृत आशुभाषण 6. संस्कृत श्लोकोच्चारण (संशोधित)	प्रत्येक स्तर पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की पृथक-पृथक संस्कृत प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं। 1. विकासखण्ड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.300/- एवं अधिकतम रु. 800/- तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.300/- एवं अधिकतम रु. 500/- पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 2. जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.400/- एवं अधिकतम रु. 2000/- तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.400/- एवं अधिकतम रु. 800/- पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 3. राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.6000/- एवं अधिकतम रु. 25,000/- तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.2000/- एवं अधिकतम रु. 4000/- पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राजकीय/अशासकीय/निजी विद्यालय के कनिष्ठ वर्ग में (कक्षा 06 से 10 तक) एवं वरिष्ठ वर्ग में (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर कक्षा तक) अध्ययनरत संस्थागत छात्र व छात्राएँ सम्मिलित होंगी, (किंतु बी. एड. पी-एच.डी. एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्र व छात्राओं का प्रतिभाग प्रतिबन्धित है।)	यह प्रतियोगिता साल में एकबार (लगभग सितम्बर-नवम्बर तक) आयोजित होती है। इसका विज्ञापन/अधिसूचना जारी करके सम्बन्धित जनपद संयोजक एवं खण्ड संयोजक को प्रेषित करती है। छात्र/छात्रा का चयन विद्यालय/कॉलेज स्तर पर करने के उपरान्त प्रधानाचार्य की संस्तुति सहित प्रतिभाग हेतु खण्ड शिक्षाधिकारी/ खण्ड संयोजक को प्रस्तुत किया जाता है। 1. खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/दल को पुरस्कार राशि दी जाती है। उसके उपरान्त प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। 2. जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/दल को पुरस्कार राशि दी जाती है। जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी/दल राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं तथा राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार राशि दी जाती है।
2.	अखिलभारतीय	प्रत्येक आमन्त्रित कवि को मानदेय	उत्तराखण्ड सहित अन्य प्रदेशों के	यह आयोजन राष्ट्रीय पर्वों/ राज्यपर्वों के उपलक्ष्य में

	संस्कृतकवि सम्मेलन (संशोधित)	रु.2501/- प्रदान किया जाता है।	15 संस्कृत कवि, जो संस्कृत में काव्य लिखते हों तथा पढ़ सकते हों, को आमन्त्रित किया जाता है।	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा कराया जाता है। देश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्यापनरत् शिष्य जो संस्कृत कवि के रूप में विख्यात हों की सूची तैयार कर कार्यक्रम संयोजक द्वारा प्रस्तावित कवियों की सूची सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। तदनुसार सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्तुत कवियों को काव्यपाठ हेतु आमन्त्रित किया जाता है।
3.	संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान (संशोधित)	प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता रु0 5,100/- द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता रु0 4,100/- तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता रु0 3,100/-	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा (उत्तराखण्ड विद्यालयीय शिक्षा परिषद्) में संस्कृत विषय में / इण्टरमीडिएट परीक्षा (उत्तराखण्ड विद्यालयीय शिक्षा परिषद्) में संस्कृत विषय में / पूर्वमध्यमा परीक्षा (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) / उत्तरमध्यमा परीक्षा (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) / शास्त्री व आचार्य (उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं केन्द्रीय संस्कृत वि.वि., परिसर देवप्रयाग आदि उच्चशिक्षण संस्थाओं के स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्राप्तांको के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता।	अकादमी द्वारा संबंधित बोर्ड के सचिव से पत्राचार करके, संबंधित सत्र के हाईस्कूल व इण्टर परीक्षा में संस्कृत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र/छात्रा की सूचना प्राप्त की जाती है। अकादमी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव से पत्राचार करके, स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्राप्त की जाती है। सम्मान समारोह आयोजित कर चैक द्वारा भुगतान किया जाता है तथा प्रशस्ति पत्र आदि से सम्मानित किया जाता है।
4.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना (संशोधित)	कक्षा 6 से 12 तक के छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रु0 251/- के अनुसार वार्षिक रु. 3012/- प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक पंजीकृत/अध्ययनरत संस्थागत 200 छात्र-छात्रायें, जिनके पास अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो, वे अर्ह होंगे।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के संस्थागत छात्र एवं छात्रा, जिनके पास जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता हो, अपने दस्तावेज संबंधित प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे, जिसे वह निदेशक को अग्रसारित

				करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।
5.	गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 6 से 12 तक के छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रु0 251/- के अनुसार वार्षिक रु. 3012/- प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक के सभी श्रेणी की पंजीकृत/ अध्ययनरत संस्थागत 175 छात्रायें।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी श्रेणी के संस्थागत छात्र एवं छात्रा, जिनके पास आधार कार्ड, बैंक खाता हो, अपने दस्तावेज संबंधित प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे, जिसे वह निदेशक को अग्रसारित करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।
6.	शोधग्रन्थ चयन योजना	शोधग्रन्थ के सापेक्ष लेखक को प्रतिपृष्ठ रु. 151/- की मानदेय एवं प्रकाशित ग्रन्थ की 25 प्रतियां निःशुल्क प्रदान किया जाता है।	संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित प्रामाणिक, समाजोपयोगी उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में शोधग्रन्थ प्रकाशनार्थ आमन्त्रित हैं। देश के किसी भी राज्य के विद्वान् (जो शोधप्रविधि की परिधि में शोधग्रन्थों का लेखन करते हों) अर्ह होंगे।	शोधग्रन्थ चयन नियमावली के आलोक में समाचार पत्रों/वेबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। लेखक को आवेदन पत्र के साथ शोधग्रन्थ की 03 प्रतियां तथा शोधग्रन्थ की मौलिकता के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। मूल्यांकन समिति के द्वारा अर्ह शोधग्रन्थ प्रकाशित किया जाता है।
7.	अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन	संस्कृत साहित्य में नये शोध के माध्यम से ज्ञान वृद्धि करना, आदान-प्रदान करना, शोधग्रन्थ लेखन विधा को जानना एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	देश के सभी राज्यों के आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता, स.अ., शिक्षक एवं शोधछात्र जो अध्ययन-अध्यापन एवं अनुसन्धान में लगे हुये हैं, वे प्रतिभाग करते हैं।	शोधकर्ता द्वारा अकादमी की नियमावली के आलोक में आवेदन पत्र एवं निर्धारित विषय में शोधपत्र लिखकर निर्धारित तिथि तक ई-मेल के माध्यम प्रेषित किया जाना आवश्यक होता है तथा शोधपत्र मूल्यांकन समिति के द्वारा जिनके शोधपत्र अर्ह किये जाते हैं, उनको आमन्त्रित किया जाता है।
8.	अखिल भारतीय वेद सम्मेलन एवं अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु सम्मेलन	वैदिक साहित्य एवं ज्योतिष व वास्तु के सूक्ष्म ज्ञान को समझना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शास्त्रों की व्याख्या करना, ज्ञान का आदान-प्रदान करना तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	वेद, ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र के अध्ययन, अध्यापन, प्रचार-प्रसार एवं अनुसन्धान में लगे हुये विद्वान् सम्बन्धित सम्मेलन के लिए अर्ह होंगे।	सूचना पत्र के आधार पर आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से जमा करना होता है अथवा संयोजक के दूरभाष पर अपने आने की सूचना देना होता है।
9.	वैदिक गणित पर एकदिवसीय संगोष्ठी	वैदिक गणित के सरल पाठ्यक्रम के संचालन एवं उसकी सरल विधाओं की जानकारी प्राप्त करना।	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं अन्य विभागों के अधिकारी, शिक्षक एवं छात्र प्रतिभाग करेंगे।	संगोष्ठी की तिथि, समय एवं स्थानादि का निर्धारण करने के पश्चात् संयोजक द्वारा आमन्त्रित लोगों की सूची प्रस्तुत की जायेगी, अकादमी सचिव द्वारा पत्र के माध्यम से आमन्त्रित किया जायेगा।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार

विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2023-24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP- 2020 के अनुरूप संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम व उनके शुल्कादि का विवरण:-

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता	शिक्षण शुल्क	परीक्षा शुल्क
1.	शास्त्री प्रमाणपत्रम् (Graduate Certificate)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	उत्तरमध्यमा / संस्कृत विषय के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण / प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
2.	शास्त्री उपाख्या (Graduate Diploma)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
3.	शास्त्री / स्नातक (Graduate Degree)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री उपाख्या परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
4.	शास्त्री / स्नातक (Graduate Research)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री / स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
5.	आचार्य / स्नातकोत्तर (Post Graduate)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री / स्नातक शोध परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र

विकल्पाधारित प्रणाली (सी.बी.सी.एस.)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता	शिक्षण शुल्क	परीक्षा शुल्क
1.	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	द्विवर्षीय	—	स्नातक उपाधि (संस्कृतेन सह)	12,050 प्रथम वर्ष	9,450 द्वितीय वर्ष
2.	आचार्य (एम.ए.)	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योग विज्ञान पत्रकारिता जनसंचार शिक्षाशास्त्र इतिहास हिन्दी	स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि	10000 10000 1200 1200 1200	1000 प्रतिसत्र 1000 प्रतिसत्र 500 प्रतिसत्र 500 प्रतिसत्र 500 प्रतिसत्र
3.	पी.जी. डिप्लोमा	एकवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योग विज्ञान ज्योतिष वास्तुशास्त्र कर्मकाण्ड पौरोहित्य	स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि स्नातक उपाधि	10000 10000 10000 10000 10000	1000 प्रतिसत्र 1000 प्रतिसत्र 1000 प्रतिसत्र 1000 प्रतिसत्र 1000 प्रतिसत्र

			कम्प्यूटर एप्लीकेशन	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र
4.	प्रमाण पत्र	षाण्मासिक	योग विज्ञान	उत्तर मध्यमा इण्टरमीडिएट	6000	600 प्रतिसत्र
			कम्प्यूटर एप्लीकेशन	समक्षक।	6000	600 प्रतिसत्र
			संस्कृतम		500	600 प्रतिसत्र
			कर्मकाण्ड		500	600 प्रतिसत्र
			कम्प्यूनिकेटिव अंग्रेजी		500	600 प्रतिसत्र
			पर्यावरण जागरूकता		500	600 प्रतिसत्र

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता
1.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.)	—	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, हिन्दी, योग विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, इतिहास	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर 55 प्रतिशत अंक

उक्त सभी पाठ्यक्रम रोजगार परक हैं तथा उक्त सभी पाठ्यक्रमों में ऑफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र भरे जाते हैं।

प्राविधिक(तकनीकी) शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पालीटेक्निक संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों का विवरण :-

पाठ्यक्रम का नाम	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / आर्किटेक्चर / फार्मेसी / एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0											
नियामक परिषद्	➤ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0 – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली ➤ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर – काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ➤ डिप्लोमा इन फार्मेसी – फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया											
पाठ्यक्रम अवधि	➤ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर – 03 वर्ष ➤ डिप्लोमा इन फार्मेसी / एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0 – 02 वर्ष											
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षिक सत्र हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स											
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	➤ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर – हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा। ➤ डिप्लोमा इन फार्मेसी – भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान या गणित विषयों के साथ 10+2 परीक्षा (विज्ञान शैक्षणिक स्ट्रीम) में उत्तीर्ण। अथवा भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष कोई अन्य योग्यता। ➤ माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस (एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0) – 10+2 / इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है।)											
वर्तमान में संचालित संस्थान एवं सीटों का विभाजन	प्राविधिक शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता का विवरण :- <table><tr><th>INSTITUTE NAME (GOVT POLYTECHNIC)</th><th>BRANCH NAME</th></tr><tr><td>ALMORA (GIRLS)</td><td>COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING,(30) INFORMATION TECHNOLOGY (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (30)</td></tr><tr><td>DEHRADUN (GIRLS)</td><td>COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), CIVIL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN ARCHITECTURE (40), CLOUD COMPUTING AND BIG DATA (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (40)</td></tr><tr><td>PITHOWALA</td><td>CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING(40), INFORMATION TECHNOLOGY (40), MECHANICAL ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) (40), DIPLOMA IN PHARMACY (40)</td></tr><tr><td>FREEDOM FIGHTER LATE SH. RAM SINGH BISHT GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)</td><td>CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (60), AUTOMATION AND ROBOTICS (60), DIPLOMA IN PHARMACY (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40),</td></tr></table>		INSTITUTE NAME (GOVT POLYTECHNIC)	BRANCH NAME	ALMORA (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING,(30) INFORMATION TECHNOLOGY (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (30)	DEHRADUN (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), CIVIL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN ARCHITECTURE (40), CLOUD COMPUTING AND BIG DATA (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (40)	PITHOWALA	CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING(40), INFORMATION TECHNOLOGY (40), MECHANICAL ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) (40), DIPLOMA IN PHARMACY (40)	FREEDOM FIGHTER LATE SH. RAM SINGH BISHT GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (60), AUTOMATION AND ROBOTICS (60), DIPLOMA IN PHARMACY (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40),
INSTITUTE NAME (GOVT POLYTECHNIC)	BRANCH NAME											
ALMORA (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING,(30) INFORMATION TECHNOLOGY (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (30)											
DEHRADUN (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), CIVIL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN ARCHITECTURE (40), CLOUD COMPUTING AND BIG DATA (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (40)											
PITHOWALA	CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING(40), INFORMATION TECHNOLOGY (40), MECHANICAL ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) (40), DIPLOMA IN PHARMACY (40)											
FREEDOM FIGHTER LATE SH. RAM SINGH BISHT GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (60), AUTOMATION AND ROBOTICS (60), DIPLOMA IN PHARMACY (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40),											

GOVT. POLYTECHNIC GAUCHAR (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING(ENVIRONMENTAL & POLL CONTROL (40), ELECTRONICS ENGINEERING(SPECIAL IN CONSUMER ELECT (30), INFORMATION TECHNOLOGY (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)	
GOVT. POLYTECHNIC KASHIPUR (U.S. NAGAR)	AGRICULTURE ENGINEERING (42), CHEMICAL ENGINEERING (40), CHEMICAL TECHNOLOGY (PAINT) (40), CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (40)	
GOVT. POLYTECHNIC LOHAGHAT (CHAMPAWAT)	CIVIL ENGINEERING (40) ELECTRONICS ENGINEERING (30), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)	
GOVT. POLYTECHNIC NAINITAL	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (41), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (40), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (30)	
GOVT. POLYTECHNIC NARENDRA NAGAR (TEHRI GARHWAL)	ELECTRICAL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (30), INFORMATION TECHNOLOGY (40), MECHANICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30), GAMING AND ANIMATION (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)	
GOVT. POLYTECHNIC SHAKTIFARM (U.S. NAGAR)	CHEMICAL ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (40), CHEMICAL TECHNOLOGY(RUBBER AND PLASTIC (30)	
GOVT. POLYTECHNIC SRINAGAR GARHWAL (PAURI GARHWAL)	CIVIL ENGINEERING (60), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (60), ELECTRONICS ENGINEERING (60), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (60), MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)	
S.S.S.S.P.U. GOVT. POLYTECHNIC SULT (ALMORA)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)	
GOVT. POLYTECHNIC UTTARKASHI	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)	
LATE GENRAL BIPIN CHANDRA JOSHI GOVT. RURAL POLYTECHNIC TAKULA(ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (60), ELECTRONICS ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (60)	
GOVT. RURAL POLYTECHNIC THALNADI (PAURI GARHWAL)	ELECTRONICS ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)	
K.L. POLYTECHNIC ROORKEE (HARIDWAR)	CIVIL ENGINEERING (60), ELECTRICAL ENGINEERING (60), ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (60), MECHANICAL ENGINEERING(PRODUCTION) (60), ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (30), COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKING (30)	
GOVT. POLYTECHNIC KOTABAGH (NAINITAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (30)	
GOVT. POLYTECHNIC KOTDWAR (PAURI GARHWAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40)	
GOVT. POLYTECHNIC GARUR (BAGESHWAR)	CIVIL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)	

	GOVT. POLYTECHNIC KALADHUNGI (NAINITAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(IND. INTEGRATED) (40), INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEERING (40), CIVIL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC GANAI GANGOLI (PITHORAGARH)	INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (20)	
	GOVT. POLYTECHNIC RATURA (RUDRAPRAYAG)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC GARHI SHYAMPUR (RISHIKESH)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60), ELECTRICAL ENGINEERING (40)	
	GOVT. POLYTECHNIC SAHIYA (DEHRADUN)	MECHANICAL ENGINEERING(PRODUCTION) (40)	
	GOVT. POLYTECHNIC SATPULI (PAURI)	MECHANICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC NEW TEHRI	ELECTRICAL ENGINEERING (40)	
	GOVT. POLYTECHNIC GOPESHWAR (CHAMOLI)	INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)	
	JASWANT SINGH RAWAT GOVT. POLYTECHNIC BIRONKHAL(PAURI)	CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC KANDA (BAGESHWAR)	CIVIL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC CHAUNALIYA (ALMORA)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC AAMWALA (DEHRADUN)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (40), AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING (60), COMPUTER SCIENCE (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC SIDCUL HARIDWAR	ELECTRONICS ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC PANTNAGAR (U.S. NAGAR)	ELECTRONICS ENGINEERING (40) , MECHANICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC MALLASALAM (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC VIKASNAGAR (DEHRADUN)	ELECTRONICS ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (60), MECHANICAL ENGINEERING (60), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC KANALICHEENA (PITHORAGARH)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC DIDIHAT PITHORAGARH	AUTOMOBILE ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC JAKHOLI (RUDRAPRAYAG)	INFORMATION TECHNOLOGY (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60)	

	SATYANAND DIMRI GOVT. POLYTECHNIC BARKOT(UTTARKASHI)	CIVIL ENGINEERING (60), INFORMATION TECHNOLOGY (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC HINDOLAKHAL (TEHRI)	DIPLOMA IN PHARMACY (60), MECHANICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC MUNAKOT (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING (54)	
	GOVT. POLYTECHNIC KAPKOT (BAGESHWAR)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC TANAKPUR (CHAMPAWAT)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC KHATIMA (U.S. NAGAR)	CIVIL ENGINEERING (54), ELECTRICAL ENGINEERING (54), INFORMATION TECHNOLOGY (60), DIPLOMA IN PHARMACY (60),	
	GOVT. POLYTECHNIC KULSARI (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC PRATAPNAGAR (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING (60), DIPLOMA IN PHARMACY (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC DANYA (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC GAJA (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)	
	HARISHCHANDRA GOVT. POLYTECHNIC BHALASWAGAJ (HARIDWAR)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC BAZPUR (U.S. NAGAR)	CIVIL ENGINEERING (54), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (54), DIPLOMA IN PHARMACY (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC JAKHNIDHAR (TEHRI)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC GAIRSAIN (CHAMOLI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC PIRUMDARA RAMNAGAR (NAINITAL)	COMPUTER SCIENCE (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC QUANSI (DEHRADUN)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC PAURI	MECHANICAL ENGINEERING (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC BAANS (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC BHEEMTAL (NAINITAL)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SCIENCE (30)	

	GOVT. POLYTECHNIC BADECHEENA (ALMORA)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC BACHELIKHAL (TEHRI)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC CHINIYALISAUR (UTTARKASHI)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SCIENCE, (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC PIPLI (UTTARKASHI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC CHAMPAWAT	ELECTRICAL ENGINEERING (30), ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (30), CLOUD COMPUTING AND BIG DATA (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC CHOPTA (RUDRAPRAYAG)	CIVIL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC PAABO (PAURI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC KANDIKHAL (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC POKHRI (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC BERINAAG (PITHORAGARH)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)	
	GOVT. POLYTECHNIC BANSBAGARH (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING(PUBLIC HEALTH ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC BARAM (PITHORAGARH)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)	
	GAURA DEVI GOVT. POLYTECHNIC JOSHIMATH (CHAMOLI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC JAINTI (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SCIENCE (30)	
	GOVT. POLYTECHNIC RANI POKHRI (DEHRADUN)	ELECTRICAL ENGINEERING (60), MECHANICAL ENGINEERING (60), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60), ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (60)	
शिक्षण शुल्क	शिक्षण शुल्क- ₹8000.00 छात्र निधि शुल्क- ₹5000.00 छात्रावास शुल्क- ₹4000.00 बोर्ड परीक्षा शुल्क राजकीय संस्थान- ₹500.00 बोर्ड परीक्षा शुल्क निजी संस्थान- ₹1000.00		

	मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान) परीक्षा आवेदन शुल्क- ₹500.00 बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)- ₹200.00 प्रति विषय स्कूटनी शुल्क- ₹250.00 प्रति विषय अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)- ₹20.00 (परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)- ₹30.00 पुनर्मूल्यांकन- ₹2000.00 प्रति विषय
आरक्षण व्यवस्था	उर्ध्वधर आरक्षण 1. अनुसूचित जाति- 19 प्रतिशत 2. अनुसूचित जनजाति- 04 प्रतिशत 3. अन्य पिछड़े वर्ग- 14 प्रतिशत 4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 10 प्रतिशत 5. एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार) – प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A, B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2, तथा 3 प्रतिशत जोड़ा जायेगा। क्षैतिज आरक्षण 6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए- 02 प्रतिशत संस्थागत पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष। 7. भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांग/मृत सैनिकों के आश्रित- 05 प्रतिशत संस्थागत पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष। 8. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए- 04 प्रतिशत 9. महिलाओं के लिए- 30 प्रतिशत (उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है।)
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	मेरिट सूची- सभी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा, मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्राप्तांकों के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग, यदि समान होता है, तो, उस स्थिति में अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः सम्बंधित अभ्यर्थियों के जन्मतिथि के आधार पर मेरिट, निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो, तो सम्बंधित अभ्यर्थियों के गणित, विज्ञान/रसायन, बायोलॉजी जैसी भी स्थिति के अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी, और अन्त में यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती, तो, सम्बंधित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी।
सम्बद्ध परिषद्	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)
सम्बद्ध परिषद् का पता, ई-मेल आईडी	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, सुनहरा रोड़, काशीपुरी, रुड़की (हरिद्वार) Website :-www.ubter.in, www.ubterjeep.co.in E-mail-js.ubte15@gmail.com

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय



प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की सूचना

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के कैम्पस संस्थानों एवं समस्त स्वायत्तशासी/निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जी०बी०पी०यू०ए०टी० पन्तनगर में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों B.TECH, BHMCT, BALLB, BBALLB, BCA, LLB, M.TECH, MBA, MCA, MHM, LLM, PG DIPLOMA IN CYBER SECURITY के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग द्वारा किये जाते हैं।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु योग्यता परीक्षा (**Qualifying Exam**) तथा अर्हता (**Eligibility**) निम्नवत है:-

SN	COURSE	DURATION	QUALIFYING EXAM / ELIGIBILITY
1	B.TECH. - FIRST YEAR (Biotechnology) (Agriculture Engg)	4 Years	Passed 10+2 examination with Physics/ Mathematics/Chemistry/ Computer Science/ Electronics/ Information/Technology/ Biology/ Informatics Practices/Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship as per AICTE Agriculture stream (for Agriculture Engineering)

	(Civil Engg) (CSE) (CHEM ENGG) (EE) (Electronics & Communication Engg) (ME)		Obtained at least 45% marks (40% marks in case of Candidates belonging to reserved category) in the above subjects taken together.
2	BHMCT- FIRST YEAR	4 Years	Passed 10+2 examination Obtained at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying Examination.
3	BALLB-FIRST YEAR	5 Years	10+2 or an equivalent examination with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
4	BBALLB-FIRST YEAR	5 Years	10+2 or an equivalent examination with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
5	BBA-FIRST YEAR	3 Years	Passed 10+2 examination with a minimum of 45% marks (40% for reserved category) in any stream OR A Pass in diploma in Commercial Practice or equivalent
6	BCA-FIRST YEAR	3 Years	Passed 10+2 examination with a minimum of 45% marks (40% for reserved category) and Mathematics is a compulsory subject in Intermediate. Candidate must have mathematics as a subject in class 10 th . candidate who does not have Mathematics as a subject in class 12 th must complete a bridge course in Mathematics during the first semester.
7	LLB-FIRST YEAR	3 Years	Graduation in the 10+2+3 pattern from a recognized university with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
8	M.TECH.-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor's Degree or equivalent in the relevant field. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
9	MBA-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor Degree of minimum 3 years duration. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
10	MCA-FIRST YEAR	2 Years	Passed B.C.A/ B.Sc. (Computer Science)/ B.Sc. (IT) / B.E. (CSE)/ B.Tech.(CSE) / B.E. (IT) / B.Tech. (IT) or equivalent Degree. OR Passed any graduation degree (e.g.: B.E. / B.Tech. / B.Sc / B.Com. / B.A./ B. Voc./ etc.,) or at Graduation level obtained at least 50% (45% Marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
11	MHM-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor Degree in Hotel Management and Catering Technology/ Hotel Management of minimum 4 years duration or equivalent Degree. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
12	LLM-FIRST YEAR	2 Year	An LL. B Degree (or B.A.LL. B / B.B.A.LL. B / B.COM-LLB, B. TECH-LL. B or any other integrated law graduate degree) or an equivalent examination with a minimum of Fifty percent (50%)

			of marks or its equivalent grade and 45% in case of candidates belonging to reserved category
13	PG DIPLOMA IN CYBER SECURITY	1 Year	Passed Bachelor Degree of minimum 3 years duration. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.

1. आनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://uktech.ac.in> पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थी काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर लें।
2. आनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://uktech.ac.in> esa Login-ID/Password बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
3. अभ्यर्थी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना सम्पूर्ण विवरण ध्यान पूर्वक चेक कर एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी जो सूचना भरेगा, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को राज्य कोटे की आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण होने की दशा में अभ्यर्थी राज्य कोटे की सामान्य श्रेणी की सीट के लिये ही पात्र होंगे। महिला अभ्यर्थियों को भी महिला सीट में प्रवेश के लिये स्थाई निवास की अनिवार्यता होगी।
5. छात्र आनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समय-समय पर जारी आवश्यक सूचनाओं एवं निर्देशों के लिए निरन्तर वेबसाइट <http://uktech.ac.in> पर सम्पर्क करते रहें।
6. आनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को काउंसिलिंग शुल्क (Counseling Fee-Non Refundable) 2000/- प्रवेश काउंसिलिंग पंजीकरण के साथ वेब पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जायेगा।
7. काउंसिलिंग शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा संस्था/ब्रांच के विकल्प भरने होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में विकल्प भरे जायेंगे उन्हें पुनः द्वितीय अथवा तृतीय चरण की काउंसिलिंग में विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः अभ्यर्थी को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है।
8. प्रथम काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट आवंटित होती है तो उसके पास निम्नानुसार 3 विकल्प होंगे— 1. Freeze 2. Float 3. Withdraw
9. प्रथम अथवा द्वितीय काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो उस स्थिति में अभ्यर्थी को आगामी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु कोई शुल्क नहीं देना होगा एवं अभ्यर्थी पुनः विकल्प भर सकता है।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड



कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

राज्य के युवाओं की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार/नियोजन की दृष्टि से विकसित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास, प्रशिक्षण तथा सेवायोजन द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति निम्नवत् है:-

प्रशिक्षण संस्थान	गढ़वाल मण्डल	कुमायूँ मण्डल	कुल
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	80	73	153
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	70	14	84
योग	150	87	237

प्रवेश प्रक्रिया एवं व्यवसायों का विवरण:-राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मुख्यतः इंजीनियरिंग एवं नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश किये जाते हैं। वर्ष 2020 से प्रवेश परीक्षा के स्थान पर राज्य में प्रथम बार प्रवेश की प्रक्रिया राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काउंसिलिंग द्वारा सम्पादित की गई थी, जिसमें आवेदन पत्र, शुल्क, विकल्प भरना, संस्थान/व्यवसाय आवंटन, प्रवेश लेना आदि पूर्णतया पोर्टल के माध्यम से किया गया। कोविड 19 के कारण आवागमन में दुविधा के दृष्टिगत प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश हेतु भी अपने निकटतम संस्थान में जाने तथा मूल प्रमाण पत्र सत्यापित कराने की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की गयी। प्रवेश के संबंध में राज्य स्तरीय प्रचलित दैनिकों समाचार पत्रों में विस्तृत विज्ञापन, आकाशवाणी तथा स्थानीय एफ एम रेडियो में जिंगल विज्ञापन, सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टेशन / रेलवे स्टेशन पार्क, सार्वजनिक लाइब्रेरी, मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि में पैम्पलेट वितरण का कार्य सम्पादित किया जाता है। स्थानीय “कॉमन सर्विस सेन्टर” के माध्यम से भी प्रवेश विवरणिका आदि सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त गतिविधियों के कारण संस्थानों में लगभग 76 प्रतिशत सीटों पर विगत सत्र में प्रवेश सम्पन्न किये गये। संस्थानों में प्रवेश हेतु व्यवसायों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

1	एन.सी.वी.टी. प्रशिक्षार्थियों की कुल स्वीकृत सीटें	14064
2	एन.सी.वी.टी. भारत सरकार के अन्तर्गत संचालित राजकीय आई.टी. आई	86
3	एन.सी.वी.टी. के अन्तर्गत वर्तमान में प्रशिक्षार्थियों की संख्या	8743
4	राज्य में स्वीकृत इंजीनियरिंग एवं नान इंजीनियरिंग एन.सी.वी.टी. व्यवसायों की संख्या	35

क्र.स.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण उपरान्त कार्य क्षमता का संक्षिप्त परिचय
1	फिटर	दो वर्ष	हाईस्कूल (विज्ञान एवं गणित विषय) उत्तीर्ण / समकक्ष	विभिन्न धातुओं के कल पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग, करना, औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान।
2	टर्नर	दो वर्ष	-तदैव-	खराद मशीनों द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं को

				आवश्यकतानुसार खराद कर गोल आकार देने का कार्य।
3	मशीनिष्ट	दो वर्ष	—तदैव—	विभिन्न प्रकार की मशीनों का कार्य करके विभिन्न प्रकार के गेयर, फिटिंग, चाबी, धाट काटने सम्बन्धी कार्य।
4	इलैक्ट्राशियन	दो वर्ष	—तदैव—	विद्युत सम्बन्धी कल पुर्जों का ज्ञान मरम्मत, रखरखाव एवं मोटर वाईडिंग आदि सम्बन्धी ज्ञान।
5	इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक	दो वर्ष	—तदैव—	समस्त विद्युतीय चुंबकीय, वायु तापमापी, वायु, दाब और सूक्ष्म मापी यन्त्र का ज्ञान/मरम्मत।
6	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग टेक्नीशियन	दो वर्ष	—तदैव—	रेफ्रीजरेटर एयर कण्डीशनर आदि का ज्ञान/मरम्मत तथा स्थापित करना एवं चलाना।
7	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	दो वर्ष	—तदैव—	यांत्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार, नाप ड्राईंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided Design (CAD) के माध्यम से डिजाईनिंग।
8	ड्राफ्ट्समैन सिविल	दो वर्ष	—तदैव—	भवन, पुल आदि का आकार नाप ड्राईंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided Design (CAD) के माध्यम से डिजाईनिंग।
9	इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक	दो वर्ष	—तदैव—	इलैक्ट्रानिक्स पुर्जों, उपकरणों जैसे टीवी वी.सी.आर. सामान्य इलैक्ट्रानिक्स उपकरण आदि की मरम्मत करना।
10	मैकेनिक मोटर व्हीकल	दो वर्ष	—तदैव—	डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाड़ियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान एवं गाड़ियों का चलाना।
11	इन्फार्मेशन कम्प्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेन्टीनेन्स	दो वर्ष	—तदैव—	कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी, उसका रखरखाव एवं सूचना सम्बन्धी नई पद्धति की जानकारी आदि।
12	लेब्रोर्ट्री एसिसटेंट केमिकल प्लांट	दो वर्ष	—तदैव—	औद्योगिक इकाईयों में कैमिकल प्लांट सम्बन्धी कार्य।
13	मैकेनिक डीजल	एक वर्ष	—तदैव—	डीजल इंजन को चलाने व मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान।
14	मैकेनिक ट्रैक्टर	एक वर्ष	—तदैव—	ट्रैक्टर की मरम्मत एवं उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, उसका रखरखाव एवं चलाना।
15	मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर	एक वर्ष	—तदैव—	वाहनों की बॉडी की डेन्टिंग एवं अन्य मरम्मत सम्बन्धी कार्य करना।
16	मै0 कन्ज्यूमर इलैक्ट्रानिक्स	दो वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	घरेलू एवं व्यावसायिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों के मरम्मत सम्बन्धी कार्य।
17	सर्वेयर	एक वर्ष	—तदैव—	भूमि की ऊपरी सतह, भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करना।
18	फाउण्ड्रीमैन	एक वर्ष	—तदैव—	बने हुये साँचों के अनुरूप पिघली धातु से पुर्जों की ढलाई करना।
19	मैकेनिक ऑटो बॉडी पेन्टिंग	एक वर्ष	—तदैव—	वाहनों की बॉडी पेन्टिंग सम्बन्धी कार्य।
20	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग	एक वर्ष	—तदैव—	कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इन्ट्री प्रोग्रामिंग तथा एप्लीकेशन पैकेजेज को

	असिस्टेंट			चलाने का ज्ञान।
21	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटरीयल असिस्टेंट हिन्दी	एक वर्ष	—तदैव—	हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा (आशुलिपि हिन्दी) में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।
22	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटरीयल असिस्टेंट अंग्रेजी	एक वर्ष	—तदैव—	अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।
23	सेक्रेटरीयल प्रैक्टिस अंग्रेजी	एक वर्ष	—तदैव—	कार्यालय पद्धति का ज्ञान दिया जाता है। जिसके साथ आशुलेखन तथा टंकण का कार्य भी सिखाया जाता है।
24	कॉस्मोटोलॉजी	एक वर्ष	—तदैव—	ब्यूटीशियन, ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइल आदि सम्बन्धी कार्य।
25	फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी	एक वर्ष	—तदैव—	आधुनिक प्रकार के परिधानों की स्केचिंग कर डिजाइन करना।
26	ह्यूमन रिसोर्सेज एक्जीक्यूटिव	एक वर्ष	—तदैव—	विभिन्न संस्थानों में मानव संसाधनों की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करना।
27	हॉस्पिटल हाउस कीपिंग	एक वर्ष	—तदैव—	हॉस्पिटल के रख-रखाव के सम्बन्ध में जानकारी आदि।
28	वायरमैन	दो वर्ष	आठवीं पास	घरेलू एवं औद्योगिक भवनों की वायरिंग, विद्युत लाईन खींचना, उत्पन्न खराबी ठीक करना।
29	पेन्टर जनरल	दो वर्ष	—तदैव—	सम्पूर्ण पेन्टिंग का कार्य जैसे फर्नीचर, व्हीकल पर लिखावट, रंग द्वारा सजावट का कार्य करना।
30	वैल्डर (गैस एण्ड इलै.)	एक वर्ष	—तदैव—	धातु के बने हुये पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत वैल्डिंग द्वारा जोड़कर बनाना।
31	कारपेन्टर	एक वर्ष	—तदैव—	लकड़ी का फर्नीचर घरेलू सामान आदि का निर्माण करना एवं पालिश करना।
32	प्लम्बर	एक वर्ष	—तदैव—	पानी की लाईन, टॉटी, टंकी, वाल्व आदि की मरमत एवं सैनेटरी फिटिंग का कार्य।
33	स्वीईंग टेक्नोलॉजी	एक वर्ष	—तदैव—	कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीन द्वारा सिलाई करके गारमेन्ट्स तैयार करना।
34	सरफेस आरनामेन्ट टेक्निक (इम्ब्राईडरी)	एक वर्ष	—तदैव—	कपड़े पर रंगीन धागों से सुन्दर-सुन्दर डिजाइनों की कढ़ाई करना।
35	ट्रेस मेकिंग	एक वर्ष	—तदैव—	आधुनिक प्रकार के परिधानों तैयार करना।

खेल विभाग, उत्तराखण्ड



खेल विभाग

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति (संशोधित)	इन प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिवर्ष लगभग 250 प्रशिक्षक रोजगार प्राप्त करते हुए लाभान्वित होते हैं।	- राज्य के खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक। - खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम 70 वर्ष। - शैक्षिक एवं खेल योग्यता आदि संबंधी - कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हेतु मूल/स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है।	- विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों के स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों के सुचारु रूप से संचालन हेतु कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते हैं। - जनपद स्तर पर जिला क्रीड़ाधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशिक्षण शिविर संचालित करने हेतु आवेदन के आधार पर। - योजना हेतु प्रतिवर्ष संभवतः माह मार्च में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जाती है तथा प्रशिक्षण शिविर अधिकतम 11 माह (15 अप्रैल से 15 मार्च तक) हेतु आयोजित किये जाते हैं।
2.	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान की जाती है।	राज्य की विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयुवर्ग में प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों/सदस्यों को खेल संघ के माध्यम से खेल किट प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत वर्ष में लगभग 1000/- खिलाड़ी लाभान्वित होते हैं।	सम्बन्धित खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों का चयन किया जाता है तथा सम्बन्धित खेल संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किट हेतु आवेदन किया जाता है।	राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयुवर्ग में प्रतिभाग करने वाली टीमों के प्रत्येक खिलाड़ियों/सदस्यों को रु0 5000/- धनराशि की खेल किट (ट्रैकसूट, जर्सी, नैकर, सॉक्स एवं सूज) प्रदान किये जाते हैं।
3.	उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों/ क्लबों/ खेल समितियों को अनुदान एवं	मान्यता प्राप्त संघों/क्लबों/खेल समितियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु रु0 3.50 लाख, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रु0 2.50 लाख एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रु0 1.00 लाख की धनराशि तथा अर्न्तराष्ट्रीय	मान्यता प्राप्त संघों/क्लबों/खेल समितियों एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को विभागीय नियमानुसार निर्धारित	उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों/क्लबों/खेल समितियों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं संघों/खिलाड़ियों हेतु खेल उपस्कर (उपकरण) क्रय हेतु अनुदान एवं आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे वर्ष भर में लगभग 20 खेल संघ/खेल समितियां/खिलाड़ी लाभान्वित होते हैं।

	आर्थिक सहायता	स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को धनराशि रू0 2.50 लाख दिये जाने का प्राविधान है।	प्रारूप पर अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है।	
4.	अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता	अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली टीमों के सभी खिलाड़ी/सदस्यों को विभागीय मानक के अनुसार यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, भोजन भत्ता एवं खेल किट आदि की सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।	जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के चयन ट्रायल्स आयोजित किये जाते हैं तथा चयनित खिलाड़ियों को अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होता है।	भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के कार्मिक हेतु प्रत्येक वर्ष अनेक खेलों में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों के सम्भावित 150 कार्मिक लाभान्वित होते हैं।
5.	निजी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं (बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्कवैश, इंडोर क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी एवं स्वीमिंग) का निर्माण	अवस्थापना की कुल लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 50.00 लाख तक दी जाती है।	राज्य के समस्त व्यक्ति	- विभाग द्वारा राज्य के जनमानस को खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु अनुदान प्रदान किये जाने की योजना है। यह अनुदान अवस्थापना की कुल लागत की 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 50.00 लाख तक दी जाती है। इन खेल अवस्थापना सुविधाओं का संचालन कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। - खेल निदेशालय में ऑफलाईन आवेदन के आधार पर निर्धारित प्रारूप में। - आवेदक द्वारा आवेदन कभी भी आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। - योजना हेतु निर्धारित समिति द्वारा पात्र आवेदक को अनुदान

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्की)



उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क)

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	यू-सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	यू-सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों में क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के साथ ही क्षेत्र की महिलाओं व आमजन को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।	क्षेत्र के समस्त छात्र छात्राएँ एवं जनसामान्य	पं० ल० मो० शर्मा, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश तथा सोहन सिंह जीना वि० विद्यालय अल्मोडा में हरेला पीठ स्थापना कर टीशु कल्चर लैब तथा हाईटेक नर्सरी का विकास किया गया है। इसके साथ ही HARC नौगाँव उत्तरकाशी में एवं सी०आई०एम०एस०, देहरादून में उच्च गुणवत्ता युक्त Spawn मशरूम उत्पादन एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु तथा सतपुली पौड़ी में छात्र-छात्राओं, क्षेत्रीय महिलाओं एवं आमजन के उद्यमिता विकास व स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु यू-सर्क उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना की गई। उद्यमिता विकास केन्द्र से सम्पर्क कर लाभ उठाया जा सकता है।
2.	महिलाओं, महिला वैज्ञानिकों, अध्यापकों एवं युवा छात्र - छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कॉन्क्लेव एवं सम्मान का आयोजन	राज्य के छात्रों, अध्यापकों एवं महिलाओं हेतु वैज्ञानिक अभिवृत्ति की वृद्धि एवं कौशल विकास एवं प्रोत्साहन हेतु निम्न कान्क्लेव का आयोजन कर सम्मान प्रदान किया जाता है। • युवा-बाल समागम- मेधावी छात्र सम्मान • अध्यापक / विज्ञान कान्क्लेव- विज्ञान प्रसार सम्मान • महिला वैज्ञानिक कान्क्लेव - उत्कृष्ट युवा महिला वैज्ञानिक सम्मान • महिला प्रयोगधर्मी सम्मान	छात्रों, अध्यापकों, महिलाओं एवं जनसामान्य	• यू-सर्क द्वारा जनपदवार बाल युवा समागम का आयोजन किया जाता है। आयोजक जनपद के उत्तराखण्ड बोर्ड के हाईस्कूल/बारहवीं कक्षा के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 5-5 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। उक्त योग्यता सूची सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। • विज्ञान अध्यापक कान्क्लेव द्वारा उत्तराखण्ड के विज्ञान अध्यापकों एवं विज्ञान उन्मुख शिक्षकों की विचारों के आदान प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने हेतु उन्हें विज्ञान प्रसार सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सम्मान हेतु प्रदेशभर से अध्यापकों के आवेदन पत्र मांगे जाते हैं, जिसका विज्ञापन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। • यू-सर्क द्वारा प्रतिवर्ष महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव तथा उत्कृष्ट महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

				सम्मान हेतु प्रदेशभर से महिला वैज्ञानिकों के आवेदन पत्र मांगे जाते हैं, जिसका विज्ञापन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। राज्य में विज्ञान के समावेश से अनुकरणीय कार्य करने वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने हेतु अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला प्रयोगधर्मी सम्मान से सम्मानित किया जाता है।
3.	डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना	डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से विभिन्न विषयों यथा— ICT Orientation, Emerging Technologies इत्यादि पर प्रशिक्षण career counselling प्रदान किये जाते हैं।	प्रदेश के समस्त छात्र छात्राए	प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पांच दिवसीय/सात दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

विज्ञानधाम-(यू-कॉस्ट), उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञानधाम (U-COST)

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	विज्ञान संचार एवं लोकव्यापिकरण (संशोधित)	विज्ञान लोकव्यापिकरण उत्तराखण्ड के नागरिकों विशेषकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए परिषद द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। परिषद सेमिनार कार्यशालाएं सम्मेलन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। लोकप्रिय व्याख्यान वैज्ञानिक दिवस समारोह के आयोजन भी कराती है।	शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संगठन तथा एनजीओ।	वर्ष में दो बार वेबसाइट— https://www.ucost.in पर प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त प्रस्ताव का चयन पीईजी बैठक, परियोजना मूल्यांकन समूह के माध्यम से किया जाता है, जहां विशेषज्ञ समिति के सदस्य प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं और राज्य के विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और वित्त पोषण के लिए राज्य के कल्याण के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करते हैं।
2.	उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम (संशोधित)	उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र (टीआरसी) के स्थापना की जाती है। यह स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए तकनीकों में सुधार का कार्य करता है, ताकि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को मूल्यसंवर्धन कर एक व्यवसाय किया जा सके।	राज्यभर से इच्छुक उद्यमी/गैर सरकारी संगठन वैज्ञानिक/ शोधार्थी/शिक्षक	विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रण के उपरांत सक्षम गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण के उपरांत चयन।
3.	सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव (संशोधित)	सीमांत पर्वतीय जनपदों के बाल वैज्ञानिकों को प्रदेश स्तर पर विभिन्न विज्ञान प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु एक विशेष अवसर प्रदान करना तथा सीमांत दूरस्थ क्षेत्रों तक वैज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना है।	राज्य के छः सीमांत जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) के सरकारी/गैरसरकारी विद्यालयों के कक्षा छः से बारहवीं तक के छात्र एवं छात्राएं।	ब्लॉक स्तर पर कक्षा छः से बारहवीं तक के सभी छात्र एवं छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं तत्पश्चात ब्लॉक स्तर से चयनित छात्र-छात्राओं द्वारा जनपद स्तर पर प्रतिभाग किया जाता है एवं अंत में जनपद से चयनित छात्र-छात्राओं को राज्य स्तर

				पर प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
4.	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी (संशोधित)	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी हर साल यूकॉस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। यूएसएसटीसी विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने और राज्य के उभरते वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। विज्ञान कांग्रेस युवा शोधकर्ताओं / वैज्ञानिकों का काफी ध्यान आकर्षित करती है और व्यापक रूप से सफल रही है।	अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप अन्वेषक, किसान, एनजीओ।	विभिन्न विज्ञान आधारित विषयों में शोध पत्र प्रस्तुतियों के प्रस्ताव समाचार पत्र, परिषद की वेबसाइट— https://www.ucost.in और अन्य सोशल मीडिया पेजों पर विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है। चयनित प्रस्तावों को प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता है, जिनका विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। परिणाम पर विभिन्न विषयों में शोधकर्ताओं को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है।
5	सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली (संशोधित)	यूकॉस्ट देहरादून में सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली स्थापित की गई है। सौर —आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली अपने आप में प्रदेश के अन्दर एक नवीनतम अनुसंधान है इसके अंतर्गत किसानों और उपभोक्ताओं के लिए अभिनव और एकीकृत सौर ग्रीनहाउस आधारित हाइड्रोपोनिक समाधान और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित किया गया है। लाभ— स्वचालित सौर-आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा की मांग में कमी, पानी की मांग में कमी और उपज में वृद्धि होगी। प्रणाली में उद्यमिता या व्यवसाय मॉडल के रूप में उपयोग करने की क्षमता है। अन्य हिमालयी राज्यों में पहाड़ी किसानों और युवाओं के लिए बेहतर आजीविका के अवसरों की प्रतिकृति क्षमता।	किसान, शोधकर्ता, विद्यार्थी, और उद्यमी प्रतिवर्ष लगभग 500 से अधिक किसान, उपभोक्ताओं, शोधकर्ता, विद्यार्थी, और उद्यमी	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के माध्यम से

		सौर-आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली के ऑफ-ग्रिड मॉडल की छोटी क्षमता, जिसे ऑन-ग्रिड सिस्टम के अलावा विकसित करने का प्रस्ताव है, को दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है, जहां बिजली की आपूर्ति प्रमुख मुद्दों में से एक है। इससे पहाड़ी किसानों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी।		
6.	लैब्स ऑन व्हीलस	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए के लिए लैब ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के हर जिलों एवं दुर्गम इलाकों के छात्र-छात्राओं को विज्ञान के प्रयोग को सीखने का मौका मिलेगा।	सभी 13 जनपदों के स्कूली छात्र-छात्राएं और विज्ञान विषयों का अध्यापन कर रहे युवा।	सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी
7.	विज्ञान केन्द्र चम्पावत	चम्पावत विज्ञान केंद्र छात्र- छात्राओं में विज्ञान विषयों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान विषयों को और सरलता से और प्रयोगात्मक तरीकों से सीखने में मदद मिलेगी।	क्षेत्र की जनता विशेषकर बच्चे, स्कूली छात्र-छात्राएं एक वर्ष में अनुमानित आगंतुकों की संख्या 40 से 50 हजार होगी	सभी वर्गों के किये निश्चित दरों पर आगंतुकों के लिए खुला रहेगा
8.	मानसखण्ड उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अल्मोड़ा	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यूकोस्ट) द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एन0सी0एस0एम0), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से अल्मोड़ा में 02 हैक्टेयर भूमि पर उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है। उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अल्मोड़ा छात्र- छात्रों में विज्ञान विषयों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए बनाया गया है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान विषयों को और सरलता से और प्रयोगात्मक तरीकों से सीखने में मदद मिलेगी।	क्षेत्र की जनता विशेषकर बच्चे, स्कूली छात्र-छात्राएं एक वर्ष में अनुमानित आगंतुकों की संख्या 50 से 60 हजार होगी	सभी वर्गों के किये निश्चित दरों पर आगंतुकों के लिए खुला रहेगा

9.	स्टैम (STEM) लैब	राज्य के सभी ब्लॉकों में स्टैम लैब की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से छात्रों एवं अध्यापकों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित के प्रयोगों के बारे में जानकारी प्रदान की जायेगी।	स्कूली छात्र-छात्राएं	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के माध्यम से
10.	एस. सी. एस. टी. सैल की स्थापना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु प्रकोष्ठ की स्थापना परियोजना का संचालन यूकॉस्ट द्वारा किया जा रहा है लाभ— - उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जिलों में रह रहे सभी अनुसूचित जाति एवम जनजाति समुदाय की मूलभूत समस्याओं का वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के माध्यम से समाधान करना। - अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान हेतु विज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा समुचित विकास की ओर अग्रसर करने के लिए सतत विकास से रुबरू करना। - कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देकर पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को नवाचार के माध्यम से उत्तमता तक पहुंचाना। - प्रद्योगिकियों के डेटा बेस की स्थापना करना तथा अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के मूलभूत संसाधनों का मान चित्रण करना।	निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी 13 जिलों में रह रहे अनुसूचित जाति एवम जनजाति समुदाय (मुख्यतः 50 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक)	उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले एससी/एसटी समुदाय जिला स्तर पर लक्षित लाभार्थी होंगे जिसके कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन कर बेस लाइन डेटा जनरेट किया जायेगा
11.	उत्तराखण्ड@25 आदर्श चम्पावत	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड@25 “आदर्श चम्पावत” के अन्तर्गत चम्पावत जिले को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य	चम्पावत जिले के समस्त किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, विद्यार्थी, शोधार्थी एवं समस्त आमजनमानस।	चम्पावत जिले के चारों ब्लॉकों में विभिन्न संकुलों का निर्माण कर लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।

		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। इसी संदर्भ में उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा चम्पावत जिले में कार्यरत एन.जी.ओ, स्वयं सहायता समूहों, राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों एवं केन्द्रीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके जिले को आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।		
12.	पं. दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना	यह परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार से वित्त पोषित परियोजना है एवं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इन जिलों में चयनित गाँवों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए विभिन्न इकाइयों की स्थापना की जा रही है।	परियोजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में गाँवों के समूह बनाकर संकुलों का निर्माण कर ग्रामीण विकास के कार्य किये जाते हैं। चयनित किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह एवं समस्त आमजनमानस।	चयनित संकुलों में अनुभवी किसानों का चयन करके ग्रामोदय सहकारी समिति का निर्माण के माध्यम से परियोजना के कार्यों का संचालन किया जा रहा है।
13.	उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र	प्रदेश के 10 जनपदों में उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिस हेतु 10 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।	सम्बन्धित जनपदों के विद्यार्थी तथा आमजन।	सभी वर्गों के किये निश्चित दरों पर आगंतुकों के लिए खुला रहेगा।
14.	आपदा प्रबंधन केन्द्र	आपदा प्रबंधन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सुदृढ़ करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) में एक विशेष केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।	राज्य में आपदा प्रबंधन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सुदृढ़ कर आमजनमानस को लाभान्वित कर अन्य हिमालय राज्यों के लिये एक आदर्श माडल तैयार करना।	आम जनमानस

उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, हल्दी, पंतनगर,



क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण कार्यक्रम।	आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण, नये शोध कार्यो की जानकारी।	सरकारी अथवा निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राएं, शोधार्थी एवं किसानों का दल/विशेष समूह अथवा स्वयं सहायता समूह।	जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, शोध व प्रसार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों एवं किसानों को परिषद् एवं इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में स्थापित आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण कराया जाता है तथा वहां पर संचालित हो रहे शोध व विकास कार्यो से अवगत करा कर जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित व जागरूक किया जाता है। परिषद् के निदेशक/सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त परिषद् मुख्यालय अथवा परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्रों का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों से अवगत होकर तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करके इच्छुक अभ्यर्थी/दल/समूह लाभ प्राप्त कर सकता है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
(उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति)



**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
(उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति)**

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	आम जनमानस को एच0 आई0वी0/एड्स के प्रति जागरूक करना। एच0 आई0 वी0 की जांच, उपचार एवं औषधि निःशुल्क उपलब्ध है।	आम जनमानस एवं एच.आई. वी. संक्रमित व्यक्ति	- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम जन मानस को जागरूक करना है तथा 1097 में कॉल करके बचाव हेतु सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कराना है। - राजकीय चिकित्सालयों में स्थापित आई.सी.टी.सी. के माध्यम से एच.आई.वी. की जांच निःशुल्क करायी जाती है। - एच.आई.वी. के साथ जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को ए.आर.टी. केन्द्रों के माध्यम से एंटी रेट्रो वायरल की निःशुल्क दवा उपलब्ध करायी जाती है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

उत्तराखण्ड में आयुष्मान वय वंदना योजना:- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वय वंदना कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़े उपहार से कम नहीं है। इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग जनों को रूपए 5 लाख तक की निःशुल्क उपचार सुविधा की व्यवस्था की गई है। यह कार्ड सिर्फ आधार संख्या की केवाईसी के अनुरूप भी बनाए जा सकते हैं।

प्रदेश में वर्तमान में 6 लाख के लगभग लाभार्थी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के हैं जिनको प्रदेश सरकार की वित्त पोषित अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर लाभ प्रदान किया जा रहा है।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड से अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थी पूरे पांच लाख रूपए का उपचार लेने के पात्र होंगे। इससे आयुष्मान योजना के लाभार्थी परिवार की वित्तीय क्षमता में बढ़ोतरी होगी वहीं राज्य सरकार के वित्तीय भार को कम करने में भी मदद मिलेगी।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश में आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने व इस अहम योजना की व्यापक जन-जागरूकता हेतु स्थानीय मेलों में आयुष्मान शिविर व जानकारी युक्त साहित्य वितरण समेत अन्य प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अभी तक लगभग चार हजार से अधिक वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस कार्य को एक अभियान के तौर पर लिया जा रहा है।

आमजन से भी की विशेष अपील:-राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से वितरित की जा रही प्रचार सामाग्री में वय वंदना कार्ड बनाने में बुजुर्ग जनों का सहयोग करने की भी विशेष अपील की गई है। वहीं लाभार्थियों की सुविधा के लिए पूर्व में बने आयुष्मान कार्ड को घर बैठे डिसेबल कर वय वंदना कार्ड हेतु भी <https://sha-uk-gov-i> पोर्टल पर व्यवस्था की गई है।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड



क्र.सं	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राजकीय मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, होम्योपैथिक चिकित्सालयों तथा श्रम विभाग के अन्तर्गत समूह 'ख' तथा 'ग' के विभिन्न अध्यापन संकाय, चिकित्साधिकारी, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पदों पर चयन प्रक्रिया।	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं स्कूलों, एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों, श्रम विभाग के लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह- 'ख' तथा 'ग' (जो परीक्षाएं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की परिधि में हैं) के विभिन्न अध्यापन	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है।:- (क) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। (ख) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाईस्कूल	सम्पूर्ण प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के समान है, तथापि समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग से इतर साक्षात्कार का प्राविधान नहीं है, तथा परीक्षाओं के आवेदन के लिए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट

	संकाय, चिकित्साधिकारी, पैरामेडिकल पदों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य की संस्था है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं स्कूलों, एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों, श्रम विभाग द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु संबंधित पदों की सेवा नियमावली के अन्तर्गत रिक्तियों का अध्याचन (अध्याचन का सामान्य अर्थ है कि संबंधित रिक्तियां किन-किन श्रेणी के लिए आरक्षित है, के अनुसार तैयार कर) उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित किया जाता है। बोर्ड द्वारा अध्याचन के परीक्षणोंपरान्त सम्बन्धित पदों पर चयन हेतु परीक्षा (साक्षात्कार/प्रारम्भिक/मुख्य/अभिलेख सत्यापन) आयोजित करने के लिए राज्य के समस्त अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन हेतु न्यूनतम शुल्क जमा करना होता है।	या इंटरमिडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गई हो। (ग) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में तथा हाईस्कूल या इंटरमिडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण न करने की स्थिति में सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। साथ ही विज्ञापन में उल्लिखित अन्य अनिवार्य/वांछित योग्यता धारित करते हो, आवेदन कर सकते हैं। समूह 'ख' के पदों में राज्य के बाहर के नागरिकों से भी आवेदन मांगे जाते हैं।	https://ukmssb.org में आवेदन करना होता है। कोई अभ्यर्थी जो राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं स्कूलों, एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों, श्रम विभाग में अध्यापन संकाय, चिकित्साधिकारी, पैरामेडिकल पदों की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयारी करना चाहता हो अथवा कर रहा हो, वह उक्त वैबसाइट को समय-समय पर देखते रहें ताकि वह भर्ती विज्ञापन से अपडेट रह सके। साथ ही तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए बोर्ड द्वारा आयोजित की गयी विभिन्न परीक्षाओं के पुराने प्रश्नपत्रों को भी निःशुल्क डाउनलोड कर, पाठ्यक्रम देखकर, तैयारी कर सकते हैं।
--	--	---	--

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून

राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (यथा संशोधित) के माध्यम से राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धति के उन्नयन, विकास एवं शोधपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वर्तमान में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 03 परिसर एवं 20 निजी संस्थान सम्बद्ध है। उक्त संस्थानों में से 03 परिसरों एवं 17 निजी सम्बद्ध संस्थानों में बी0ए0एम0एस0 (BAMS), 02 निजी सम्बद्ध संस्थानों में बी0एच0एम0एस0 (BHMS) तथा 01 निजी सम्बद्ध संस्थान में बी0ए0एम0एस0 (BAMS) पाठ्यक्रम संचालित है। उक्त के अतिरिक्त 02 परिसरों एवं 04 निजी सम्बद्ध संस्थानों में एम0डी/एम0एस0 (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम भी संचालित है। विश्वविद्यालय स्तर पर आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में स्नातक तथा 14 विषयों की विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों जैसे-पंचकर्म, क्षारकर्म, योग, आयुर्वेदिक डायटिक व न्यूट्रिशन, योगा फॉर बेटर लिविंग, आयुर्वेद फॉर हैल्थी लिविंग, आयुर्वेदिक लाईफस्टाईल, पंचकर्म थेरेपी, योगा एण्ड नेचुरोपैथी, स्वस्थवृत्त एवं योग आदि में डिप्लोमा, पी०जी० डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित है। प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा पर उच्च कोटि के शोध कार्य सम्पादित किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा देश के अन्य ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों, संस्थानों के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर की प्रक्रिया गतिमान है। अपनी स्थापना के समय से ही उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा उत्कृष्ट शिक्षण, शोध, नवोन्मेष तथा नवाचार कार्यों में अग्रसर है।

हरिद्वार स्थित ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय (वर्तमान में विश्वविद्यालय का परिसर घोषित हो चुका है) की स्थापना वर्ष 1919 में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। परिसर के पास वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें प्रशासनिक भवन संकाय भवन, चिकित्सालय, ओ०पी०डी० ब्लॉक, हॉस्टल, आवास व आडिटोरियम आदि निर्मित है। परिसर को वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत उच्च शिक्षा एवं शोध के केन्द्र के रूप में विकसित करने, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में टेली मेडिसिन के माध्यम से आयुष विशेषज्ञों के द्वारा विशिष्ट चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने तथा प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

गुरुकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज (वर्तमान में विश्वविद्यालय का परिसर घोषित हो चुका है) की स्थापना वर्ष 1922 में स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा की गई थी। परिसर के पास 14 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें प्रशासनिक भवन संकाय भवन, चिकित्सालय, ओ०पी०डी० ब्लॉक, हॉस्टल, आवास व आडिटोरियम आदि निर्मित है। गुरुकुल परिसर में स्थित औषधि निर्माणशाला के लिए आयुष विभाग से लाइसेंस प्राप्त किया जा चुका है जिससे विश्वविद्यालय में गुणवत्ता युक्त औषधियों का निर्माण सम्भव हो सका है। गुरुकुल परिसर कैंसर चिकित्सा एवं शोध केन्द्र संचालित है जिसके सकारात्मक परिणामों को देखकर तत्सम्बन्धी एक वृहद प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है। सम्पूर्ण भारत में आयुर्वेद द्वारा कैंसर के उपचार का यह अभिनव प्रयास है। व्यसन मुक्ति और नशारोधी जनजागरण के लिए गुरुकुल परिसर में एक क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों और अन्य उपक्रमों द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है।

परिसर में पंचकर्म, त्वचा रोग, वाजीकरण, शल्य तंत्र, जलौका, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, शालाक्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, स्वस्थवृत्त, आहार विधि विज्ञान, आयुर्वेद फार्मसी से संबन्धित सुविधाओं/ओपीडी का विकास किया जाना है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की तर्ज पर “सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स” के रूप

में Referal Hospital के रूप में शिक्षा, शोध, रोगी उपचार तथा Model Centre for National/ International Collaboration के उद्देश्य से गुरुकुल परिसर की सुविधाओं का उन्नयन/उच्चीकरण किया जायेगा जिससे राज्य के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के रोगी भी अपना उपचार कराने आएंगे। साथ ही विदेशी रोगी भी आकर्षित होंगे।

विश्वविद्यालय के परिसर चिकित्सालयों में वर्तमान में निम्नानुसार योजनायें संचालित हैं:-

1. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत “सुप्रजा कार्यक्रम” के तहत गर्भिणी एवं सूतिका के लिए प्रसवपूर्व, प्रसव कालीन, सूतिका अवस्था के दौरान स्वास्थ्य रक्षण विश्वविद्यालय के तीनों परिसर चिकित्सालयों में संचालित किया जा रहा है।
2. विश्वविद्यालय के परिसर चिकित्सालयों में नवजात से 16 वर्ष की आयु के शिशुओं/बच्चों के health promoter, enhancement of intelligence, digestion, metabolism, immunity, physical strength and complexion के दृष्टिगत स्वर्ण प्राशन योजना संचालित की जा रही है। यह खुराक बच्चों को प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में पिलाई जाती है।
3. केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से 'A Survey on the effect of Nidra (Sleep) on the Memory Status of B.A.M.S. Students' विषयक गुरुकुल परिसर हेतु लघु शोध परियोजना संचालित की जा रही है।
4. केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से "Treatment adherence, tolerability and safety of Ayurveda therapeutic regimen in the management of Primary Knee Osteo orthorities: An OPD-based study" विषयक गुरुकुल परिसर हेतु शोध परियोजना संचालित की जा रही है।
5. "CCRAS PG Star" - A scheme for training in Ayurveda research for PG Scholars के तहत "Clinical Evaluation of Nagaradi granules in Balatisara" विषय पर ऋषिकुल परिसर हेतु लघु शोध परियोजना संचालित की जा रही है।
6. कैंसर रोग की रोकथाम में नवीन शोध कर इस रोग के निदान हेतु लाभकारी बनाये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा रसायु समूह पूना (महाराष्ट्र) से अनुबन्ध (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है।
7. जलौकावचरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (Leech therapy programe) अन्तर्गत शल्य तंत्र विभाग में विश्वविद्यालय परिसरों एवं सम्बद्ध निजी सस्थानों के संकाय सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य परिसर स्थित आयुर्वेद संकाय को उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न AYUSH training हेतु Nodal Training Centre तथा Nodal Wellness Centre के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	स्टार्टअप नीति-2023 (संशोधित)	- उद्यमियों के स्टार्टअप को रु. 15,000 प्रतिमाह एक वर्ष तक मासिक भत्ता। (महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को रु. 20,000 प्रतिमाह का मासिक भत्ता)। - मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को रु. 10 लाख तक की एक मुश्त सीड फण्डिंग। (महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को रु. 12.50 लाख तक की सीड फण्डिंग सहायता)। - पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट रु. 01 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए रु. 05 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता। - ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन दाखिल करने पर रु. 10 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता। - एमएसएमई नीति में प्रदत्त वित्तीय	- इस नीति के प्रयोजन के लिए किसी इकाई को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, एलएलपी अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को “स्टार्टअप” माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:- ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में हो: - विधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं संचालन की अवधि इसके निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। - निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विधिक इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ है। - किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और यह पारिवारिक व्यवसाय या समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। - इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, या	योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाइन पोर्टल www.startuputtarakhand.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।

		प्रोत्साहन, यथा: विशेष पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति सहायता। • प्री-इन्क्यूबेशन सपोर्ट, इन्क्यूबेशन सपोर्ट के लिए एक मुश्त निःशुल्क सहायता। • नए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए रु. 01 करोड़ तक तथा विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के लिए रु. 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान। • वेंचर फण्ड की स्थापना के लिए रु. 200 करोड़ का प्राविधान।	यदि यह रोजगार सृजन या धनोत्सर्जन की उच्च क्षमता वाला एक मापनीय व्यवसाय मॉडल हो; या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टप्स के मानदंडों के अनुसार। ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका भारत के अन्य राज्यों में पंजीकृत कार्यालय है (इस नीति के अधीन परिभाषित मानदंडों के अतिरिक्त):- 1. इकाई का उत्तराखण्ड राज्य में भी कार्यालय होना चाहिए और इस कार्यालय के माध्यम से ही उत्तराखण्ड में व्यवसाय का महत्वपूर्ण संचालन होना चाहिए। मान्यता की पूर्ण अवधि के दौरान इकाई को अपने समग्र पूर्णकालिक कार्यबल का न्यूनतम 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड के अधिवास में से नियोजित किया जायेगा।	
2.	उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति -2023 (संशोधित)	• डी.पी.आर. सहायता - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति। • स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति - 50 से 100 प्रतिशत, जनपद की श्रेणी के अनुसार। • पूंजीगत उपादान- कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश के सापेक्ष 20 से 50 प्रतिशत तक, अधिकतम रु. 4	• नीति के अंतर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी में सम्मिलित उद्यमों को छोड़कर अन्य श्रेणी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम पात्र होंगे। • पूर्व से विद्यमान उद्यम में न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश के साथ क्षमता में भी न्यूनतम 25 प्रतिशत वृद्धि होने पर नीति का लाभ देय होगा। • उद्यम की स्थापना अथवा विस्तारीकरण से पूर्व उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012	• नीति अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करने वाली इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त www.investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल के Incentive Tab के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। • वित्तीय प्रोत्साहन के लिये प्राप्त दावों पर महानिदेशक/आयुक्त उद्योग की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के माध्यम से स्वीकृति का प्राविधान है।

		करोड़ की प्रतिपूर्ति, जनपद एवं उद्यम की श्रेणी के अनुसार। ● ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति- 2 से 4 प्रतिशत, प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा के अंतर्गत, जनपद एवं उद्यम की श्रेणी के अनुसार। ● विद्युत ड्यूटी प्रतिपूर्ति- 500 कि.वा. तक लोड के सापेक्ष शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति। ● मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति- 50 प्रतिशत, प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा के अंतर्गत ● गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति- 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1 लाख क्लस्टर विकास हेतु प्रोत्साहन- प्रोजेक्ट मूल्य का 70 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट वित्तीय प्रोत्साहन।	के अधीन सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से कैफ (CAF) पर आवेदन कर, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व, जिला/राज्य प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो। ● इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ इकाई की श्रेणी (सूक्ष्म/लघु/मध्यम) एवं संबंधित जिला/क्षेत्र की श्रेणी (ए,बी,सी,डी) के अनुसार देय होंगे। ● नयी इकाई की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण के उपरान्त, दिनांक 01.08.2023 से नीति की लागू अवधि के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया हो।	● पूंजीगत उपादान का वितरण सूक्ष्म उद्यमों को 02 समान वार्षिक किश्तों में तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों को 05 समान वार्षिक किश्तों में देय है। अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का वितरण एकमुश्त देय होगा।
3.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	● विनिर्माण क्षेत्र के लिये रु0 50 लाख (अधिकतम) और सेवा क्षेत्र के लिये रु0 20 लाख (अधिकतम) तक की परियोजनाओं हेतु बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण। ● सामान्य (स्वयं का योगदान-10 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत),	● 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति। ● विनिर्माण क्षेत्र की रु. 10.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र की रु. 05.00 लाख से अधिक लागत वाली इकाई हेतु 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ● योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है। परिवार के स्वयं और पति अथवा पत्नी शामिल है। ● उद्यम एवं सेवा क्षेत्र की नई परियोजनाओं	योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.kviconline.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजना का क्रियान्वयन राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा किया जाता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज 1. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो 2. आधार कार्ड की प्रति 3. रोजगार संख्या के साथ प्रोजेक्ट

		विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) हेतु-स्वयं का योगदान-5 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु-25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत।	के लिये अनुमन्य।	रिपोर्ट - शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र - जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) - विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो) - ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान द्वारा) शिक्षा (ईडीपी) कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)
4.	निजी औद्योगिक आस्थानों/ क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति-2023	- बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत उपादान – रु. 10 लाख प्रति एकड़। - सी.ई.टी.पी. की स्थापना पर उपादान – 40 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1 करोड़। - वाह्य ढांचागत विकास हेतु सहायता- निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक आस्थान के लिये सृजित अचल परिसम्पत्ति पर किये गये कुल स्थिर पूंजी निवेश का 02 प्रतिशत, प्रति पार्क/औ.आ. देय होगा।	- कोई भी व्यक्तिगत संस्थापक/ विकासकर्ता/ साझेदारी फर्म/एलएलपी/कंपनी या कंपनी अधिनियम/ सोसाइटी अधिनियम/ सीमित देयता भागीदारी, संयुक्त उद्यम, सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड अथवा लैण्ड एग्रीगेटर (सभी संबंधित भूस्वामियों की लिखित सहमति के साथ) के रूप में विधिक रूप से पंजीकृत कम्पनी/संस्था, निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा। - निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र/पार्क की स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्र में कम से कम 30 एकड़ और पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 02 एकड़ या इससे अधिक भूमि होना अनिवार्य है। - औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रमोटर/निवेशक/प्रवर्तक को भूमि की व्यवस्था अपने श्रोतों से स्वयं करनी होगी। - लैण्ड एग्रीगेटर्स के द्वारा भूमि एकत्र कर	- निजी औद्योगिक आस्थान के गठन हेतु पात्र विकासकर्ता द्वारा www.investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल के कैफ (CAF) टैब के माध्यम से समस्त अनिवार्य अभिलेखों सहित आवेदन किया जायेगा। - सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा औद्योगिक आस्थान गठन की अधिसूचना हेतु एकल खिड़की पोर्टल पर Departmental Services Tab के माध्यम से अनिवार्य अभिलेखों सहित आवेदन किया जायेगा। - निजी औद्योगिक आस्थान/पार्क के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद, www.investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल के Incentive Tab के माध्यम से नीति अंतर्गत प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत उपादान सहायता 04 चरणों में, प्रत्येक चरण के

			औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र/पार्क की स्थापना किये जाने की स्थिति में, नीति के अन्तर्गत वित्तीय दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए, सिडकुल द्वारा प्रमोटर/लैण्ड एग्रीगेटर के साथ अनुबन्ध किया जायेगा। • निजी औद्योगिक आस्थान/पार्क विकासकर्ता द्वारा यदि न्यूनतम 80 प्रतिशत भूमि अर्जित अथवा एग्रीगेट कर ली जाती है और शेष भूमि को प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो सिडकुल द्वारा शेष भूमि के अधिग्रहण मूल्य के बराबर विकासकर्ता से बैंक गारण्टी प्राप्त करते हुये, सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि अधिग्रहीत की जा सकेगी। • विकासकर्ता द्वारा भूमि लीज पर लेने अथवा एग्रीगेट करने की स्थिति में लीज/अनुबन्ध की न्यूनतम अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से नवीनीकृत किया जा सकेगा। • प्रस्तावित भूमि विधिक रूप से पूरी तरह से प्रवर्तक के कब्जे में हो और किसी भी अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिये।	लिये निर्धारित शर्तें/कार्य की पूर्ति के उपरान्त देय होगा।
--	--	--	---	---

स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल)



स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बैंक उत्तराखण्ड लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार के उपक्रम को मुख्य रूप से राज्य के समग्र औद्योगिक विकास प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। सिडकुल उत्तराखण्ड राज्य में विश्वस्तरीय उद्योग विशिष्ट अवसंरचना प्रदान करके औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कटिबद्ध है।

परिकल्पना

- उच्च गुणवत्ता वाली विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और अन्य प्रमुख बाजारों में कनेक्टिविटी बढ़ाना।
- परियोजना मंजूरी में तेजी लाने के लिए राज्य में एकल खिडकी सुविधा (Single Window Clearance System) प्रदान करना।
- औद्योगिक उद्यमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराना।

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास और प्रबन्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना।
- उद्योगों के लिए सुनिश्चित अच्छी गुणवत्ता निर्बाध और सस्ती बिजली प्रदान करना।
- विशेष रूप से लघु, कुटीर खादी, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, रेशम और हथकरघा क्षेत्रों का बढ़ावा देना।
- उद्योग, विशेषकर लघु उद्योगों में रुग्णता और आरंभिक रुग्णता की समस्याओं का समाधान करना।
- उत्तराखण्ड को एक प्रमुख शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करना।

नई परियोजनाएँ

1. **एरोमा पार्क आई०आई०ई० काशीपुर-** सिडकुल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य एरोमा पार्क पॉलिसी पर आधारित आई०आई०ई० काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर में 40 एकड़ भूमि पर एक एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में जे०बी० पत्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, वन अनुसंधान केन्द्र आदि प्रतिष्ठित संस्थान हैं, राज्य में सुगंधित एवं औषधीय गुणों से युक्त वनस्पति की लगभग 175 प्रजाति/प्रकार पाये जाते हैं। उत्तराखण्ड में सेन्टर फॉर एरोमैटिक प्लान्ट्स (CAP) भी स्थित है, जिससे की राज्य में एरोमैटिक कृषि में संलग्न कृषकों को हैण्ड होल्डिंग एवं अन्य सहायता प्राप्त हो सकती है। इस कारकों को ध्यान में रखते हुये उत्तराखण्ड राज्य को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में गति प्रदान करने के उद्देश्य से एरोमा पार्क विकसित किया गया है। वर्तमान समय में एरोमा पार्क आई०आई०ई० काशीपुर में 38 भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं।
2. **इलैक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर आई०आई०ई० काशीपुर (EMC)** भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ई०एम०सी० 2.0 योजना के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा आई०आई०ई० काशीपुर में 133 एकड़ भूमि पर इलैक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इलैक्ट्रॉनिक्स एवं ई०एस०डी०एम सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्तराखण्ड राज्य को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के उद्देश्य से विकसित किये जा रहे इस इलैक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर में वर्तमान में समुद्धि ऑटोमेशन प्रा० लि० द्वारा एन्कर यूनिट के रूप में लगभग 175 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
3. **प्लास्टिक पार्क, आई०आई०ई० सितारगंज फेज-2** भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अंतर्गत देश में प्लास्टिक पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत सिडकुल आई०आई०ई० सिडकुल सितारगंज फेज-2 में लगभग 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क, विकसित किया जा रहा है। इस प्लास्टिक पार्क के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं-सीपेट सेन्टर, प्लास्टिक प्रोडक्स इवैल्यूवेशन सेन्टर प्लास्टिक वेस्ट रिसाईक्लिंग फैसिलिटी वेयर हाऊस टेस्टिंग एवं प्रशिक्षण सेवायें आदि। वर्तमान में प्लास्टिक पार्क आई०आई०ई० सितारगंज फेज-2 में 46 भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं।
4. **अमृतसर कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, के अंतर्गत खुरपिया का चयन एवं विकास-** भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृतसर कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, परियोजना के अंतर्गत सिडकुल द्वारा खुरपिया जिला ऊधमसिंह नगर में 1002 एकड़ भूमि में एकीकृत विनिर्माण केन्द्र इन्टीग्रेटिड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (Integrated Manufacturing Cluster) विकसित करने की योजना बनायी गयी है। यह परियोजना उत्तराखण्ड राज्य में निवेश को अधिक आकर्षक बनाएगी एवं राज्य औद्योगिक परिदृश्य को आकार देगी।
5. **फ्लैटिड फैक्ट्री, हरिद्वार-** उत्तराखण्ड प्रदेश में उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिये हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में रु० 194 करोड़ की लागत से फ्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। 57 एकड़ भूमि पर सिडकुल इस फ्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है। छोटे उद्योग मशीनरी लगाकर सिद्ध उत्पादन शुरू कर सकेंगे।
6. **वेयर हाऊस, पंतनगर-** सिडकुल द्वारा पतनगर औद्योगिक क्षेत्र में 6.38 एकड़ भूमि पर हाऊस का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उद्योग द्वारा वेयर हाऊस सम्बन्धित बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड



खादी का अर्थ है कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमे से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र। ग्रामोद्योग का अर्थ है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमे स्थाई पूँजी निवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में 4.50 लाख व शहरी क्षेत्र में 3.00 लाख से अधिक न हो, इस हेतु परिभाषित (ग्रामीण क्षेत्र में) समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आबादी वाले कस्बे सम्मिलित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग का गठन:-

उत्तर प्रदेश राज्य में खादी ग्रामोद्योग सैक्टर के चहुमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम सं० 10, 1960 के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप में हुआ था तदोपरान्त उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधित अधिनियम सं० 64, 1966 द्वारा उपरोक्त अधिनियम को संशोधित किया गया जिसके फलस्वरूप बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में

पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल 1967 में उद्योग निदेशालय, उ०प्र० के समस्त खादी ग्रामोद्योगी योजनायें बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी। पृथक राज्य गठन के पश्चात् उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 3387/2002-133 उद्योग/2001 दिनांक 17 अगस्त 2002 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना निम्नवत की गयी है:-

बोर्ड के सदस्यों का विवरण सरकारी/गैरसरकारी:-

- | | |
|---|---------|
| 1. मा० मंत्री, लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग- | अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख सचिव/सचिव उद्योग- | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त- | सदस्य |

4. प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास—	सदस्य
5. राज्य निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग—	सदस्य
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग—	सदस्य
7. गैरसरकारी सदस्य	(07) सदस्य

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य:—

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोट-मोटे तथा कम पूँजी निवेश के उद्योगों को स्थापित करवाकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

बोर्ड के कार्य:—

बोर्ड के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हैं:—

- प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को क्रियान्वित करना।
- खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुए अथवा उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उनका संगठन करना।
- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हो।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय विक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के विकास हेतु स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियाँ भी हैं, से समन्वय करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास को बढ़ावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।
- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन, जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।
- आवश्यकतानुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, मार्केटिंग, उत्पाद के पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजायनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों/सलाहकारों की सेवाएँ प्राप्त करना।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ कार्यालय/केन्द्रों की संख्या:—

- मुख्यालय, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग —01
- परिक्षेत्रीय, मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल — 02
- जिला ग्रामोद्योग कार्यालय—13

- क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)- 04
- उत्पादन केन्द्र-20
- बिक्री केन्द्र 10

विभागीय योजनाओं का विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम- (केन्द्रपोषित योजना)
 उत्तराखण्ड ऊन योजना- (जिला योजना)
 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट- (राज्य सैक्टर)
 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना- (राज्य सैक्टर)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उत्तराखण्ड ऊन योजना (विभागीय)	योजना के तहत चार क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा, श्रीनगर, अल्मोड़ा एवं जसपुर स्थापित है, जिनके अधीनस्थ कताई/उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से कताई बुनाई का कार्य किया जाता है। • कताई बुनाई कार्य हेतु इच्छुक प्रशिक्षार्थियों का चयन करते हुये प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षार्थियों को विभागीय कताई /उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से तथा उनके घर पर विभाग द्वारा कताई बुनाई कार्य हेतु ऊन/एन०एम०सी चर्खे उपलब्ध कराये जाते हैं। कतकर-बुनकरों को खादी आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कताई बुनाई का भुगतान किया जाता है। जिससे उनको वर्षभर रोजगार उपलब्ध होता है। • कतकर-बुनकरों के हितार्थ राज्य में खादी एवं पॉली वस्त्र आर्टिजन वेलफेयर एवं पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जिसमें कतकर-बुनकरों का पंजीकरण करते हुये 12 प्रतिशत आर्टिजन अंशदान एवं 12 प्रतिशत विभागीय अंशदान जमा किया जाता है। वर्ष में आर्टिजनों को दिये गये कताई-बुनाई मजदूरी का 25 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जाता है।	आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये। राज्य का मूल/स्थायी निवासी होना चाहिये। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।	लाभार्थी का चयन सम्बन्धित क्षेत्र के जन प्रतिनिधि अथवा जिले के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन के माध्यम से विभागीय उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। इच्छुक आवेदनकर्ता सम्बन्धित जिले के खादी ग्रामोद्योग कार्यालय तथा क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन कार्यालय चम्बा/श्रीनगर/अल्मोड़ा एवं जसपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

2.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार)	विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम के लिये परियोजना की अधिकतम लागत रु0 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत रु० 10 लाख बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। श्रेणी-ए के जनपदों हेतु 25 प्रतिशत (विनिर्माणक-अधिकतम 6.25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2.50 लाख), श्रेणी-बी व बी + हेतु 20 प्रतिशत (विनिर्माणक-अधिकतम 5 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख), श्रेणी-सी व डी हेतु 15 प्रतिशत (विनिर्माणक-अधिकतम 3.75 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 1.50 लाख) सब्सिडी का प्राविधान है।	आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये, राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही एप्पल, आर्किड, पशुपालन एवं एग्री बेस्ड पर भी वित्त पोषण की सुविधा अनुमन्य है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। आवेदक सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाता धारक होना चाहिए।	योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल https://msy-uk-gov-in/ के माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंको को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत नई परियोजनायें एवं छोटे स्तर पर कार्य कर रहे उद्यमों को उच्चीकरण करने हेतु भी वित्तीय सहायता अनुमन्य की जा सकती है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:- आवेदक का फोटोग्राफ, आधार कार्ड, स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), न प्रोजेक्ट डिटेल् कॉपी, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) एवं राशन कार्ड कॉपी। (समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेज ऑनलाईन एक पोर्टल पर ही अपलोड किया जायेगा) योजनान्तर्गत स्थापित परियोजना 2 वर्ष के निरन्तर सफल संचालित करने के पश्चात् ही निर्धारित उपादान अनुमन्य होगा।
----	---	--	--	---

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, उत्तराखण्ड



संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन (संशोधित)	प्रदेश के विभिन्न अंचलों एवं प्रदेश के बाहर प्रचलित पारम्परिक मेलों/त्योहारों/पर्वों/उत्सवों तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध दलों/लोक गायकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने के उपरान्त दलनायक को देय मानदेय रु० 1000/- एवं अन्य कलाकारों को रु० 800/- मात्र, दलनायक का यात्रा भत्ता रु० 500/- एवं अन्य कलाकारों का यात्रा भत्ता रु० 400/- मात्र तथा ए-श्रेणी लोक गायकों को रु० 7500/- एवं बी-श्रेणी को रु० 4250/- तथा यात्रा भत्ता रु० 300/- का भुगतान एवं यात्रा हेतु साधारण बस किराया एवं द्वितीय श्रेणी रेल किराया का भुगतान किया जाता है।	संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध सांस्कृतिक दल/कलाकार	संस्कृति निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक दलों/कलाकारों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु समय-समय पर ऑडिशन किया जाता है। सांस्कृतिक दल के चयन हेतु संस्था का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बायलॉज, दल के कलाकारों की संख्या तथा विवरण एवं उत्तराखण्ड का मूल निवासी/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। वर्तमान में विभाग में कुल 267 सांस्कृतिक दल एवं 226 एकल कलाकार सूचीबद्ध हैं।
2.	उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना। (संशोधित)	विभाग द्वारा रु० 3000/- प्रतिमाह मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।	ऐसे वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों, साहित्यकारों, लेखकों को दी जाती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य के विकास में समर्पित कर विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आयु 60 वर्ष से कम न हो। उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो।	पेंशन योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये “अपणि सरकार उत्तराखण्ड” पोर्टल के अन्तर्गत वेबसाइट https://eservices.uk.gov.in पर sign up के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तदुपरान्त आवेदन पत्र के साथ पात्र आवेदक स्वयं एवं परिवार का सम्पूर्ण विवरण, आधार कार्ड, राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आयु के लिये जन्म प्रमाण पत्र अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र, सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी/अन्य द्वारा प्रदत्त कलाकार/साहित्यकार/लेखक संबंधी प्रमाण-पत्र, कलाकार सिद्ध होने का प्रमाण-पत्र एवं जिला प्रशासन

				की संस्तुति अनिवार्य है। यह दस्तावेज “अपणि सरकार उत्तराखण्ड” पोर्टल के अन्तर्गत वेबसाइट https://eservices.uk.gov.in पर sign up कर अपलोड किये जाने पर ही प्रक्रिया पूर्ण होगी। महानिदेशक/निदेशक द्वारा आवेदनों की जांचोपरान्त सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। समिति प्रार्थना पत्र के दस्तावेजों की जांच करते हैं एवं संबंधित कलाकार को साक्षात्कार हेतु बुलाते हैं। साक्षात्कार/जांच में सही पाये जाने पर पेंशन की संस्तुति की जाती है। इसके उपरान्त संस्कृति निदेशालय द्वारा पेंशन की धनराशि प्रतिमाह कलाकार को भुगतान की जाती है। मासिक पेंशन से लाभान्वित कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित के रूप में उनके पति उनकी पत्नी मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में संस्कृति निदेशालय द्वारा कुल 123 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
3.	लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता (संशोधित)	प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों एवं कवियों, जिनकी कृतियाँ धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, उन्हें विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	राज्य का स्थायी/मूल निवासी हो तथा धनाभाव के कारण कृतियाँ प्रकाशित नहीं हो रही हों।	पुस्तक प्रकाशन हेतु विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। लाभार्थी विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त अपणि सरकार पोर्टल से ऑनलाईन आवेदन कर सकता है, जिस हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नवत हैं— 1— पाण्डुलिपि 2— पुस्तक छपवाने का कोटेशन 3— आधार कार्ड 4— खाता संख्या 5— पेन कार्ड 6— स्थायी निवास प्रमाण पत्र विभाग में प्राप्त आवेदन/पाण्डुलिपियों के परीक्षण हेतु विभागीय समिति का गठन किया जाता है, समिति की संस्तुति के उपरान्त ही पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

4.	धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता (संशोधित)	भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों भले ही वे किसी भी धर्म या जाति के हों, की उत्तराखण्ड राज्य सरकार की ओर से रु0 50.00 हजार की धनराशि, यात्रा पूर्ण करने के उपरांत प्रदान की जाती है।	राज्य के स्थायी निवासी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर ली हो तथा यात्रा कुमाऊ मण्डल विकास निगम के द्वारा की गई हो।	प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जिन्होंने पिथौरागढ़ यात्रा मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण की हो, कुमाऊ मण्डल विकास निगम की संस्तुति के उपरान्त अपणि सरकार पोर्टल से ऑनलाईन आवेदन कर सकता है, जिस हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नवत हैं— 1-उत्तराखण्ड का स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र 2-विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदत्त यात्रा पूर्ण किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं यात्रा से सम्बन्धित अन्य अभिलेख 3- बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिसमें खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड अंकित हो 4- पैन कार्ड की छायाप्रति 5- आधार कार्ड की छायाप्रति इसके उपरान्त निदेशक कार्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने के उपरांत संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति धनराशि भुगतान की जाती है।
5.	अनुसूचित जाति /जनजाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्ययंत्रों, वेश-भूषा क्रय करने हेतु सहायता (संशोधित)	अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति जिनकी आय स्रोत अपनी पारम्परिक कला के माध्यम से होता है तथा जिनके पास वाद्य यंत्र एवं वेश-भूषा नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों एवं लोक कलाकारों को उनके जीवन यापन को सुचारु रूप से चलाने के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्र (ढोल, दमाऊं, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही, नगाड़ा, ढाल तलवार आदि) एवं वेश-भूषा क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। किसी कलाकार को आजीवन यंत्र एक ही बार दिया जाता है।	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोक कलाकार, जिनकी मासिक आय रु0 2000/- से अधिक न हो। एक परिवार में एक से अधिक कलाकार को वाद्ययंत्र नहीं दिया जायेगा।	अ0जा0/जनजाति के पात्र व्यक्तियों को पारम्परिक वाद्य यंत्रों/वेशभूषा प्रदान किये जाने हेतु संस्कृति निदेशालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन के उपरांत संबंधित व्यक्ति रु0 2000/- मासिक आय का तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कलाकार/वाद्य यंत्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, बैंक खाता संख्या/बैंक आई0एफ0एस0सी0 कोड, पैन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि लाभार्थी को अन्य योजनाओं से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, संलग्न करके निदेशक संस्कृति निदेशालय में जमा करेगा। निदेशालय स्तर से सचिव संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है तथा कुछ समय बाद लाभार्थी वाद्ययंत्र निदेशालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय (संशोधित)	उत्तराखण्ड में वर्तमान में देहरादून, पौड़ी एवं अल्मोड़ा में भातखण्डे हिन्दुस्तानी महाविद्यालय स्थापित हैं, जिसमें गायन, कथक नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। मासिक शुल्क प्रवेशिका से मध्यमा तक 40 रु० तथा विशारद प्रथम वर्ष का शुल्क रु० 50 तथा विशारद द्वितीय वर्ष का शुल्क रु० 60 प्रतिमाह की दर से लिया जाता है।	गायन, कथक नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि सीखने वाले विद्यार्थी।	महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जनवरी माह में फार्म वितरित किये जाते हैं। प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 11 वर्ष एवं अधिकतम आयु 21 वर्ष है। शिक्षण सत्र माह जनवरी से दिसम्बर तक होता है। माह दिसम्बर में वार्षिक परीक्षाएँ सम्पन्न की जाती हैं। उसके उपरांत प्रवेश दिया जाता है।
7.	प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, निकट दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून।	संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्थानीय लोक कलाकारों/साहित्यकारों को अपनी विधा को प्रदर्शित करने हेतु प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, देहरादून की स्थापना की गई है।	समस्त सांस्कृतिक संस्थायें/साहित्यकार	प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, देहरादून में कार्यक्रम प्रस्तुत करने का किराया प्रतिदिन रु० 15000/- निर्धारित किया गया है, जो कि संस्कृति निदेशालय कार्यालय में जमा करने के उपरान्त कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में यहां पर लगभग 270 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। (जी०एस०टी० लागू नहीं है।)
8.	हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी, देहरादून।	संस्कृति विभाग के अन्तर्गत हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैट, नीबूवाला, देहरादून में ऑडिटोरियम की स्थापना की गई है।	समस्त सांस्कृतिक संस्थायें/साहित्यकार एवं अन्य कोई भी संस्था	आवेदक द्वारा संस्कृति निदेशालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करने पर हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र में Spaces उपलब्धता के आधार पर आरक्षित किया जाता है। हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र में Spaces किराया निम्नवत निर्धारित किया गया है:- 1-प्रेक्षागृह (auditorium) - प्रतिदिन किराया रु० 100000/- + 18 प्रतिशत GST कुल रु० 118000/- 2-रंगशाला (amphitheatre) - 03 दिन हेतु रु० 10000/- + 18 प्रतिशत GST कुल रु० 11800/- 3-कलादीर्घा (Exhibition) - 03 दिन किराया रु० 10000/- + 18 प्रतिशत GST कुल रु० 11800/- 4-कॉन्फ्रेंस हॉल (A V Hall) - प्रतिदिन किराया रु० 25000/- + 18 प्रतिशत GST कुल रु० 29500/-

राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा



उत्तराखण्ड के कुमाऊं मण्डल के अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसमें बिखरी पड़ी राजवंशों से सम्बन्धित एवं अन्य अपार सांस्कृतिक सम्पदा के संग्रह, अनुरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन एवं उन पर शोध करने के उद्देश्य से 1979 ई० में उत्तराखण्ड की प्रसिद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में संग्रहालय की स्थापना की गयी। सितम्बर, 1989 ई० में इस संग्रहालय को भारत रत्न पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत नाम दिया गया तथा अब यह “पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत, राजकीय संग्रहालय” के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह माल रोड, अल्मोड़ा के निकट सैन्ट्रल लॉज नामक भवन में स्थित है। वर्तमान में संग्रहालय में 1500 ई०पू० से वर्तमान तक लगभग 1000 कलाकृतियां आरक्षित संग्रह के अतिरिक्त संग्रहालय की पांच वीथिकाओं में सुरुचिपूर्ण एवं वैज्ञानिक विधि से प्रदर्शित की गई है, जिससे पर्यटकों, दर्शकों के दर्शनार्थ एवं शोधार्थियों को अपने सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही शैक्षणिक जन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में

अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को संग्रहालय में आमंत्रित कर उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाता है।

संग्रहालय परिसर में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। जिसमें लगभग 3000 पुस्तकों का संग्रह है। जिसमें मुख्य रूप से भारतीय इतिहास, पुरातत्व, स्थानीय एवं उत्तराखण्ड के इतिहास से सम्बन्धित पुस्तकें हैं। इस पुस्तकालय से शोधार्थी तथा अध्ययनशील व्यक्ति लाभ उठाते रहे हैं। संग्रहालय परिसर में ही भारतीय पुरातत्व विभाग के पूर्व महानिदेशक स्व० श्री जगतपति जोशी जी की स्मृति में एक कक्ष पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया गया है। जिसमें उनकी पत्नी द्वारा संग्रहालय को प्रदत्त पुस्तकों को रखा गया है।

वर्तमान में संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है। पं० गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा सप्ताह में पूर्वान्ह 10:30 बजे से अपरान्ह 4:30 तक खुला रहता है। प्रत्येक माह में सोमवार एवं द्वितीय शनिवार के अगले रविवार तथा शासकीय अवकाशों में संग्रहालय बन्द रहता है। अन्यथा रविवार को खुला रहेगा।

राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़



उत्तराखण्ड के कुमाऊं मण्डल के पिथौरागढ़ में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है, पिथौरागढ़ तथा इसके सीमावर्ती जनपदों की विभिन्न पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा लोक कला आदि से सम्बन्धित बहुमूल्य धरोहरों को संग्रहीत, संरक्षित, प्रदर्शित एवं उन पर शोध करने के उद्देश्य से जनपद मुख्यालय में संग्रहालय की स्थापना की गयी है। संग्रहालय भवन में एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है। इस भवन के भूतल में निर्मित संग्रहालय में फिलहाल चार वीथिकाओं का निर्माण किया गया है। प्रथम वीथिका में उत्तराखण्ड के पुरातात्विक महत्व के देवालयों तथा कलाकृतियों के छायाचित्रों को अत्यन्त सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया गया है। दूसरी वीथिका में राज्य के प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा तैलीय, जलरंग एवं एकेलिक रंगों में कैनवास तथा कागज पर बनाये गये विभिन्न चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। जो समाज के विविध रूपों को जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी है। इस भवन के भूतल में निर्मित संग्रहालय में फिलहाल चार वीथिकाओं

का निर्माण किया गया है। संग्रहालय की तीसरी वीथिका में स्थानीय काष्ठ से निर्मित सामग्री को प्रदर्शित किया गया है जिससे कि यहां आने वाले छात्र-छात्राओं व शोधार्थियों एवं पर्यटकों को इतिहास एवं पुरातात्विक महत्व की जानकारी प्रदान की जाती है। संग्रहालय में विद्यमान सिलौली गांव से प्राप्त मृन्भाण्डों का पुरातात्विक महत्व इसलिये भी और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जिस स्थल से यह सामग्री प्राप्त हुयी है उस पूरे क्षेत्र में वृहद् पाषाण संस्कृति के अवशेष अभी भी विद्यमान है। अन्य संग्रह में स्थानीय काष्ठ के बर्तन, ठेकी, पाली, दौनी, फरसी (हुक्का), पाल्ली, छोटी नाली (माण्णा), हड़पी, ढपवाल (छोटा घी का बर्तन), छोटी दौनी (दुआब) आदि संग्रहित है। चौपखिया मन्दिर से प्राप्त लगभग 10-11वीं शती ईसवी की गरुड की खण्डित प्रतिमा एवं स्थानक विष्णु की खण्डित प्रस्तर प्रतिमा, तांबे के खिलजी वंश के सिक्के जो सम्भवतः अलाउद्दीन खिलजी के जीतल हो सकते हैं। और ब्रितानवी काल के सिक्कों के अतिरिक्त विभिन्न देशों के सिक्कों एवं कागजी मुद्राओं का महत्वपूर्ण संग्रह है। राजकीय संग्रहालय, पिथौरागढ़ में समय-समय पर विभिन्न विद्यालयों से आने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक व्याख्यान के माध्यम से इतिहास एवं पुरातत्व से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही शैक्षणिक जनजागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को संग्रहालय में आमंत्रित कर उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाता है।

संग्रहालय परिसर में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। जिसमें लगभग 378 पुस्तकों का संग्रह है। जिसमें मुख्य रूप से भारतीय इतिहास, पुरातत्व, स्थानीय एवं उत्तराखण्ड के इतिहास से सम्बन्धित पुस्तकें हैं। इस पुस्तकालय से शोधार्थी तथा अध्ययनशील व्यक्ति लाभ उठाते रहे हैं।

वर्तमान में संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है। राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ सप्ताह में पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.30 तक खुला रहता है। प्रत्येक माह में सोमवार एवं द्वितीय शनिवार के अगले रविवार तथा शासकीय संग्रहालय बन्द रहता है। अन्यथा रविवार को खुला रहता है।

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति



श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति उत्तराखण्ड सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है, जिसका गठन “संयुक्त प्रांत श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम” 1939 के द्वारा किया गया है। मंदिर समिति मुख्य मंदिर श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ के अतिरिक्त अन्य 45 अधीनस्थ मंदिरों का प्रबन्धन, रखरखाव एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य करती है, जिनका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति एवं प्रशासन राज्य के वरिष्ठ सिविल सेवा के अधिकारी द्वारा किया जाता है। मंदिर समिति श्री धामों में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुलभ पूजा/दर्शन व्यवस्था उपलब्ध करवाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंदिर समिति द्वारा श्री धामों में आने वाले तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ विभिन्न जनोपयोगी कार्यों का निर्वहन किया जाता है, जो कि निम्नवत हैं—

यात्रियों के सुविधार्थ पूजा/दर्शन व्यवस्था, सूचनाओं का ऑनलाईन/मीडिया-सोशल मीडिया में प्रसारण— श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ मंदिरों में निःशुल्क दर्शन व्यवस्था, ऑनलाईन पूजा बुकिंग आदि की व्यवस्था करायी जाती है। श्री बदरीनाथ मन्दिर में प्रातः महा अभिषेक पूजा, वेद पाठ, गीता पाठ, सांयकालीन आरती में कर्पूर आरती, चांदी आरती, स्वर्ण आरती, अष्टोत्तरी, विष्णु सहस्रनाम नामपाठ, विष्णु सहस्रनामवाली, व अन्त में शयन आरती के पश्चात् भगवान के कपाट बन्द कर दिये जाते हैं। श्री बदरीनाथ मंदिर में तीर्थयात्रियों हेतु सामान्य दर्शन प्रातः

कालीन अभिषेक पूजा के उपरान्त 8:30 बजे से दोपहर भगवान के दोपहर के भोग लगने तक तथा अपराह्न 3:00 बजे से रात्रि शयन आरती तक कराये जाते हैं। इसी प्रकार श्री केदारनाथ में तीर्थयात्रियों हेतु सामान्य दर्शन प्रातः कालीन रुद्राभिषेक पूजा के उपरान्त 6:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक तथा पुनः 4:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक कराये जाते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर में प्रातःकालीन पूजाओं में महा अभिषेक पूजा, रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजा अष्टोपचार पूजायें आदि सम्पादित की जाती है। श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर में जिन तीर्थयात्रियों को उपरोक्त पूजायें सम्पादित करवानी होती है। वे पूजा मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट <https://badrinath-kedarnath.gov.in> अथवा श्री धाम में स्थापित समिति पूजा काउण्टरों से अपनी पूजा आरक्षित करा सकते हैं। इसके साथ ही दोनों मंदिर में अटका भोग भी लिखवाया जाता है। जिससे उक्त यात्रियों को वर्ष में 01 बार 10 वर्षों तक भगवान का निर्माल्य चन्दन, तुलसी, भस्म प्रसाद के रूप में उनके आवासीय पते पर पंजिकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है। मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर तीर्थयात्रियों के लिए सम्पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर से तीर्थयात्रियों के हित में विभिन्न यात्रा सम्बन्धित समाचार/सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाती है।

यात्रियों के सुविधार्थ विश्राम गृहों/धर्मशालाओं का संचालन- श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा यात्रा मार्ग पर आने वाले तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ न्यूनतम दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। श्री बदरीनाथ तथा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग सहित नन्दप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, एवं बदरीनाथ आदि स्थानों पर मंदिर समिति के विश्राम गृह स्थापित है। यात्रियों के सुविधार्थ मंदिर समिति द्वारा समय-समय पर विश्राम गृहों का सौन्दर्यीकरण एवं उच्चीकरण किया जाता है।

संस्कृत शिक्षा का उन्नयन कार्य-श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा देश की पुरातन संस्कृत विद्या ज्योतिष वेद वेदांग विद्या के उन्नयन एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु कार्य किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मंदिर समिति द्वारा संस्कृत महाविद्यालय जोशीमठ, मण्डल (गोपेश्वर), विद्यापीठ (गुप्तकाशी), शोणितपुर (लमगौंडी) सहित सिमली (डिम्मर), देवप्रयाग, कमेड़ा (नन्दप्रयाग) एवं किमोठा (चमोली) संस्कृत विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों/महाविद्यालयों में मध्यमा, उत्तरमध्यमा से लेकर आचार्य तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही मण्डल, जोशीमठ, विद्यापीठ स्थित संस्कृत महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु पुस्तकालय का संचालन भी किया जा रहा है। छात्र उक्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीधे सम्पर्क कर सकते हैं तथा मंदिर समिति द्वारा समय-समय पर समाचार पत्रों/सोशल मीडिया के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके साथ ही मंदिर समिति की विद्यापीठ (गुप्तकाशी) जिला रुद्रप्रयाग स्थित आयुर्वेदिक फार्मसी में भैषज्य कल्पक प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन के माध्यम से 02 वर्षीय डिप्लोमा हेतु मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

सदावर्त एवं निःशुल्क भण्डारा प्रसाद, अलाव की व्यवस्था-श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा सम्पूर्ण यात्राकाल में श्री बदरीनाथ मंदिर परिसर में तथा श्री केदारनाथ में तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ निःशुल्क भण्डारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर समिति साधू-सन्तों को सदावर्त निधि से दान स्वरूप निश्चित धनराशि तथा खाद्यान्न सामग्री प्रदान की जाती है एवं उन्हें निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त धामों में यात्रियों को सर्दी से बचाव हेतु समिति द्वारा निःशुल्क अलाव की व्यवस्था भी उपलब्ध करायी जाती है।

श्री केदारनाथ धाम एवं श्री बदरीनाथ धाम तथा यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को मूलभूत सुविधायें -मंदिर समिति द्वारा समय-समय पर श्री केदारनाथ धाम एवं श्री बदरीनाथ धाम तथा यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। इसी क्रम में श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम में दर्शन पंक्ति में धूप एवं बरसात से बचाव हेतु रैन शैल्टर शैड का निर्माण किया गया है।

समिति द्वारा वेडिंग डेस्टिनेशन की योजना- श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा शिव पार्वती विवाह स्थल श्री त्रियुगीनारायण एवं श्री ओंकारेश्वर मन्दिर ऊखीमठ को आम लोगों की सुविधा हेतु वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली	राज्य में पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायों तथा सेवाओं का पर्यटन विभाग के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है।	नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाईयों का पंजीकरण किया जाता है। आवासीय इकाईयां —, होटल/ मोटल/ रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, आश्रम आदि ट्रैवल ट्रेड सम्बन्धी इकाईयां —ट्रैवल एजेन्ट, डोमेस्टिक टुअर ऑपरेटर, एक्सकर्सन एजेन्ट। खान-पान सम्बन्धी इकाई — रेस्टोरेन्ट/बियर बार, फास्ट फूड सेंटर/फूड प्लाजा/फूड कोर्ट इत्यादि। मनोरंजन सम्बन्धी इकाई — आमोद-प्रमोद/थीम/एम्पूजमेंट पार्क, गोल्फ कोर्स, रज्जु मार्ग, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन, एंगलिंग। साहसिक पर्यटन सम्बन्धी इकाई — एडवेंचर टुअर ऑपरेटर, क्याकिंग कैनोईंग, वाटर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग, वॉल क्लाइम्बिंग पर्वतारोहण, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग आदि अन्य इकाईयां — हस्तशिल्प/सोविनियर शॉप, योग ध्यान केन्द्र/साधना कुटीर, पर्यटक सूचना केन्द्र, नेचर/एडवेंचर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आदि का पंजीकरण किया जाता है।	इकाई के पंजीकरण हेतु पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण ऑनलाइन uttarakhandtourism. gov. in>Trade>Travel Trade Registration में करना होता है, जिसके लिए आधार संख्या, आधार लिंक मोबाईल नम्बर अनिवार्य है तथा पंजीकरण के दौरान आवेदन पत्र पर उल्लिखित कम्पनी रजिस्ट्रेशन, आवेदक का पैन कार्ड, इकाई का पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, इकाई की फोटो, बैलेंस शीट (पुरानी इकाई की दशा में), इकाई की फोटो, 10 रु0 का एफिडेबिट, भू-स्वामित्व की प्रति, कर्मचारियों की सूची, होटल की टैरिफ दरें, पंजीकरण शुल्क रु0 1000/— फायर एन0ओ0सी0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एन0ओ0सी0, फूड लाईसेंस FSSAI संलग्न करना होगा। उसके उपरान्त सम्बन्धित जनपद में जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा पंजीकरण संख्या आवेदक को उपलब्ध करायी जाती है, पंजीकरण के पश्चात् इकाई का संचालन किया जा सकता है।
2	निधि + पोर्टल (पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की योजना)	देश एवं राज्य की पर्यटन एवं आतिथ्य सम्बन्धी सेवाओं का पंजीकरण निधि + पोर्टल में किया जाता है। राज्य के पर्यटन एवं आतिथ्य सम्बन्धी	निधि + पोर्टल के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाईयों का पंजीकरण किया जाता है:— 1. डैस्टिनेशन एण्ड अट्रैक्शन्स — जनपद से सम्बन्धित पर्यटक स्थलों/आकर्षणों, पर्यटन ग्राम आदि का पंजीकरण। 2. आवासीय इकाईयां — अपार्टमेंट होटल, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट, फार्म—स्टे, गेस्ट हाउस, हैरिटेज, होम—स्टे होटल, हाउस बोट, लीगेसी विण्टेज, लॉज एण्ड टूरिस्ट होम, मोटल, रिजॉर्ट, टेन्टेड	निधि + पोर्टल में पंजीकरण हेतु स्टेकहोल्डर निधि पोर्टल पर Login कर पंजीकरण हेतु आवेदन करता है। आवेदन नोडल अधिकारी के पास आता है, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा Officers login कर आवेदन को सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सम्बन्धित इकाई के उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख की जांच कर सम्बन्धित आवेदन को Approve करता है। आवेदन Approve होने के बाद आवेदक document

		इकाईयों को अपनी सेवायें showcase करनेका अवसर मिलता है।	एकोमोडेशन, टाइमशेयर रिजॉर्ट। 3. कन्वेंसन सेंटर— कन्वेंसन सेंटर विदाउट रेजिडेंसियल एकोमोडेशन, कन्वेंसन सेंटर विद रेजिडेंसियल एकोमोडेशन। 4. फूड बिजनेस ऑपरेटर—स्टैण्डअलोन एयर केटरिंग यूनिट, स्टैण्डअलोन रेस्टोरेंट। 5. ऑनलाईन ट्रेवल एग्रीग्रेटर 6. प्रोजेक्ट अप्रूवल— अपार्टमेंट होटल (प्रोजेक्ट अप्रूवल) हैरिटेज (प्रोजेक्ट अप्रूवल), होटल (प्रोजेक्ट अप्रूवल), मोटल (प्रोजेक्ट अप्रूवल), रिजॉर्ट (प्रोजेक्ट अप्रूवल), स्टैण्डअलोन एयर केटरिंग यूनिट (प्रोजेक्ट अप्रूवल), टेन्टेड एकोमोडेशन (प्रोजेक्ट अप्रूवल), टाइमशेयर रिजॉर्ट (प्रोजेक्ट अप्रूवल)। 7. टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर— टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर।	upload करता है, जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा सत्यापित कर Approve किया जाता है, जिसके पश्चात् पर्यटन एवं आतिथ्य सम्बन्धी इकाई का पंजीकरण Nidhi + पोर्टल में हो जाता है।
3	रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग गतिविधियों का संचालन।	राफ्टिंग कम्पनियाँ संचालित की अनुमति है। रिवर गाइडों को लाइसेंस निर्गत किये गये हैं, जिससे प्रदेश को राजस्व का लाभ होने के साथ-साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों को आर्थिक लाभ मिलता है।	• आवेदक उत्तराखण्ड में कम से कम दस वर्ष का निवासी हो अथवा राज्य का मूल निवासी हो। • आवेदक को एयरो स्पोर्ट्स की एडवांस व्यवहारिक/तकनीकी ज्ञान हो।	(1) रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग अनुज्ञा के इच्छुक आवेदक द्वारा गंगा नदी हेतु 01 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य एवं अन्य नदियों हेतु वर्ष पर्यन्त आवेदन किया जाते हैं। 1. फर्म संचालन हेतु :- • प्रार्थना-पत्र। • निर्धारित आवेदन पत्र। • फर्म का इश्योरेन्स। • फर्म सोसाइटी अधिनियम के तहत मान्य पंजीकरण। • उत्तराखण्ड यात्रा व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण-पत्र। • साहसिक गतिविधियों से सम्बन्धित तीन वर्ष का अनुभव। • फर्म में कार्यरत कर्मचारी-वृंद का विवरण। • राफ्टों/क्याकों/सुरक्षा उपकरणों का विवरण। • नियमानुसार आवेदन शुल्क रु0 1000/- 2. रिवर गाइड हेतु :- • पूर्ण रूप से स्वस्थ हो;

				• आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। • न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 (हाईस्कूल) उत्तीर्ण होना आवश्यक है, • तैराकी में सक्षम हो। • प्रत्येक गाईड रेडक्रास अथवा सेंट जान्स एम्बुलेंस अथवा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्राथमिक चिकित्सा से सम्बन्धित बैध प्रमाण-पत्र (First Aid Certification) धारक हो। (1) विभाग द्वारा आवेदन-पत्रों की सम्यक जाँच के पश्चात् तकनीकी समिति के सम्मुख रखा जाता है। (2) तकनीकी समिति के निरीक्षण के पश्चात् सभी आवेदकों को अधिकतम 45 दिन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा कारणों सहित अनुज्ञा के संबंध में अवगत कराया जाता है।
4	पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन।	पैराग्लाइडिंग कम्पनियों को संचालित करने की अनुमति है। टैन्डम पायलट लाइसेंस निर्गत किये गये है, जिससे कि उक्त लाइसेंस धारी द्वारा राज्य में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के माध्यम से जीविका उपार्जन कर सकता है।	-	(1) पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में प्रतिभाग करने के इच्छुक आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई से 30 अगस्त के मध्य आवेदन किये जाते हैं। 1. फर्म संचालन हेतु :- • निर्धारित आवेदन-पत्र। • फर्म सोसाइटी अधिनियम के तहत मान्य पंजीकरण। • उत्तराखण्ड यात्रा व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण-पत्र। • फर्म का इंश्योरेन्स। • फर्म में कार्यरत कर्मचारी-वृंद का विवरण। • टैन्डम जॉय राइडस पैकेज का किराया (टैरिफ कार्ड)। • पैराग्लाइडिंग उपकरणों का विवरण। • नियमानुसार आवेदन शुल्क रु0 1000 /- 2. टैन्डम पायलट हेतु :- • टैन्डम पायलट ने न्यूनतम 35 किमी० की हवाई दूरी तय की हो, इस उड़ान का डिजिटल लॉग में टैन्डम पायलट का नाम होना अनिवार्य है।

				• आवेदक ने न्यूनतम 100 घंटों की हवाई उड़ान तय की हो। इस उड़ान का डिजिटल लॉग में आवेदक का नाम होना अनिवार्य है। • टेंडेम पाइलट को एयरो स्पोर्ट का उन्नत व्यावहारिक ज्ञान हो जिसका परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा व्यावहारिक परीक्षण के माध्यम से किया जा सकेगा। • टेंडेम पाइलट चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो तथा उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र हो, तथा वार्षिक चिकित्सा परीक्षा के अधीन वैध प्राथमिक चिकित्सा तथा सीपीआर प्रमाणन हो। • ऑपरेटर के पास पैराग्लाइडिंग को कबर करने वाला वैध वृतीय पक्ष बीमा होना चाहिए। • टेंडेम पाइलट ने एसआईवी (उड़ान के दौरान अनुकरण) टेंडेम (पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम) पूर्ण किया हो। (2) विभाग द्वारा आवेदन-पत्रों की सम्यक जाँच के पश्चात् तकनीकी समिति के सम्मुख रखा जाता है। (3) तकनीकी समिति की संस्तुति के पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अनुज्ञा जारी करेगा।
5.	P1, P2, P3, P4, SIV, Guided Flying	टेण्डम पायलट के रूप में संचालित फर्मों में कार्य कर सकते हैं/ प्रशिक्षक/प्रतियोगी	उत्तराखण्ड के युवा हों, आयु -18 से 30 वर्ष, शिक्षित हो तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ (215 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणों परान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है।
6.	life saving technique water sports operator	वॉटर लाईफ सेविंग के प्रशिक्षक	उत्तराखण्ड के युवा हों, 100 मी0 की तैराकी 03 मिनट के अंतर्गत न्यूनतम आयु-18 वर्ष, शिक्षित हो तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ (15 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. एन०आई०डब्ल्यू०एस०, गोवा प्रशिक्षकों द्वारा आवेदन अभिलेखों का परीक्षण प्रायोगिक के आधार पर किया जाता है।

7.	Basic Kayaking Course	क्याकिंग के प्रशिक्षक	उत्तराखण्ड के युवा हों, 100 मी० की तैराकी 03 मिनट के अंतर्गत न्यूनतम आयु-18 वर्ष, शिक्षित हो तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से life saving technique water sports operator प्रशिक्षण प्राप्त किया हो (15 लाभार्थी)	1- निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2- एन०आई०डब्ल्यू०एस०, गोवा प्रशिक्षकों द्वारा आवेदन अभिलेखों का परीक्षण प्रायोगिक के आधार पर किया जाता है।
8.	Rafting Course & Internship	रिवर राफ्टिंग गाइड	उत्तराखण्ड के युवा हों, आयु -18 से 30 वर्ष, शिक्षित हो तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ (215 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणों परान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3. मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
9.	Special Basic Mountaineering Course	गाइड	उत्तराखण्ड के युवा हों, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से Low Altitude Guide Course अथवा DTDC के माध्यम से चलाये जाने वाले Adventure foundation Course को वरीयता दी जाती है। (25 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणों परान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3. मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
10.	High Altitude Guide Course	गाइड	उत्तराखण्ड में युवा हों, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से Low Altitude Guide Course किया हो। (41 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणों परान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3. मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
11.	Low Altitude Guide Course	गाइड	उत्तराखण्ड के युवा हों, प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर। (761 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना

				होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3 मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
12.	Skiing Course	प्रशिक्षक/ प्रतियोगी	उत्तराखण्ड के युवा हों, आयु-18 से 25 वर्ष प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर। (40 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप के भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3. मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम



गढ़वाल मण्डल विकास निगम

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार का एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जिसकी स्थापना दिनांक 31 मार्च 1976 को हुई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी 40.00 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर 406.45 करोड़ है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम में 1200 से अधिक कर्मचारियों का समर्पित कार्यबल है। निगम द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत 90 पर्यटक आवास गृह, 34 कुकिंग गैस एजेन्सी, 04 पेट्रोल पम्प तथा 01 फ़ैक्ट्री का संचालन, विभिन्न मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु अभियन्त्रण अनुभाग, रोपवे, चेयर लिफ्ट एवं स्की लिफ्ट के संचालन हेतु परियोजना अनुभाग एवं खनन गतिविधियों के संचालन हेतु खनन अनुभाग कार्यरत है।

निगम द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में गतिविधियां की जा रही है।

- **पर्यटन-** गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न पर्यटक आवास गृहों, चारधाम यात्रा पैकेज टुअर, साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत टैकिंग एवं माउण्टेनियरिंग, रीवर राफ्टिंग, स्नो स्कीइंग एवं वाइल्ड लाइफ सफारी आदि का संचालन किया जा रहा है। निगम द्वारा चारधाम मार्गों एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग में संचालित पर्यटक आवास गृहों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. **यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग-** होटल द्रोण, पर्यटक आवास गृह मसूरी, बड़कोट, स्यानाचट्टी, अस्नोलगाड़, फूलचट्टी, हनुमानचट्टी एवं जानकीचट्टी।
2. **गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग-** पर्यटक आवास गृह भरतभूमि (ऋषिकेश), ऋषिलोक (मुनीकीरेती), गंगा रिसोर्ट (शीशमझाडी), चम्बा, नई टिहरी, उत्तरकाशी, मनेरी, रैथल, बार्सू, हर्षिल, भैरोघाटी एवं गंगोत्री।
3. **श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग-** पर्यटक आवास गृह कौड़ियाला, श्रीनगर, श्रीकोट, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, स्यालसौड, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, रामपुर, सोनप्रयाग, गौरीकुण्ड, भीमबली, लिन्चोली तथा श्री केदारनाथ धाम स्थित बेस कैम्प, स्वर्गारोहिणी कॉटेज एवं हिमलोक टेन्ट कॉलोनी।
4. **श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग** पर्यटक आवास गृह गौचर, कर्णप्रयाग, कालेश्वर, नन्दप्रयाग, गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ (नया), जोशीमठ (पुराना), पाण्डुकेश्वर एवं होटल देवलोक बद्रीनाथ तथा जनता यात्री निवास बद्रीनाथ।

निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों का आरक्षण निगम की अधिकृत वेबसाइट www.gmvnonline.com एवं ओ0टी0ए0 (Make My Trip, Goibibo, Google Hotels Ads) के माध्यम से किया जा सकता है तथा यात्रा कार्यालय ऋषिकेश से मो0नं0- 9568006600, 9568006619, 9568006623 एवं 0135-2430799 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही है:-

1. **रीवर राफ्टिंग-** निगम द्वारा रीवर राफ्टिंग हेतु निम्नलिखित कोर्स चलाये जा रहे हैं। 03 Days Non Certificate, 05 Days Certificate Course and 04 Days Rafting Expeditions, Doy rafting one stretch (10-12 KM).

उपरोक्त कोर्स प्रतिवर्ष माह अप्रैल से जून तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संचालित किये जाते हैं। जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु मो0 न0 9568006639, 9536006156 तथा ई-मेल gmvnraftingcenter94@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

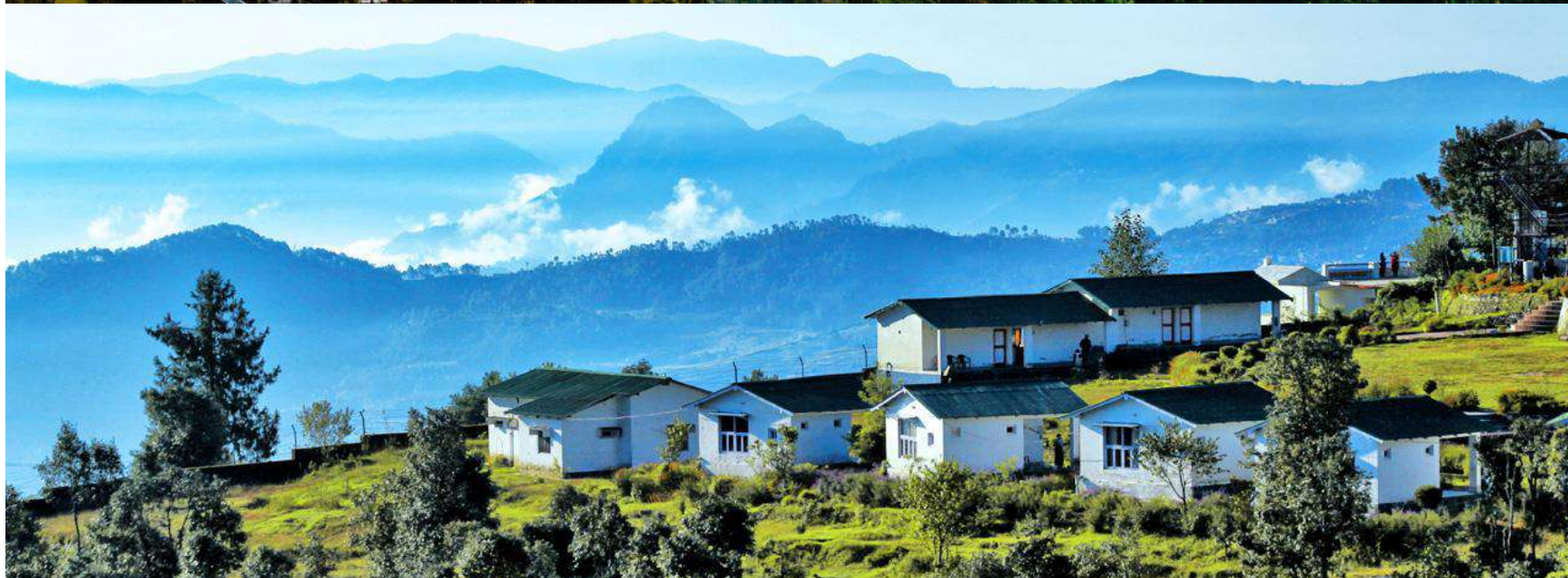
- **स्नो स्कीइंग-** औली में विभिन्न स्नो स्कीइंग कोर्स संचालित किये जाते हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

01 Day Non Certificate Course, 03 Days Non Certificate Course, 07 Days Non Certificate Course and 14 Days Non Certificate Course

उपरोक्त कोर्स प्रतिवर्ष माह जनवरी से माह मार्च तक संचालित किये जाते हैं जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी निगम के यात्रा कार्यालय ऋषिकेश से मो0नं0- 9568006600, 9568006619, 9568006623 से प्राप्त जा सकती है।

- **ट्रैकिंग एवं माउण्टेनियरिंग-** निगम द्वारा गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न ट्रैकिंग रूट जैसे डोडीताल, चोपता, तुंगनाथ, चन्द्रशिला, बगनी ग्लेशियर, बद्रीनाथ सतोपंथ, क्वारी पास, तपोवन, दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी आदि ट्रैकिंग स्थलों हेतु ट्रैकिंग टूर का संचालन किया जा रहा है। जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु मो0नं0- 9568006695 तथा ई-मेल gmvmountdiv@gmail.com एवं GMVN वेबसाइट www.gmvnonline.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- **पैकेज टुअर-** गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा 07 महानगरों में संचालित जनसम्पर्क कार्यालयों के माध्यम से चारधाम यात्रा हेतु निगम के विभिन्न पर्यटक आवास गृहों एवं निगम द्वारा पैकेज टुअर एवं अन्य गतिविधियों की बुकिंग की जा सकती है। निगम द्वारा संचालित जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:-
 1. जन सम्पर्क अधिकारी मुम्बई मो0नं0- 09653249499, फोन नं0- 022-20877009 एवं 022-20877007
 2. जन सम्पर्क अधिकारी बंगलुरु मो0नं0- 09886180515 एवं फोन नं0- 080-22249378
 3. जन सम्पर्क अधिकारी नई दिल्ली मो0नं0- 09312633180 एवं फोन नं0- 011-23327713
 4. जन सम्पर्क अधिकारी चैन्नई मो0नं0- 09444109395 एवं फोन नं0-044-25333524
 5. जन सम्पर्क अधिकारी कलकत्ता मो0नं0- 9831110999 एवं फोन नं0- 033-24765555
 6. जन सम्पर्क अधिकारी पुणे मो0नं0- 08619654014 एवं फोन नं0- 020-25535208
 7. जन सम्पर्क अधिकारी हैदराबाद मो0नं0- 09493982645 एवं फोन नं0- 040-23409945, 23400259
- **विपणन-** गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में चार पेट्रोल पम्प, तथा एल0पी0जी0 वितरण 35 गैस एजेंसियों का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के सदूरवर्ती एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उपरोक्त गैस एजेन्सी में गैस बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है तथा किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत के निराकरण हेतु को-आर्डिनेटर विपणन अनुभाग से मो0नं0- 8057912535 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- **अभियन्त्रण अनुभाग-** गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों, पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदामों की मरम्मत/नवनिर्माण तथा विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण कार्य हेतु निगम में अभियन्त्रण अनुभाग कार्यरत है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में पलायन को रोकने हेतु सीमान्त गाँवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु शासन द्वारा निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान में निगम द्वारा जनपद चमोली में नीती घाटी तथा जनपद उत्तरकाशी में नेलांग, जादुंग घाटी में विभिन्न निर्माण/विकास कार्य कराये जा रहे हैं।
- **परियोजना अनुभाग-** निगम द्वारा जनपद चमोली स्थित औली में शीतकालीन क्रीड़ाओं का संचालन किया जाता है, जिसके लिये निगम द्वारा परियोजना अनुभाग के माध्यम से चेयर लिफ्ट, स्की लिफ्ट तथा आर्टीफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम का संचालन किया जा रहा है।
- **खनन अनुभाग-** निगम द्वारा गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, टिहरी एवं देहरादून में खनन गतिविधियों संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 20 खनन लॉट संचालित हैं।
- **उद्योग अनुभाग-** निगम द्वारा मुनिकीरेती ऋषिकेश में उड वूल फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर उच्च श्रेणी के फर्नीचर का निर्माण तथा विभिन्न प्रकार की प्रकाश की रिटेल बिक्री की जाती है।

कुमाऊं मण्डल विकास निगम



कुमाऊं मण्डल विकास निगम

कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार का एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जिसकी स्थापना दिनांक 21 अगस्त 1976 को हुई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी ₹ 14.00 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर ₹ 1162.00 लाख है। कुमाऊं मण्डल विकास निगम में 750 से अधिक कर्मचारियों का समर्पित कार्यबल है। निगम द्वारा कुमाऊं क्षेत्र के अन्तर्गत 54 पर्यटक आवास गृह, 49 कुकिंग गैस एजेंसी, 03 पेट्रोल पम्प का संचालन, विभिन्न मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु अभियन्त्रण अनुभाग, रोपवे एवं स्की लिफ्ट के संचालन हेतु परियोजना अनुभाग एवं खनन गतिविधियों के संचालन हेतु खनन अनुभाग कार्यरत है।
निगम द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में गतिविधियां की जा रही है।

पर्यटन— कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न पर्यटक आवास गृहों, आदि कैलाश यात्रा, पैकेज टूर, साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत पिण्डारी टूर, माउण्टेनियरिंग, रीवर राफ्टिंग, स्नो स्कीइंग आदि का संचालन किया जाता है। निगम द्वारा आदि कैलाश मार्ग एवं पिण्डारी टूर मार्ग में संचालित पर्यटक आवास गृहों का विवरण निम्नानुसार है :-

- 1- **आदि कैलाश यात्रा मार्ग** — पर्यटक आवास गृह भीमताल, अल्मोड़ा, जागेश्वर, पिथौरागढ़, धारचूला, बूंदी, गुंजी, ज्योलिकोंग, नाभीढ़ाग, डीडीहाट, चौकोड़ी, पाताल भुवनेश्वर।
- 2- **पिण्डारी टूर मार्ग** — भीमताल, बागेश्वर, लोहाखेत, द्वाली, खाती, फुरकिया।
- 3- **कफनी ग्लेशियर मार्ग** — भीमताल, बागेश्वर, लोहाखेत, धाकुड़ी, खाती, कफनी।
- 4- **सुन्दरदुंगा ग्लेशियर मार्ग** — काठगोदाम, बागेश्वर, लोहाखेत, द्वाली, खाती, जातौली, सुन्दरदुंगा।

निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों का आरक्षण निगम की अधिकृत वेबसाइट www.kmvn.in एवं केन्द्रीय आरक्षण केन्द्र, नैनीताल 8650002520 के माध्यम से किया जा सकता है तथा यात्रा कार्यालय नई दिल्ली 09811556212, धारचूला — 7579231550, 9639910114 एवं केन्द्रीय आरक्षण केन्द्र, नैनीताल 8650002520 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- 1- **रीवर राफ्टिंग** — निगम द्वारा रीवर राफ्टिंग हेतु निम्नलिखित कोर्स चलाये जा रहे हैं —

03 Days Non Certificate, 05 Days Certificate Course

उपरोक्त कोर्स प्रतिवर्ष मई से जून तथा माह अक्टूबर से नवम्बर तक संचालित किये जाते हैं। जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु मोबाईल नम्बर — 8650002538 एवं 9412908530 तथा ई-मेल kmvn@yahoo.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पैकेज टूर — कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा 07 महानगरों में संचालित जनसम्पर्क कार्यालयों के माध्यम से आदि कैलाश एवं पिण्डारी टूर हेतु निगम के विभिन्न पर्यटक आवास गृहों एवं निगम द्वारा पैकेज टूर एवं अन्य गतिविधियों की बुकिंग की जा सकती है। निगम द्वारा संचालित जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है —

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1- जनसम्पर्क अधिकारी, मुम्बई | मो0 नं0— 09920593304 | फोन नं0 — 022—235366932 |
| 2- जनसम्पर्क अधिकारी, कोलकाता | मो0 नं0— 9339878995 | फोन नं0 — 033—24868295 |
| 3- जनसम्पर्क अधिकारी, देहरादून | मो0 नं0—9412040767, 7500482691 | फोन0 नं0— 0135—2719720 |

4- जनसम्पर्क अधिकारी, पुणे	मो0 नं0- 09869151829	फोन नं0 - 020-25535209
5- जनसम्पर्क अधिकारी, अहमदाबाद	मो0 नं0- 9426181624	फोन नं0- 079-26421214
6- जनसम्पर्क अधिकारी, दिल्ली	मो0नं0- 09811556212, 9891138461	फोन नं0- 011-23327713

विपणन —कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा कुमाऊँ क्षेत्र में 03 पेट्रोल पम्प तथा एलपी0जी0 वितरण 49 गैस एजेंसियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । उपरोक्त गैस एजेंसी में गैस बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है तथा किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत के निराकरण हेतु को-आर्डिनेटर विपणन अनुभाग से मोबाइल नं0 8650002586 पर सम्पर्क कर सकते हैं । निगम के अन्तर्गत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हल्द्वानी में 74 दुकानें हैं जिसमें से 72 दुकानों का संचालन किया जा रहा है, 02 दुकानें खाली हैं । इन दुकानों में स्टेट बैंक इण्डिया, यूनियन बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी शाखा खोली गयी है ।

अभियन्त्रण अनुभाग —कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों, पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदामों की मरम्मत/नवनिर्माण तथा विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण कार्य हेतु निगम में अभियन्त्रण अनुभाग कार्यरत है । वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के पलायन को रोकने हेतु सीमान्त गावों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु शासन द्वारा निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है । जिसके अन्तर्गत जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, उधमसिंहनगर व अल्मोड़ा में राज्य सैक्टर, मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य करवाये जा रहे हैं ।

खनन अनुभाग—निगम द्वारा कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद नैनीताल, उधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत में खनन गतिविधियों संचालित की जा रही हैं । जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 07 खनन लॉट संचालित हैं ।

राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून



क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01	चार वर्षीय डिग्री कोर्स (AICTE के मानकों के अनुसार)	चार वर्षीय डिग्री कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को देश विदेश में रोजगार/स्वरोजगार का अवसर प्राप्त होता है।	इन्टरमीडिएट 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण जिसमें अंग्रेजी विषय आवश्यक है।	उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा बेबसाइट www.uktech.ac.in पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन के उपरान्त मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज— हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र, एवं आय प्रमाण पत्र।

जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान, अल्मोड़ा



क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) (AICTE के मानकों के अनुसार)	प्राइवेट और सरकारी विभागों में रोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों हेतु कुल सीट का 5 प्रतिशत रखा जाता है अनारक्षित वर्गों से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कुल सीट का 10 प्रतिशत आरक्षण रखा जाता है। मात्र 13 हजार से 14 हजार के वार्षिक खर्च पर यह डिग्री कोर्स कराया जाता है।	इंटरमीडिएट (किसी भी विषय से उत्तीर्ण)	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा बेबसाइट www.uktech.ac.in पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन के उपरान्त मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज— हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र, एवं आय प्रमाण पत्र।

ऊर्जा विभाग (उरेड़ा), उत्तराखण्ड

